लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.93
ment Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

	पृष्ठ
अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८	३३३–५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ...	३५३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५	३६५–८४
दैनिक संक्षेपिका	३८५–८८
अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६	३८९–४१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७	४१०–२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५	४२०–३८
दैनिक संक्षेपिका ...	४३९–४२
अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६	३४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९	४६५–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ...	४८३–९६
दैनिक संक्षपिका	४९७–५००
अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६	५०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७	५२३–४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६	५४१–६४
तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि	५६४
दैनिक संक्षेपिका	५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)
अग्रवाल, श्री होती लाल (जिला जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा—पश्चिम)
अचलू, श्री सुंकम (नलगौंडा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
अचिंत राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रेंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला–भटिंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही–पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा—पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई , मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना–कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा—गारो-पहाड़ियां)
अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी–महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० रा० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (जिला आजमगढ़—पश्चिम)

आ

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली–पश्चिम)
आजाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर–सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फाजिलका–सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची—उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमल, श्री ल० (कड्लूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर-पूर्व)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला–जबलपुर—दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित–आंग्ल–भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगौड)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
कमलसिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)
कयाल, श्री पारेशनाथ (बसिरहाट–रक्षित-अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज हाईनेस महाराजा श्री बहादुर बीकानेर (बीकानेर–चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा झाला-वाड़)
काचिरोयर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण—पश्चिम)
काजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथीकर (नान्देड़–रक्षित–अनसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व–रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री तालिब प्यारेलाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवआय्यंगार, श्री न० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० ब० वि० (जिला सुल्तानपुर–दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौटुकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० भा० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज (जिला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीरावं (बुलडाना-अकोला)
खोंगमेन, श्रीमती बो० (स्वायत जिले-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
गांधी श्री फीरोज (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ौदा—पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर--उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरी विष्णु (पूना—मध्य)
गाडिलिंगन गौड़, श्री (करनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चोइथ राम परताबराय (थाना)
गिरि, श्री व० व० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी--पूर्व)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाब कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुन चन्द्र (शान्ति पूर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी महासू--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित--आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोतम, श्री (बालाघाट)
गोंडर, श्री क० पेरियास्वामी (इरोड)
गोंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पेरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्री रामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार(बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुबल्लूर–रक्षित अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री भी० ल० (बेतूल)
चाड़क, ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा श्री विमला प्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सु० अविनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियारल, श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी पूर्व–रक्षित-अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज(संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (हिंडीवनम्—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई–उपनगर)
जयसूर्य , डा० न० म० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० मणिक चन्द (भरतपुर–सवाई माधोपुर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेनवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल—पश्चिम कटक—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर क्योंझर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर––पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर––उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरन (जिला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच––पश्चिम)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल–सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नन्द लाल (इंदौर)

ज—(क्रमशः)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि—दक्षिण)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर–राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा, (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद—पश्चिम)
टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंह जी भ० (कैरा—उत्तर)
डामर, श्री अग्गर सिंह साबजी (झबुआ—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन—दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर–दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री वेंकटश नारायण (जिला कानपुर—उत्तर व जिला फरुखाबाद—दक्षिण)
तुलसीदास, किलाचन्द्र श्री (मेहसाना—पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व जिला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण–पूर्व)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर—दक्षिण)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीबैकुंठम्)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

द—(क्रमशः)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेलिचेरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगर सदर व जमुई—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० जाजपुर (क्योंझर)
दास, श्री बेलीराम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया—पूर्व—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व)
दीवान, श्री राघवेन्द्र राव श्री निवासराव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री उदय शंकर (जिला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूल चन्द्र (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधर लाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कटार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबसा—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कसानजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर–मध्य)

ध

धुलेकर, श्री र० वि० (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहनलाल (जिला बस्ती—मध्य–पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्री बिल्लीपुत्तूर)

न—(क्रमशः)

नटवाङ्कर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम, श्री च० रा० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजहमुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वें० प० (चिरनीयकील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य-दिल्ली)
नेवटिया. श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेसामनी, श्री अ० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ—मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (केरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर–पश्चिम—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ोदा—पूर्व—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (भीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीराजी राव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, श्री च० द० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला-बरेली—उत्तर
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई–नगर—दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड़ वीरनगौड़ (बेलगांव—दक्षिण)
पारिख, डा० जयन्ती लाल नरभेम् (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारी लाल (मेहसाना—पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

प—(क्रमशः)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)
पोकर साहब, श्री (मलप्पुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य-दिल्ली—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर—रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदनसिंह, चौधरी (जिला बदायूं—पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बरूआ, श्री देवकांत (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड–हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फीरोजपुर–लुधियाना—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बागडी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा–रायगढ़—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर—झुंझनू—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (इरोड—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बालसुब्राह्मण्यम्, श्री स० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (जिला बुलंदशहर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूवराघस्वामी, श्री व० (पैरम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बैरो, श्री ए० अ० था० (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
बोगांवत, श्री उ० रा० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई (भंडारा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम—उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
ब्रह्म चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (जिला—गढ़वाल–पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर–पूर्व)
भगत, श्री बा० रा० (पटना व शाहाबाद)

भ—(क्रमशः)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना-अकोला—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारीलाल (अजमेर––दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा–डुंगरपुर––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथ राव कृष्ण राव (रत्न गिरि––उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुडा––रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कनड़—उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद––पूर्व व जिला जौनपुर––पश्चिम––रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महाता, श्री भजहरि (मानभूम––दक्षिण व घालभूम)
महापात्र, श्री शिवनाराण सिंह (सुन्दरगढ़––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम—दक्षिण व घालभूम—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
मातन श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर––दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा, अ० (पूना––दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा—पूर्व व जिला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर–दतिया-टीकमगढ़—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री मगुनन्दु (शाजापुर–राजगढ़––रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर–दुर्ग––रायपुर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर–दुर्ग—रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया—उत्तर)

म—(क्रमशः)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा—उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया—दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)
मुवणे, श्री य० मा० (थाना—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वैल्लूर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम्)
मुनिस्वामी, श्री (टिंडीवनम)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया—पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर–झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया —रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद शफी, चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद-नगर)
मूर्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवंतराय (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवंतराय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहित कुमार (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस—मध्य)
रघवीर सहाय, श्री (जिला एटा—उत्तर–पूर्व व जिला बदायूं—पूव)
रघवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा—पूर्व)
रजमी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल–सीधी—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (जिला मुरादाबाद—मध्य)
राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

र—(क्रमशः)

राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पिसुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राजबहादुर, श्री (जयपुर—सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली-नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राम नारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग—पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री न० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरुपुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजमुंद्री—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलुरु—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बो० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कन्नड—दक्षिण)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चे० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, विशप जान (नाम निर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य-मनीपुर—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)
रेड्डी, श्री जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चित्तूर)

र—(क्रमशः)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम्, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर–लुधियाना)
लास्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार–लुशाई पहाड़ियां—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
लिंगन, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला जालोन व जिला एटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर–दक्षिण—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० वि० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (जिला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री ज० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (मयूरम—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन, श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मुलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपाडियन्, श्री मा० (शंकरनायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (जिला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (जिला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)

श—(क्रमशः)

शर्मा, पंडित बाल कृष्ण (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना–भिंड)
शास्त्री, पंडित अलगू राय (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर—मध्य)
शाह, श्रीमती कमलेन्दु मति (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी-गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शाह, श्री रायचन्दभाई नं० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (बिठूर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री (रायगढ़-फूलबनी—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सक्सेना श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्रनाथ (गोहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट–जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीशचन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर—सवाई-माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजारायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (जिला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (जिला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन—मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (जिला गाजीपुर—पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)

स—(क्रमशः)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह श्री हर प्रसाद (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर–पूर्व)
सिन्हा, श्री सा० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारीबाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजा ीबाग—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर—उत्तर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्य, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (वेल्लारी)
सुरेशचन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना–भिंड—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ज० रा० (चम्बा–सिरमौर)
सय्यद महमूद डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द्र (सागर)
सोमना, श्री .न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० ध० (नागौर–पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती .अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंसदा, श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन डा० (मानभूम—उत्तर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर–झाड़ग्राम—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला–भटिंडा)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (संथाल परगना व हजारीबाग—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसेन, चौधरी (जिला गोंडा—उत्तर)

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति-तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर–एट–लॉ

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहर विष्णु गाडगील
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देव कान्त बरुआ
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री हरि विनायक पाटस्कर

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री सत्य नारायण सिन्हा
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देव कांत बरुआ
श्री वेंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपालानी
श्री शं० शां० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमी शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गनेश सदाशिव आल्तेकर (**सभापति**)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैड़ी लक्ष्मैया
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री फूल सिंह जी भ० डाभी
श्री भागवत झा आजाद
श्री राम दास
श्री उ० मू० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विज़ेश्वर मिश्र

आश्वासन समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्त राजमेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेनन
श्री बैरो
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती ताकेश्वरी सिन्हा

आश्वासन समिति—(क्रमशः)

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वेंकटरामन
पंडित लिंग राज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री सोहन लाल घुसिया
श्री सु० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री रामराज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पां० ना० राजभोज
श्री पो० सुब्बा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० रामा राव
श्री रामजी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वरप्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प्रा० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पाल चौधरी
श्री न० राचय्या
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री जयपाल सिंह
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री माधव रेड्डी
श्री नी० श्रीकांतन नायर
श्री रायसम शेषगिरि राव

अधीनस्थ विधान समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (**सभापति**)
श्री सें० वें० रामस्वामी
श्री न० मा० लिंगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्त राव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री सिद्धनंजप्पा
डा० कृष्णास्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (**सभापति**)
श्री ब० स० मूर्त्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० रं० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पो० सुब्बा राव
श्री पां० ना० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री च० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री अब्दुस सतार
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क
श्री न० राचय्या

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगलगिरि नानादास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडिलिंगन गौड़
श्री जसवन्त राय मेहता
श्री बैरो
श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० वा० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य कृपालानी
श्री उ० च० पटनायक
डा० कृष्णास्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या (**सभापति**)
श्री बीरबल सिंह
श्री रा० चं० शर्मा
श्री कोट्टुकप्पल्ली
श्री दि० ना० सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना
श्री भू० ना० मिश्र
श्री काचिरोयर

श्री राज चन्द्र सेन
श्री क० आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (**सभापति**)
श्री भागवत झा आजाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कौले
श्री गो० ह० देशपांडे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० च० दासप्पा
श्री नारायण
श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री व्यं० कृ० ढगे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री वें० ना० तिवारी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री उ० च० पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री ही० ना० मुकर्जी

राज्य-सभा

श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'
श्री थियोडोर बोदरा
श्रीमती लीलावती मुन्शी

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (**सभापति**)
श्री कृ० गु० देशमुख

श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधेलाल व्यास
श्री मात्तन
श्री कृपालानी
श्रीमती शुकन्तला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्याम धर मिश्र
श्री प्रे० थो० लेडवा
श्री विमल घोष
श्री ज० वी० क० वल्लभराव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशवैय्यंगार
श्री शिवराम रंगो राने
श्री घमन्डी लाल बंसल
श्री खुशी राम शर्मा
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कमल कुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्री-मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और अणु शक्ति विभाग के भी भारसाधक––श्री जवाहर-लाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री––मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

गृह-कार्य मंत्री––पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त

भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग–वस्तु उद्योग मंत्री––श्री मुरारजी देसाई

संचार मंत्री––श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री––राजकुमारी अमृत कौर

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री ––श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

प्रतिरक्षा मंत्री––डा० कैलाश नाथ काटजू

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री––श्री ति० त० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री––श्री विश्वास

रेलवे तथा परिवहन मंत्री––श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री––सरदार स्वर्ण सिंह

उत्पादन मंत्री––श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री––श्री अजित प्रसाद जैन

श्रम मंत्री––श्री खंडू भाई देसाई

बिना विभाग के मंत्री––श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री––श्री सत्य नारायण सिंह

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री––श्री महावीर त्यागी

सूचना और प्रसारण मंत्री––डा० केसकर

व्यापार मंत्री––श्री करमरकर

कृषि मंत्री––डा० पंजाबराव शा० देशमुख

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री––डा० सय्यद महमद

विधि-कार्य मंत्री––श्री हरि विनायक पाटस्कर

प्राकृतिक संसाधन मंत्री––श्री के० दे० मालवीय

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री––श्री म० च० शाह

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री––श्री अरुण चन्द्र गुह

पुनर्वास मंत्री––श्री मेहर चन्द खन्ना

उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री––श्री नित्यानन्द कानूनगो

संचार मंत्रालय में मंत्री––श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री––श्री दातार

भारी उद्योग मंत्री––श्री म० म० शाह

सामुदायिक विकास मंत्री––श्री सुरेन्द्र कुमार डे

उपमंत्री

प्रतिरक्षा, उपमंत्री––सरदार मजीठिया
श्रम उपमंत्री––श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री––श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री अल्गेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री––श्रीमती चन्द्र शेखर
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री––श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री––श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री––श्री जयसुख लाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री––श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री––श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री––डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री––श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री––डा० म० मो० दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री शाहनवाज़ खां

सभा-सचिवों की सूची

वैदेशिक कार्य मंत्री की सभा-सचिव––श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव––श्री जोगेन्द्र नाथ हज़ारिका
उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव––श्री राजाराम गिरिधरलाल दुबे
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव––श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव––श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव––श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय (श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार)** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बर्मा-शैल तेल शोधनशाला

†*१. **श्री बंसल :**
श्री गिडवानी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री श्री नारायण दास :
श्री ब० द० पांडे :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा-शैल तेल शोधनशाला ने २ आने प्रति इम्पीरियल गैलन की प्रशुल्क की छूट, जो कि उसे इस समय प्राप्त है, स्वच्छा से छोड़ देने की प्रस्थापना की है; और

(ख) क्या अन्य दो शोधनशालाओं अर्थात् "स्टैंडर्ड वैकुअम" और "काल्टेक्स" ने भी इसका अनुसरण किया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं।

†**श्री बंसल** : क्या मंत्री जी का ध्यान प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में मेक्सिकन खाड़ी में प्रचलित दरों का लिया जाना आश्चर्यजनक बात है; यदि हां, तो क्या

†मूल अंग्रेजी में।

सरकार ने इन कम्पनियों की लागत व्यवस्था की इस दृष्टि से भी जांच की है कि इन वस्तुओं के बिक्री मूल्य को घटाने की गुंजाइश है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : एक वृहत्तर प्रश्न के सम्बन्ध में इस मामले पर भी विचार किया जा रहा है। आप इन दोनों को पृथक् नहीं कर सकते हैं। सरकार इन मामलों पर गम्भीरता से ध्यान दे रही है।

†**श्री बंसल** : पिछले दो वर्षों में बर्मा-शैल शोधनशाला कम्पनी को कितना विशुद्ध लाभ हुआ ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : कम्पनी के एक वर्ष के सन्तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं।

†**श्री बंसल** : मेरा प्रश्न था कि विशुद्ध लाभ कितना हुआ––मुझे संतुलन पत्रों की आवश्यकता नहीं है––मैं पिछले दो वर्षों में कम्पनी का विशुद्ध लाभ जानना चाहता हूं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : यदि माननीय सदस्य लाभ और हानि के लेखों का, जो कि उन्हें इच्छा-नुसार उपलब्ध हो सकते हैं, सावधानता से अध्ययन करें तो उन्हें विशुद्ध लाभ का पता लग सकता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस कमी से हुए लाभ को उपभोक्ताओं को देने का विचार है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे विचार से यह प्रश्न उपभोक्ताओं को लाभ देने का नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि इस शोधनशाला के द्वारा निर्मित तेल पर कम उत्पादन शुल्क लिया जाता था। अब उपभोक्ता के लिये तो मूल्य वही रहेगा किन्तु केन्द्रीय राजकोष को जो हानि होती थी उसकी पूर्ति दो आने का शुल्क लगा कर पूरी हो जायेगी।

†**श्री विश्वनाथ राय** : कम्पनी द्वारा कितनी राशि समर्पित की गई है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मोटे हिसाब से यह राशि लगभग २ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष है।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समझौते की शर्तें हमारे लिये अच्छी नहीं थीं और हमारे लिये उन्हें स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था, सरकार इन कम्पनियों के साथ की गई शर्तों का पुनरीक्षण करने पर विचार करेगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे विचार से एक ऐसे समझौते का ज़िक्र करना जो कि कुछ वर्ष पूर्व, तत्कालीन अवस्था के अनुसार किया गया था, उचित नहीं है। मैं प्रश्न के इस पहलू को नहीं लेना चाहता हूं, किन्तु यदि किसी पक्ष से किये गये समझौते का पुनरीक्षण करना आवश्यक होता है तो सरकार उसका पुनरीक्षण करेगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम की वस्तुओं का विश्वव्यापी मूल्य मेक्सिको की खाड़ी में तय कि .ा जाता है, सरकार भारत को इस सन्धि से असम्बद्ध करने का क्या प्रयत्न करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कई मामलों के सम्बन्ध में वह एक बड़ा जटिल प्रश्न है जब हम पर्याप्त तेल का निर्माण कर लेंगे तो हम जो चाहें कर सकते हैं। इस समय हमें इसे बाहर से मंगाना होता है। हम स्वतन्त्र एजेंट नहीं हैं। निस्सन्देह हम प्रयत्न कर सकते हैं और कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या 'स्टेन्डर्ड वैकुअम' और 'काल्टेक्स' के द्वारा प्राप्त रियायत से, केन्द्रीय राज्य कोष को होने वाली हानि का अनुमान लगाया गया है ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : जो, हां । हमें इस मामले में अन्तर्ग्रस्त राशि का अनुमान है । हम इस सम्बन्ध में अन्य दो शोधनशालाओं से वार्ता कर रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : अनुमानतः यह राशि क्या है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं आपको तत्काल आंकड़े नहीं बता सकता हूं । यदि माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री मात्तन** : पेट्रोलियम---वस्तुओं---विशेषतः पेट्रोल का मूल्य आस्ट्रेलिया की अपेक्षा भारत में कैसा है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

†*२. **श्री चट्टोपध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों के अंशदान को ज़ब्त करन के सम्बन्ध में कोयला खान भविष्य निधि योजना १९४८ के उपबन्धों को कर्मचारियों के हित में उदार बनाने के प्रयोजन से, कोयला खानिकों की सेवाओं की अवधि का हिसाब लगाने के लिये, कोई अन्तिम निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). इस मामले पर तत्सम्बन्धी हितों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या मैं उन शर्तों को जान सकता हूं जिनके अधीन वे अपने अंशदान को ज़ब्त कर सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : निधियों का प्रशासन न्यास के सदस्यों के द्वारा होता है ।

†**श्री नम्बियार** : जहां तत्सम्बन्धी हित नियोजक और कर्मचारी हों वहां तत्सम्बन्धी हितों से परामर्श करने में इतना विलम्ब क्यों होता है ?

†**श्री आबिद अली** : कोई विलम्ब नहीं हुआ है । सुझाव के प्राप्त होने के पश्चात् से कर्मचारियों के हित में इस योजना को काफी उदार बना दिया गया है । वह विशेष सुझाव, जो कि इस प्रश्न का आधार है पिछले अगस्त को ही प्राप्त हुआ है ।

मजूरी बोर्ड

†*३. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दी० च० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्ततः एक मजूरी बोर्ड की स्थापना करने के विचार से विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में सामग्री के संग्रह करने के कार्य में अक्तूबर १९५६ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या ३१ मार्च, १९५७ के अन्त तक सामग्री को अन्तिम रूप से संग्रह करना संभव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). शीघ्र ही कुछ उद्योगों में मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है । ये बोर्ड उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करेंगे । आगे और आंकड़ों को एकत्रित करने की व्यवस्था भी की जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मेरा प्रश्न यह था कि विभिन्न उद्योगों में सामग्री एकत्र करने में क्या प्रगति हुई है । मैं वह प्रगति जानना चाहता हूं ।

†**श्री आबिद अली** : हमने अधिकारियों के एक दल को अध्ययन के लिये नियुक्त किया है । उन्होंने दो बैठकें कर ली हैं और पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली गई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस वर्ष के अन्त तक मजूरी बोर्ड की स्थापना की कुछ संभावना है ?

†**श्री आबिद अली** : हां, बोर्ड इस वर्ष के अन्त तक नियुक्त हो जायेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं जानना चाहता था कि क्या इस वर्ष के अन्त तक मजूरी बोर्ड की स्थापना की संभावना है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : संभव है बोर्ड शीघ्र ही स्थापित हो जाये । यथासंभव बोर्ड को शीघ्र नियुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ऐसे कितने उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे जो अभी तक विचाराधीन हैं और कितनों के लिये मजूरी बोर्ड बनाये जा चुके हैं ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं यह बताने की थिति में नहीं हूं कि कितने उद्योगों के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय हो चुका है । यह विचाराधीन है । मुझे आशा है कि पांच छः मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जायेंगे, जिनके अन्तर्गत सारे कारखानों के दो तिहाई श्रमिक आ जायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इन मजूरी बोर्डों का प्रधान कार्यालय कहां स्थित होगा तथा उनके अधीन कितने श्रमिक आयेंगे ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जैसा कि मैं कह चुका हूं स्थापित होने वाले मजूरी बोर्डों के अन्तर्गत दो तिहाई मजदूर आ जायेंगे । तथा बोर्डों के प्रधान कार्यालय ऐसे स्थानों पर स्थिति होंगे जो उद्योगों तथा कर्मचारियों के लिये सबसे अधिक सुविधाजनक होंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस्पात उद्योग भी उन उद्योगों के अन्तर्गत आ जायेगा जिनके लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : अन्य उद्योगों के साथ इस उद्योग पर भी विचार किया जा रहा है ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

†*४. { **श्री भागवत झा आजाद** : **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : **श्री दी० चं० शर्मा** : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सरकार ने, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के संविलयन की संधि के अनुसमर्थन के लिये कोई समय अनुसूची बतलाई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो वह समय अनुसूची क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, कारीकल, माही, यनम की फ्रांसीसी बस्तियों के संविलयन की संधि के अनुसमर्थन के लिये कोई समय अनुसूची नहीं दी है। तथापि हमें यह जानकारी दी गई है कि इस समय अनुसमर्थन के प्रश्न पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उन्होंने इस अत्यधिक विलम्ब का कारण बताया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं। जो लोग हाल की घटनाओं से परिचित हैं उन्हें यह कारण अच्छी तरह पता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या अनुसमर्थन के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, अवश्य। अनुसमर्थन के पश्चात् उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या संधि का विधि-प्रनुसार अनुसमर्थन न होने के कारण भारत को फ्रांसीसी बस्तियों के प्रशासन में कोई कठिनाई हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रशासन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु कई बातों का अन्तिम निर्णय करने में स्वष्टतः कठिनाई होती है। सामान्य प्रशासन बिना किसी कठिनाई के चल रहा है।

†**श्री ब० स० मूर्ती** : क्या पश्चिमी एशिया में हुई हाल की घटनाओं से इस बात का अन्तिम निर्णय होने में विलम्ब होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी घटना से कोई बाधा नहीं होगी केवल फ्रांसीसी सरकार अन्य बातों में बहुत व्यस्त है।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में इस कमी के कारण वहां की प्रचलित विधियों को भारत संघ की विधियों के समान बनाना संभव नहीं हो सका है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन विधियों को भारत की विधियों के समान बनाने का विचार नहीं किया गया है। वस्तुतः हमने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनकी कई विधियां—जिस प्रणाली और विधियों को वे १५० वर्षों से मानते हैं—चालू रहेंगी। हम उन्हें अकस्मात् नहीं बदलना चाहते हैं। यदि समय-समय पर वे उन्हें बदलना चाहें तो ऐसा किया जाता है। कुछ परिवर्तन किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : फ्रांसीसी बस्तियों पर फ्रांसीसी दूतावास का क्षेत्राधिकार किस सीमा तक तथा किस प्रकार का है। फ्रांस के राजदूत ने पांडिचेरी तथा अन्य स्थानों की यात्रा किस प्रयोजन से की ? क्या भारत सरकार को इस दौरे का वास्तविक कारण बताया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : फ्रांस के दूतावास, और फ्रांस की सरकार का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वे वहां के कुछ सांस्कृतिक संस्थापनों के सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं, जो भारत सरकार

†मूल अंग्रेजी में।

की सहमति से जारी हैं और जिनका विस्तार किया जा रहा है। फ्रांस के राजदूत वहां सांस्कृतिक संस्थापनों का कार्य देखने जाते हैं, जिनमें से एक या दो का वित्त पोषण वस्तुतः फ्रांस की सरकार करती है।

वस्त्र उत्पादन

+

†*५. **श्री साधन गुप्त** :
श्री गिडवानी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों के लिये नियत कोटा को और बढ़ाकर वस्त्र उत्पादन की नीति में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कोटा में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). वस्त्र के सम्भरण और मांग पर निन्तर विचार किया जाता है किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मिलों के लिये नियत कोटे में वृद्धि की जायेगी अथवा नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कुछ समय पहले--१८ सितम्बर को--समाचारपत्रों में इस आशय की एक खबर छपी थी कि मिलों के कोटे में वृद्धि होने की आशा है तथा क्या यह समाचार सही है ?

†**श्री कानूनगो** : भिन्न-भिन्न प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं और मैं यह नहीं कह सकता कि क्या उनमें से कोई सच है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस नीति से देश की खादी और हथकरघा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : कदापि नहीं।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार को मालूम है कि यद्यपि वस्त्र का परिमाण पर्याप्त है फिर भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं यदि यह सच है तो इस विसंगति का क्या कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रश्न में जो धारणायें व्यक्त की गई हैं वे सच नहीं हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं उनके विभाग से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। वह बतायें कि यह सच है अथवा नहीं है। यह उत्तर समझ में नहीं आया कि वह बता नहीं सकते। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री से जिस उत्तर की आशा रखी जाती है वैसा ही उत्तर मिलना चाहिये।

†**श्री कानूनगो** : मेरे न कहने का केवल यही आधार है कि नीति पर निरन्तर विचार किया जा रहा है तथा उसके परिवर्तन के बारे में कोई निर्णय नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या यह सच है कि हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वस्त्रों के बढ़े हुये उत्पादन पर छट दी जायेगी और कुछ समय पश्चात् उन्होंने इस घोषणा का खण्डन कर दिया । इस बात में सच्चाई क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है कि कोई खण्डन हुआ था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कपड़े की खपत बढ़ गई है क्या यह सही है कि नवीन मांग की पूर्ति के लिये कताई तथा बुनाई हेतु नयी तकलियों की स्थापना आवश्यक है अथवा हथकरघा उद्योग इसे पूरा करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : ये बातें विचाराधीन हैं ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुछ पहले माननीय मंत्री ने बताया है कि वस्त्रों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है किन्तु उत्पादन शुल्क के सिलसिले में हुए वाद-विवाद के दौरान मंत्री महोदय ने बताया था कि यथार्थ लागत के सम्बन्ध में कीमतें काफी बढ़ गई हैं । वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने कीमत के बारे में कुछ नहीं कहा था ।

भारत-पाकिस्तान सीमा

†*६. **श्री गिडवानी :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडक्लिफ पंचाट के आधार पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर पंजाब की सीमा के निर्धारण का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यह कब पूरा होगा; और

(ग) इस पर कितना खर्च होगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां, प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य १ अक्तूबर, १९५६ को आरम्भ हुआ था ।

(ख) सीमा निर्धारण जटिल कार्य है, उसके सम्पन्न होने के सम्बन्ध में निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती । अनुमानतः इसमें डेढ़ वर्ष लगेगा ।

(ग) व्यय का प्राथमिक अनुमान ८,३५,००० रुपये है ।

†**श्री गिडवानी** : यह खर्च कौन देगा—दोनों सरकारें अथवा केवल हमारी सरकार ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह हमारी सरकार के खर्च से सम्बन्धित है ।

†**श्री टेक चन्द** : पंचाट के निर्वचन अथवा सीमा-निर्धारण पर मत विभिन्नता की अवस्था में किस प्रक्रिया अथवा किन सारभूत उपायों का आश्रय लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : व्यवस्था यह है कि विवादग्रस्त राज्य क्षेत्रों पर असहमति की अवस्था में, सर्वप्रथम सरकारी स्तर पर इसका निराकरण किया जायेगा उसके असफल होने पर मंत्रियों के स्तर का आधार लिया जायेगा और आवश्यकता हुई तो यह मध्यस्थ दल का निर्णय हेतु सौंप दिया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सुलेमान हेडवर्क्स और फीरोजपुर हेडवर्क्स—इन सीमाओं के निर्धारण में कोई समझौता किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमारे पंजाब और पाकिस्तान के बीच सम्पूर्ण सीमा निर्धारित कर देने की आशा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : राजस्व पंचाट और रेडक्लिफ पंचाट में अन्तर होने पर सरकार सीमा निर्धारण का आधार किसे मानेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के बीच सीमा निर्धारण का आधार रेडक्लिफ पंचाट रहेगा ।

गांधी समाधि

*७. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी समाधि का मॉडल सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मॉडल के अनुसार निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो सकेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल उठता ही नहीं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ दिनों पूर्व इस सम्बन्ध में जो मॉडल (नमूना) पत्रों में प्रकाशित हुये थे, उनका क्या हुआ ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो आप बहुत पुरानी बात करते हैं । बहुत काफी समय हो गया जब एक दफा मॉडल बनाये गये थे, लेकिन वह आम तौर पर पसन्द नहीं किये गये । इसलिये दुबारा कम्पिटीशन (प्रतियोगिता) किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात को देखते हुए कि माननीय मंत्री पुरातन ऐतिहासिक स्थान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं; समाधि के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : समाधि के स्वरूप के सम्बन्ध में अत्यधिक मत विभिन्नता है । क्या यह किसी प्रकार का ठोस रूप धारण करे इस विषय में आम राय है कि सामान्य परिवर्तनों के साथ इसे अपने वर्तमान रूप में ही रखा जाये; किसी वृहद् स्मारक की आवश्यकता नहीं है । समीपवर्ती भवन के नक्शे में एक संग्रहालय रखा जा सकता है किन्तु मैं किसी प्रकार का निश्चित वचन नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिये डिजाइन मांगे गये हैं । हम इनकी जांच करेंगे और यदि डिजाइन उपयुक्त हुई तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस की व्यवस्था के लिये कोई समिति बनाई गई है, और यदि हां, तो इसमें कितने शासकीय और कितने अशासकीय, यानी कितने आफिशल और कितने नानआफिशल व्यक्ति हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझ नहीं पाया कि किस बात के लिये समिति बनाई गई है ।

कुछ माननीय सदस्य : डिज़ाइन्स के लिये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : डिज़ाइन्स की जांच के लिये तो एक एक्सपर्ट कमेटी (विशेषज्ञ समिति) है, जिसमें आर्किटेक्ट्स (वास्तुशास्त्री) भी हैं, इन्स्टिट्यूट आफ आर्टिटेक्ट्स का भी नुमाइन्दा (प्रतिनिधि) है और इंजीनियर भी हैं ।

आकाशवाणी में संस्कृत भाषा के कार्यक्रम

†*८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में १९५६ में अब तक कितने संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं ;

(ख) क्या विदेशों में संस्कृत के रेकार्डों की कोई मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो १९५५–५६ में विदेशों को भेजे गये रेकार्डों की कुल संख्या कितनी है ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) जनवरी से जून, १९५६ तक ३६९ कार्यक्रम ।

(ख) जी हां, अधिकांश विश्वविद्यालयों से ।

(ग) फीते पर रेकार्ड किये गये वेदों के पाठ जरूसलम के हेब्रू विश्वविद्यालय को दिये गये थे । दूसरे विश्वविद्यालयों को देने के लिये वेदों तथा अन्य ग्रंथों के पाठों के रेकार्ड तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या जनता द्वारा इन कार्यक्रमों की सराहना की गई है और यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यक्रमों में वृद्धि करेगी ?

†**श्री पाटस्कर :** जहां तक मुझे पता है यह प्रचारित नहीं किये जाते हैं, केवल उन्हें प्रसारित किया जाता है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या सरकार को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि इनमें कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा उच्चारण शुद्ध नहीं है और यदि यह शिकायत सही है तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

†**श्री पाटस्कर :** मेरा विचार है ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं ।

†**श्री डाभी :** मैं इन कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं ।

†**श्री पाटस्कर :** मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा । कार्यक्रम निम्न रूप में प्रसारित किया जाता है :–

(१) धार्मिक पाठों का उच्चारण, उदाहरणार्थ, श्लोक ;

(२) श्लोकों का उच्चारण तथा इनके सम्बन्ध में प्रादेशिक भाषाओं में टीकायें ;

(३) संस्कृत में नाटक;

(४) संस्कृत से अनुदित नाटक तथा प्रादेशिक भाषाओं में टीकायें;

(५) प्रादेशिक भाषाओं में वार्तायें जिनमें संस्कृत पाठों से उद्धरण होते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

राम चरखा

†*९. **श्री हेम राज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना के एक निवासी ने दो तकलियों वाला एक "राम चरखा" आविष्कृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अम्बर चरखे की तुलना में इसकी कितनी कार्यकुशलता है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे) :** (क) जी हां, पूना के श्री म० रा० साठे ने दो तकलियों वाले राम चरखे का आविष्कार किया है ।

(ख) इसकी कार्यकुशलता परखने के लिये अभी तक कोई परीक्षण नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम राज :** क्या इस चरखे पर इस बात को मालूम करने के लिये कोई परीक्षण किया जायेगा कि यह अम्बर चरखे से अधिक कार्यकुशल एवं मितव्ययतापूर्ण है ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** जब अम्बर चरखा समिति के सदस्य बम्बई गये थे तो श्री साठे ने प्रदर्शन किया था परन्तु उन्हें लगा कि इस चरखे के पूर्ण एवं वैज्ञानिक परीक्षण के लिये पर्याप्त आंकडे आदि नहीं हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या राम चरखा अम्बर चरखे का उन्नत रुप है अथवा क्या दोनों में उल्लेखनीय अन्तर है ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** सरकार के पास जो जानकारी है, उससे प्रतीत होता है कि अभी तक जिन चरखों का डिज़ायन तैयार किया गया है उनमें अम्बर चरखा उत्कृष्ट है । राम चरखा अम्बर चरखे से भिन्न है ।

†**श्रीमती मायदेव :** इसका आविष्कार कितने समय पहले किया गया था । क्या यह बम्बई राज्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में था जो पूना में हुई थी ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** मैं नहीं कह सकता कि इसका आविष्कार कब हुआ था लेकिन सर्वप्रथम इसे अप्रैल में अम्बर चरखा समिति के सामने प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या अम्बर चरखे की सृष्टि विकासोन्मुख है अथवा क्रांतिपरक है ?

†**एक माननीय सदस्य :** दोनों हों ।

नाभिकीय परीक्षण

†*१०. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जापान ऋतु विज्ञान बोर्ड के प्रवक्ता द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कहा गया है कि हाल की भारी वर्षा नाभिकीय परीक्षणों के परिणाम-स्वरूप हुई हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में जांच की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में २७ जुलाई, १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर की ओर आमंत्रित किया जाता है। नाभिकीय विस्फोटों के ऋतु पर प्रभाव सम्बन्धी निश्चित परिणाम अभी तक मालूम नहीं हुये हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने जापानी बोर्ड की तरफ से जो इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई पत्रव्यवहार किया है और यह जानने का प्रयत्न किया है कि यह वर्षा जो हुई है, क्या यह केवल निक्युलर टैस्ट्स (आणविक परीक्षणों) की वजह से ही हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जापान में जो बयान निकला है वह यह नहीं निकला कि वर्षा ज्यादा हुई है इसकी वजह से बल्कि बयान यह निकला है कि जो वर्षा हुई है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स (रेडियो धार्मिता के तत्व) थे। वह दूसरी चीज है। वहां पर ये ज्यादा पाये गये। कहीं पर कम भी हो सकते हैं और कहीं पर ज्यादा भी। शायद आप यह भी जानते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक किताब भी निकली है जिसका नाम है "निक्युलर एक्सप्लोर्यस एण्ड देयर ईफैक्ट्स" जिसमें पिछले दो तीन महीनों में जो कुछ हुआ है दुनिया में, उसकी चर्चा है।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान हाल के उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसका आशय यह है कि अहमदाबाद में भारी वर्षा के पश्चात मछलियां बड़ी तादाद में मरी हुई पाई गईं—अथवा नगर में बड़ी संख्या में वह मर रही थीं। इसके उपरान्त उन्हें बम्बई की प्रयोगशाला में जांच के लिये भेजा गया। यदि यह सच है, तो इस जाँच का क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : खेद है कि मैं इस विपदा से अनभिज्ञ हूं।

†**श्री कामत** : श्री मुरार जी देसाई यहां उपस्थित हैं। वह इस विषय की जानकारी दे सकते हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को जापानी समुद्रों के समीप किये जाने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में जापान ऋतु विज्ञान बोर्ड के कुछ आंकड़े प्राप्त हुये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं स्पष्ट रूप में यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है ? हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से सम्पर्क स्थापित कर रखा है। इस प्रकार सरकार इस रूप में अन्य सरकारों से आंकड़े प्राप्त नहीं करती। यह एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों में परस्पर सहयोग होता है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि रेडियो एक्टिव धूल बम्बई, कलकत्ता और लखनऊ तक में पाई गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसे सवालों का जवाब देने में मुझे जरा दिक्कत हो जाती है क्योंकि जो माननीय सदस्य सवाल करते हैं वे इस मसले को बिल्कुल समझे नहीं हैं। वे कुछ लफ्जों को पकड़ लेते हैं जो बारबार दौहराये जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी बारिश तो कभी भी थोड़ी सी हो सकती है, यह बहुत सी बातों पर मुनहसर करता है। सवाल यह है कि कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है। कभी ज्यादा बढ़ी हुई पाई गई है, दिल्ली में भी पाई जा सकती है और कहीं भी पाई जा सकती है। सवाल यह है कि बढ़ती कितनी है। कभी-कभी बढ़ी हुई पाई गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१२. **श्री नम्बियार :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष की सामान्य अवधि के पश्चात् मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है :

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मद्रास-हार्बर श्रमिक संघ के कितने व्यक्ति बोर्ड में लिये गये हैं; और

(घ) बोर्ड की रचना में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये किन सिद्धांतों का अनुकरण किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा २३ अक्तूबर, १९५६ को की गई थी ।

(ख) पहले बोर्ड की अवधि १३ जुलाई, १९५६ को समाप्त हुई थी किन्तु इसे कुछ समय तक और काम करने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि मद्रास गोदी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना के अन्तर्गत जिस के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा था एक नये बोर्ड की स्थापना की जाती थी । पुनरीक्षित योजना २३ अक्तूबर, १९५६ को प्रकाशित की गई थी तथा उसी दिन से नया बोर्ड स्थापित किया गया ।

(ग) दो ।

(घ) योजना के खण्ड ४ (५) में वर्णित सिद्धांत के आधार पर श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

†**श्री नम्बियार :** क्या मैं जान सकता हूं कि निकाय में जिन दो विभिन्न संघों का प्रतिनिधित्व है उनकी सदस्यता क्या है और उनके प्रतिनिधान का स्वरूप क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विस्थापित विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें

†*१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी संस्था स्थापित करने पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ख) इसे किस प्रकार खर्च किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें स्थापित करने के सम्बन्ध में १० नवम्बर, १९५६ तक १९·१९ लाख रुपये की रकम की स्वीकृति दी गई थी । इस राशि के विरुद्ध वास्तविक परिव्यय का ब्योरा सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसके अतिरिक्त विस्थापित विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त स्थान आदि की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को ८८·५८ लाख रुपये दिये गये हैं ।

(ख)	प्रारम्भिक स्कूल	२८·१९ लाख रुपये
	माध्यमिक स्कूल	१४·१९ लाख रुपये
	कालिज	१४७·८१ लाख रुपये
	कुल	१९०·१९ लाख रुपये

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस राशि का कितना भाग शरणार्थी विद्यार्थियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये और कितना भाग उनके प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये वंटित किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया है कि यह राशि प्रारम्भिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कालिजों को वंटित की गई है । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इनमें से कौन से मूल प्रशिक्षण स्कूल हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि उन बस्तियों में जहां इन शरणार्थियों को बसाया गया है, क्या इन विद्यार्थियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये इस समय कोई योजना वहां है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में इस प्रकार की योजनाओं को अवश्य ही ध्यान में रखा गया होगा ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित शिक्षाओं की सूची में विसर्जन योजना के अधीन नए कालिज स्थापित करना भी सम्मिलित है और यदि हां, तो उस पर परिव्यय कितना है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि सम्पूर्ण वंटन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है ; एक तो शिक्षा सम्बन्धी नई संस्थाओं को स्थापना के लिये है जिसमें डिग्री कालिजों और इन्टरमीडियेट कालिजों की स्थापना का कार्य भी सम्मिलित है और दूसरा वर्तमान संस्थाओं में स्थान के विस्तार के लिये है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अनधिवासियों की बस्तियों में शिक्षा सम्बन्धी सन्थाओं को सरकार द्वारा अब तक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी । क्या मैं जान सकती हूं कि अनधिवासियों की उन बस्तियों में कितनी संथाओं को विनियमित किया जा रहा है, कितनी सन्थाओं को सहायक अनुदान दिये गये हैं या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार में ले लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : अनधिवासियों की बस्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के पृथक् आंकड़े या अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

रानीगंज कोयले की खान में हड़ताल

†*१४. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्रीबोस :
श्री काजरोल्कर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज की कोयले की खानों में किन कारणों से कोयला-खनिकों की हड़तालें हुई थीं;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) वह हड़ताल कब तक जारी रही थी;

(ग) उस हड़ताल के कारण कोयले की उत्पादन के सम्बन्ध में किस सीमा तक हानि हुई थी; और

(घ) खनिकों को वेतन रूप में जितना धन नहीं मिला उसकी प्राक्कलित राशि कितनी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खान विवाद) द्वारा अपना पंचाट दिये जाने के तुरन्त ही बाद सरकार ने उसकी उचित कार्यान्विति के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी। जबकि कार्यान्विति के लिये त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी और पंचाट से सम्बन्धित कुछ अपीलें भी लम्बित थीं, कोयला खान के श्रमिकों के एक भाग ने उन वादपदों पर हड़ताल कर दी जिनकी पंचाट द्वारा पहिले ही चर्चा की जा चुकी थी।

(ख) २८ दिनों के लिये;

(ग) लगभग ३½ लाख टन;

(घ) लगभग २५ लाख रुपये।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार का कोई एहतियाती कार्यवाही करने का विचार है कि जिससे भविष्य में इस प्रकार की हड़तालों के कारण कोयला सम्भरण का विस्थापन न हो ?

†**श्री आबिद अली** : हमें निकट भविष्य में इस प्रकार की किसी हड़ताल के होने की आशा नहीं है।

†**श्री बोस** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हड़ताल को निश्चित रूप से अवैध घोषित किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे विचार में किसी व्यक्ति ने यह घोषणा नहीं की कि हड़ताल अवैध थी, परन्तु वह अवैध थी।

†**श्री नाम्बयार** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह न्यायाधिकरण के पंचाट पर श्रमिकों की असन्तुष्टि के कारण थी ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : पंचाट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि श्रमिकों ने अपीलीय न्यायालय में अपील को वरीयता दी है और मेरे विचार में न्यायालय में अपील की सुनवाई हो रही है और इस प्रकार के बड़े प्रश्न में कोई अनियमिता उत्पन्न हुई हो, बातचीत के लिये अनौपचारिक समिति के सामने थी, इस बीच श्रमिकों के एक भाग को हड़तालें करने के लिये भड़काया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि अब बिना किसी शर्त के हड़ताल वापिस ले ली गई है।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या किसी श्रमिक को इस हड़ताल के कारण उत्पीड़ित किया गया है और यदि हां, तो इस प्रकार के उत्पीड़ित श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : एक शिकायत प्राप्त हुई है कि हिंसा के लिये उत्तरदायों कुछ श्रमिको पर दोषारोप लगाया गया है। श्रमिकों में से अधिकांश को वापिस ले लिया गया था।

†**श्री रामानन्द दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विवाद का कुछ निबटारा हुआ था और यदि हां, तो निबटारे का स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री आबिद अली** : कोई निबटारा नहीं हुआ था; हड़ताल को बिना किसी शर्त के वापिस ले लिया गया था ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

†*१६. **श्री धुलेकर** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल पुरस्कृत किये गये थे, क्या उन्होंने १९५४ तथा १९५५ वर्षों की अवधि में कोई वाणिज्यिक सौदे किये थे; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के सौदे किये गये थे । और उनकी कीमत कितनी थी ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री धुलेकर** : क्या इन सौदों के लिये बातचीत करने के सम्बन्ध में अन्य देशों को कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था ?

†**श्री करमरकर** : मेरे माननीय मित्र कृपया अपना प्रश्न देखें । उन्होंने पूछा है कि विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल पुरस्कृत किये गये थे क्या उन्होंने कोई वाणिज्यिक सौदे किये हैं । फिर भी मैं उन्हें बताये देता हूं कि कुछ प्रतिनिधिमंडल भेजे गये थे । उदाहरण के लिये १९५६ से पहिले सूती वस्त्र, तम्बाकू, काजू, काली मिर्च और रेशम तथा नकली रेशम के लिये निर्यात प्रवर्तन परिषदों की ओर से पांच प्रतिनिधिमंडल भेजे गये थे । उन्होंने कोई सौदा नहीं किया था । अपने पहिले उत्तर में जोड़ने के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि १९५६ में दो प्रतिनिधिमंडलों ने तम्बाकू और बीड़ियों के लिये और काजू तथा काली मिर्च के लिये भी व्यादेश पंजीबद्ध किये थे ।

†**श्री धुलेकर** : क्या इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत में विभिन्न समवायों को कोई जानकारी दी थी ?

†**श्री करमरकर** : उन्होंने सभी तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की थी और जिन देशों में भी वे गये वहां पक्षों को उन्होंने जानकारी दी थी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्यात संवर्धन निगम ने अब तक किसी विदेश से किसी कारबार का कोई सौदा किया है ?

†**श्री करमरकर** : निर्यात संवर्धन निगम नाम का कोई निगम नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : यह इसका ही भाग है ।

†**श्री मात्तन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या काजू के लिये कोई निर्यात संवर्धन परिषद् है, यदि नहीं तो क्या सरकार इसलिये एक ऐसी परिषद् स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार करेगी कि काजू एक डालर प्राप्त करने वाली वस्तु है ?

†**श्री करमरकर** : यह पहिले ही है । वस्तुतः मैंने बताया था कि उसकी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा था कि काजू और काली मिर्च निर्यात संवर्धन परिषद् की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गया था । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा किये गये कार्य के कारण क्या उन देशों में काजू के नियमित सम्भरण की कोई सम्भावना है जो इस समय काजू नहीं लेते हैं ?

†**श्री करगरकर** : काजू सम्बन्धी संभावनायें प्रोत्साहित करने वाली रही हैं । फ्रांस हमसे अधिक काजू लेता है और हमें पूर्ण आशा है कि अन्य देश भी हम से काजू लेंगे ।

दियासलाई उद्योग

*१७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २४ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के निश्चय के अनुसार दियासलाई-निर्माण के जो २०० कुटीर उद्योगकेन्द्र खोलने का विचार था उन्हें स्थापित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : अभी तक अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने कुटीर दियासलाई के ९७ कारखाने स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता रखी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थान छांटने के लिये किन-किन शर्तों का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री रा० गि० दुबे : इस बारे में स्टेट सरकारों के साथ सलाह-मशविरा किया जायेगा । इतना कहा जा सकता है कि जहां पर रा मैटीरियल वगैरह की फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, वहीं इन सैन्टर्ज को खोला जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इन २०० केन्द्रों को खोलने के बारे में क्या उत्तर प्रदेश और अन्य विभिन्न राज्यों का कोटा निश्चित कर दिया गया है ?

श्री रा० गि० दुबे : इस तरह का कोई कोटा निश्चित नहीं हुआ है ।

†**श्री सु० चं० देव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक कुटीर उद्योग आधार पर दियासलाई निर्माण के सम्बन्ध में कोई नीति है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : इसी पर तो हम वाद-विवाद कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो प्रश्न है ।

†**श्री डाभी** : जब ये सभी केन्द्र स्थापित हो जायेंगे तब कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं कह नहीं सकता कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है परन्तु मैं माननीय सदस्य को कुछ अनुमान बता सकता हूं । १९५५-५६ वर्ष में २,५०० ग्रुस दियासलाइयां उत्पादित की गई थीं और अंशकालिक आधार पर ९६४ व्यक्तियों को काम मिला था । चालू वर्ष में अब तक पूर्णकालिक श्रमिकों की संख्या १५३६ है जबकि अंशकालिक श्रमिक ५९० हैं । इस आधार पर हमें उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हो सकता है जिन्हें नियोजित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं यह और बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र में लगभग ४० से ५० व्यक्तियों को काम मिलने की संभावना है।

†**श्रीमती मायदेव** : इन श्रमिकों को वास्तविक मजूरी कितनी दी जाती है ; रासायनिक आदि द्रव्य लगाने वाले विशेषज्ञ नहीं बल्कि अन्य अदक्ष श्रमिकों की मजूरी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : विभिन्न राज्यों को अभ्यंश किस प्रकार दिया जाता है ? क्या यह केन्द्र में प्राप्त हुये आवेदनपत्रों की संख्या या प्रत्येक राज्य में प्राप्य सुविधाओं के आधार पर दिया जाता है?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जिस समय और जब कभी कोई मांग आती है हम सभी राज्यों को पूरी सहायता देने के लिये तैयार होते हैं परन्तु यह स्थानीय प्रशासी कार्यप्रणाली, राज्य की वित्तीय परिस्थितियां, कच्चे माल की प्राप्यता और अन्य बातों पर निर्भर है। मुख्यतः राज्य सरकार को मामला उठाना होता है और केन्द्र सदैव सहायता देने के लिये तैयार है।

नाभिकीय परीक्षण

†***१८. श्री च० रा० नरसिंहन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से देश में नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को रिकार्ड करने के प्रबन्ध स्थापित किये गये हैं तब से भारत के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में ऐसे कितने विस्फोटों के होने के तथ्य को रिकार्ड किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में कोई भी परीक्षण विस्फोट नहीं हुये हैं। ऐसा कोई भी संलेख नहीं है जो भूकम्प की भांति तुरन्त ही नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय विस्फोटों को रिकार्ड कर सके। तथापि बम्बई में इन परीक्षण विस्फोटों की रेडियो धर्मी धूलि को लगातार मापा जा रहा है और भारतीय सागर में या उसके निकट यदि कोई परीक्षण विस्फोट किया जाय तो उस मामले में रेडियो धर्मी धूलि की शीघ्रता से आगणना करने के लिये हम पर्याप्त रूप से सुसज्ज हैं।

†**श्री च० रा० नरसिंहन** : हिन्द महासागर क्षेत्र में जो अणुबम परीक्षण तथा अन्य स्थानों पर जो उद्जन बम परीक्षण होते हैं, क्या उनके सम्बन्ध में रेडियम धार्मिता तथा प्रभाव की तीव्रता के बारे में तुलनात्मक आंकड़ों का अभिलेख रखा जाता है; यदि हां, तो इन परीक्षणों का क्या परिणाम है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कभी-कभी इस प्रभाव का दैनिक रिकार्ड ऊपर की ओर गति बताता है; आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं, और इसलिये निर्णय करने का हमारे पास केवल एक ही साधन है और वह है आंकड़े का एकदम बढ़ जाना। उससे हम यह निर्णय कर लेते हैं कि कोई परीक्षात्मक विस्फोट हुआ है और थोड़ा-सा इस बात का भी अनुमान हो जाता है कि वह विस्फोट किस दिशा में हुआ है। उस घटना-स्थल का ठीक-ठीक पता लगना बड़ा कठिन है।

जैसा मैंने बताया है, मुख्य प्रेक्षण केन्द्र बम्बई में है। परन्तु अन्य कई स्थानों जैसे दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता, बंगलौर तथा श्रीनगर में भी ऐसे प्रेक्षण किये जाते हैं।

†**श्री कामत** : भारत ने नाभिकीय परीक्षात्मक विस्फोटों को पूर्णरूपेण समाप्त करने और कम से कम उन्हें रोक देने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया था, उसके सम्बन्ध में अमरीका,

†मूल अंग्रेजी में।

ब्रिटेन तथा रूस ने क्या प्रत्युत्तर दिया है ? और कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र-सभा में इसी प्रकार का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसके प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मैं अनुभव करता हूं माननीय सदस्य ने जिन देशों का नाम लिया है वे सभी देश अभी तक परीक्षात्मक विस्फोट कर रहे हैं। उन्होंने यह आशा तो प्रकट की है कि वे किसी न किसी समय उन परीक्षणों को समाप्त कर देंगे, परन्तु यदि एक देश समाप्त कर देता है तो दूसरा देश उसका अनुचित लाभ उठा लेगा।

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम

*१९. **श्री खू० चं० सोधिया:** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री २० जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ के अधीन गैर-कानूनी व्यापार करने वाले कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका है;

(ख) प्रत्येक मामले में कम से कम और अधिक से अधिक क्या दण्ड दिया गया; और

(ग) कितने मामले अभी चालू हैं ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री खू० चं० सोधिया : क्या सरकार को मालूम है कि गैर-कानूनी व्यापार करने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है और इस गैर-कानूनी व्यापार और चोरबाजारी को बंद करने के लिये सरकार कौन कौन उपाय कर रही है ?

श्री करमरकर : जी हां, कुछ शिकायतें इस सम्बन्ध में आई थीं, जैसे कि कलकत्ते से जूट के सम्बन्ध में आई थीं, मध्य प्रदेश से बिनौले की बाबत आई थी और राजस्थान से और किसी दूसरी वस्तु के बारे में शिकायत आई थी। इस चोरबाजारी और गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिये जो कुछ हो सकता है वह किया जाता है। कलकत्ते में अभी जांच चल रही है और उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। राजस्थान में कुछ केसेज़ इंस्टीट्यूट किये गये थे लेकिन बाद में वे विदड्रा कर लिये गये और उनके बारे में भी हम जानकारी मंगा रहे हैं और वह काम हमारा चल रहा है। फारवर्ड मार्केट्स कमिशन ऐक्ट एक कम्पलीकेटेड चीज है और इसलिये हमने साफ बता दिया है कि क्या लीगल होता है और क्या इल्लीगल होता है और मैं समझता हूं कि इसके बाद सारी व्यवस्था ठीक हो जायेगी।

श्री खू० चं० सोधिया : क्या फारवर्ड मार्केट्स कमिशन के पास कोई इंस्पकटेरेट है ?

श्री करमरकर : जी हां, हमने एक इंस्पैकटेरेट बनाई है।

†**श्री धुसिया :** प्राप्त हुई शिकायतों को दूर करने के लिये कौन-कौन सी विशेष कार्यवाही की गयी है, और क्या सरकार को उस काम में सफलता मिली है ?

†**श्री करमरकर :** जब भी कोई शिकायत वायदा बाजार आयोग से प्राप्त होती है, उसे हम सम्बन्धित राज्य सरकार के पास भेज देते हैं, और फिर उस मामले पर राज्य सरकार ही विचार करती है। और यदि वह मामला ठीक होता है तो उसे न्यायालय में भेज दिया जाता है, और जब उसमें

†मूल अंग्रेजी में।

कोई अवैधता पायी जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है। और यदि कोई अवैधता नहीं होती तो उसे मुक्त कर दिया जाता है ।

†**श्री धुसिया :** अब तक कितनी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को उत्तर दिया है, और कितने मामले सफलतापूर्वक पकड़े जा सके हैं ?

†**श्री करमरकर :** मैंने कई मामलों का उल्लेख किया है । उदाहरणार्थ हमें बंगाल से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है। यह मामला पटसन के सम्बन्ध में था ।

हमें राजस्थान से भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें पहले मामले चलाये गये थे परन्तु बाद में वापिस ले लिये गये थे । हमने उनकी बाबत उनसे पूछ रखा है । हमें मध्य प्रदेश सरकार से भी बिनौलों के सम्बन्ध में शिकायत आयी है, और इन शिकायतों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचना मिली है कि लिखित प्रमाणों के अभाव में, इन शिकायतों के सम्बन्ध में अब और कोई कार्यवाही करना बड़ा कठिन है ।

पंजाब से भी चने के सम्बन्ध में शिकायतें आयी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। जैसा मैंने अपने हिन्दी उत्तर में बताया है, इस अधिनियम का प्रवर्तन-क्षेत्र पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं है। अतः हमने अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित संस्थाओं को सचेत कर दिया है। आशा है कि इन सभी बातों के स्पष्टीकरण के बाद इस अवैध व्यापार को रोकना संभव हो सकेगा। जब भी कोई अवैध बात आयेगी, हम उस पर यथासम्भव कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री हेडा :** किसी भी शिकायत के आने पर उस निबटारे में औसतन कितना समय लगता है ?

†**श्री करमरकर :** यह तो सम्बन्धित मामले की प्रकृति, उसकी खोज पर आने वाले समय और उस अपराधी की चालाकी आदि पर निर्भर करता है। तो भी मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हम वायदा बाजार आयोग अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण समुत्सुक हैं, क्योंकि देश के हित के लिये यह अत्यावश्यक है कि अवैध सट्टा व्यापार बन्द कर दिया जाये और हमें आशा है कि सक्रिय सदस्यों के सहयोग से हम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे ।

श्री खू० चं० सोधिया : उसमें कितने आदमी हैं ?

श्री करमरकर : उसके लिये नोटिस चाहिये। मुझे पता नहीं है कि कितन आदमी हैं ।

श्री धुलेकर : जब सरकार को यह मालूम है कि बड़े-बड़े बाजारों में दिन भर सट्टबाजी चलती है तो इतने कम मुकद्दमे क्यों चलाये जाते हैं और तहकीकात के लिये इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया जाता है ?

श्री करमरकर : म समझता हूं कि माननीय सदस्य जानते होंग कि यह फारवर्ड मार्केट्स कमिशन ऐक्ट कितना कम्पलीकेटेड है और इसके ठीक से व्यवहार में आने के रास्ते में कितनी दिक्कतें हैं। उसके ठीक से चलने के लिये ताकि इस तरह की गड़बड़ी न हो और हम जल्दी काम कर सकें, और अधिक कोआपरेशन चाहिये, इत्तिला ठीक चाहिये क्योंकि यह फारवर्ड मार्केट्स कमिशन ऐक्ट का मामला ही ऐसा है कि इसमें आफेंडर्स बहुत अपनेपन में माहिर हो गये हैं, तो भी हमें आशा है कि हमारा काम माननीय सदस्यों से इस विषय में सलाह और कोआपरेशन मिलने से काफी आसान हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों की हड़ताल

+

†*२१. { **श्री कामत** :
श्री काजरोल्कर :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों ने अक्तूबर, १९५६ के तीसरे सप्ताह में काम से हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़तालियों की कितनी संख्या थी ;

(ग) उस हड़ताल के क्या कारण थे; और

(घ) उनकी शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४२५ चिट्ठियों को छांटने वाले[1] तथा ३९५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ।

(ग) २ सार्टरों और १ चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी के 'पेपर सार्टिंग आफिस' से दिल्ली रेलवे डाक सेवा में स्थानान्तरित किये जाने के विरोध में ।

(घ) स्थानान्तरण के कारणों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कामत** : इन कर्मचारियों की मांगों अथवा शिकायतों को मंत्रालय के सामने सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, और वास्तविक हड़ताल के प्रारम्भ होने से पूर्व क्या कार्यवाही की गयी थी ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात ही होगा, यह हड़ताल अचानक ही प्रारम्भ हो गयी थी । इस प्रकार की कोई भी मांग मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गयी थी । वे मांगें मंत्री महोदय के ध्यान में २० अक्तूबर को लायी गयी थीं जबकि हमें हड़ताल की सूचना भी मिल चुकी थी । अतः ये मांगें मंत्री के ध्यान में पहले नहीं लायी गयी थीं, वे मांगें तो २० तारीख को संघ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी थीं।

†**श्री कामत** : मैंने 'मंत्री' शब्द नहीं कहा है, मैंने तो 'मंत्रालय' शब्द कहा है । क्या इसका यह तात्पर्य है कि वास्तविक हड़ताल होने से पूर्व इन मांगों के सम्बन्ध में मंत्रालय को कुछ पता ही न था ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी नहीं । यह बात मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई थी और न ही डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक के ध्यान में आई थी ।

†**श्री कामत** : क्या यह एक आकस्मिक हड़ताल थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, यह एक आकस्मिक हड़ताल थी । दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक हैं, और यहीं पर मंत्रालय है और मंत्री भी हैं, परन्तु ये शिकायतें किसी भी पदाधिकारी के ध्यान में नहीं लायी गयी थीं । वह एक आकस्मिक घटना थी ।

†**श्री कामत** : क्या उसकी कोई पूर्व सूचना भी न दी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Sorters

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, न ही कोई पूर्व सूचना दी गयी थी ।

†**श्री काजरोल्कर** : इस हड़ताल के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी वित्तीय हानि वहन करनी पड़ी है ।

†**श्री राज बहादुर** : उसका अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या इस हड़ताल के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को कोई दण्ड मिला है ?

†**श्री राज बहादुर** : सारा मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या बाद में कोई और शिकायतें भी जोड़ दी गयी थीं या केवल स्थानान्तरण के कारण ही इतनी बड़ी हड़ताल हो गयी थी ? और यह कि किन-किन शर्तों पर वह हड़ताल समाप्त की गयी थी ?

†**श्री राज बहादुर** : पहले तो वह शिकायत दो सार्टरों और एक पोर्टर के स्थानान्तरण के बारे में थी । बाद में, यह भी मांग की गयी कि उस अधीक्षक का भी स्थानान्तरण कर दिया जाये जो कि स्थानान्तरण का उत्तरदायी था । तत्पश्चात् यह भी मांग की गयी कि चतुर्थश्रेणी के दो कर्मचारियों को, जिनका कुछ मास पूर्व स्थानान्तरण कर दिया गया था, दिल्ली वापिस बुला लिया जाये । डाक के महानिदेशक तथा निदेशकों ने यही कहा कि वे शिकायतों पर विचार करेंगे और उन स्थानान्तरणों को रोक देंगे । उन्होंने कहा था कि शिकायतें लिखित रूप में भेजी जायें और फिर वे उनकी जांच करेंगे । वह मामला संघ ने अपने हाथ में ले लिया, और मैंने भी उन्हें यही समझाया, और उसके परिणामस्वरूप अन्त में हड़ताल रोक दी गयी ।

†**श्री जगजीवन राम** : वह पदाधिकारी जिसके, स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मांग की गयी थी वह भी उसी संघ का एक सदस्य है ।

मलाया में भारतीय

†*२२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया में अनेक भारतीयों को पिछले विश्वयुद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने भारतीय हैं, और उनकी क्षति का लगभग कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है और इस बात में भी बहुत सन्देह है कि मलाया में भी उसका ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को उन भारतीयों से जो भारत में रह रहे हैं और जो मलाया से वापस भेजे गये हैं, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ? वे बराबर अभ्यावेदन भेजते रहे हैं। जिन लोगों को भारी नुक्सान हुआ है, क्या हमारी सरकार उनके मामले मलाया सरकार को भेजेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं समझता हूं कि हमें कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि मलाया सरकार ने उस समय स्वत: यह कहा था कि जब आज़ाद हिन्द फौज आंदोलन में भाग लेने वाले मलायी लोगों की संपत्तियां वापस दी गयी हैं, भारतीयों को सम्पत्तियां नहीं दी गयी हैं ? क्या हमारी सरकार ने वर्तमान मलाया सरकार के साथ इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न पूछा जाये।

कोथागुडियम में जल संभरण

†*२४. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोथागुडियम में जल संभरण के लिये सिंगारेनी कोयला खानों के प्रबन्धकों को कोयला खान श्रम कल्याण संगठन निधि से तब से कोई अनुदान दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : सरकार ने कोथागुडियम कोयला खानों के लिये जल संभरण योजना के अनुमानित लागत का ५० प्रतिशत तक—किन्तु अधिकतम ३·३२५ लाख रुपये तक कोयला खान श्रम कल्याण निधि से अनुदान मंजूर किया है।

†**श्री नम्बियार** : क्या नियमों के अधीन इतना ही अधिकतम है ? सरकार पूरी धनराशि का अंशदान क्यों नहीं देती ?

†**श्री आबिद अली** : प्रक्रिया यह है कि निधि ५० प्रतिशत तक अंशदान देती है।

†**डा० रामा राव** : क्या प्रबन्धकों ने वह स्वीकार कर लिया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरा विचार है कि नहीं।

पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

†*२६. + { **श्री भागवत झा आज़ाद** : / **श्री दी० चं० शर्मा** : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, अक्तूबर, १९५६ के उत्तरार्ध में और नवम्बर, १९५६ के पूर्वार्ध में पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के सामूहिक आगमन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). नवम्बर, १९५६ के पूर्वार्ध में आगमन सम्बन्धी आंकड़े स्थानीय अधिकारियों से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। अब तक प्राप्त जानकारी स यह दिखायी पड़ता है कि आगमन के परिमाण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से ऐसी कार्यवाही करने के लिये कहा है जिससे कि वह ऐसा वातावरण बनाये कि वे लोग रह सकें ताकि कम से कम वहां से और अधिक लोग न आयें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : दोनों सरकारों के मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में, पूर्वी बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये यथासंभव प्रयत्न करने का वादा किया था। जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है, वह भी यथासंभव प्रयत्न कर रही है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उस सम्मेलन के फलस्वरूप पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : पाकिस्तान असैनिक सेवा का एक हिन्दू पदाधिकारी अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया गया है और जहां कहीं उत्पात की आशंका होती है वहां और सारे देश में घूम-घूम कर वह विश्वास उत्पन्न करता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि भारत में अल्पसंख्यकों के भार-साधक मंत्री पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के भार-साधक मंत्री के साथ राज्य में दौरा करें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यदि कोई विशेष कारण हो या उसकी आवश्यकता हो, तो ऐसा दौरा किया जाता है।

भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

†*२७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** १ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५६ में कराची में हुये भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में किये गये निर्णयों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : २८ जुलाई, १९५६ को हुये भारत-पाकिस्तान में किये गये निर्णयों का भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों ने अनुसमर्थन किया है। संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग से पुनः प्राप्ति के महत्वपूर्ण शेष कार्य का पता लगाने और यथा शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में जिला प्रशासन को पुनः प्राप्ति के कार्य में सहायता देने की आवश्यकता तथा सरकारी और गैर-सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया था। यह भी निश्चय किया गया था कि जिन सरकारी और गैर-सरकारी लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, उन्हें उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिये। ये सुझाव भारत में पहले से ही कार्यान्वित किये जा रहे हैं, किन्तु उस पर पुनः जोर देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने के लिये उनके सम्बन्धियों एवं गाइडों को भारत का दौरा करने की पूर्ण सुविधायें दी जा रही हैं। भारत की राजनीतिक संस्थायें भी मानव-कल्याण के इस कार्य में अपना सहयोग दे रही हैं।

भारत सरकार अब अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम को एक वर्ष तक और अर्थात् ३० नवम्बर, १९५७ तक बढ़ा देने के लिये कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग की रचना किस प्रकार की है, अभी तक इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं और क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**सरदार स्वरण सिंह** : भारत और पाकिस्तान सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो उच्च-शक्ति प्राप्त पदाधिकारी इस तथ्य निर्धारण समिति के सदस्य हैं। उनकी सहायता दूसरे पदाधिकारी भी कर रहे हैं। इसकी बैठकें समय-समय पर हुआ करती हैं किन्तु मैं एकदम यह नहीं बता सकता कि अब तक उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत सरकार के कितने पदाधिकारियों को मानव-कल्याण के इस कार्य के लिये पुरस्कार दिया गया है और पाकिस्तान सरकार के कितने पदाधिकारियों को इस महान कार्य के लिये पुरस्कार मिला है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विस्तृत उत्तर के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं किन्तु मुझे एक उदाहरण स्मरण है। लगभग दो वर्ष बीते श्रीमती भाग मेहता नामक एक महिला समाज कार्यकर्ता को राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सरकार को किसी ऐसे मामले के बारे में सूचना मिली है जिस में पाकिस्तान से पुनः प्राप्त किये गये अपहृत व्यक्ति दिल्ली से अपहरण कर उसे फिर वहीं ले जाया गया ?

†**सरदार स्वरण सिंह** : यदि ब्यौरा बता दिया जाय तो मुझे उत्तर देने में आसानी हो जायेगी। मैं एकदम कुछ भी नहीं बता सकता, यदि कोई मामला विशेष बताया जाये तो मैं उसका पता लगाने के लिये तैयार हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उच्चशक्ति प्राप्त समिति के समक्ष साक्ष्य देनी अथवा इस बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये कि क्या इन स्त्रियों की पुनः प्राप्ति करनी है, महिला समाज कार्यकर्ताओं को कितनी बार बुलाया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि बहुत सी महिला और पुरुष समाज कार्यकर्त्ताओं ने आयोग के समक्ष तो नहीं किन्तु तथ्य निर्धारण सम्बन्धी उन पदाधिकारियों के समक्ष साक्ष्य दिया है, जिन्हें आयोग के समक्ष जो सामग्री रखी गई थी उसे तयार करने के लिये नियुक्त किया गया था।

समुद्री मार्ग द्वारा आने वाली विदेशी डाक

†***२८. श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री मार्ग द्वारा आने वाली विदेशी डाक में विलम्ब कुमारी अन्तरीप से होकर डाक लाने वाले कुछ समुद्री जहाजों का मार्ग बदल देने के कारण हुआ था जिसके परिणाम-स्वरूप वे भारतीय पत्तनों तक न आ सके ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय डाक कोलम्बो पत्तन पर उतारी जायेगी ;

(ग) क्या लंका सरकार के अधिकारियों के साथ इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है कि समुद्र द्वारा लाई डाक भारत में निश्चित स्थानों को सुरक्षित रूप से और अविलम्ब ही भेज दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो वे प्रबन्ध क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, एक अवसर पर।

(ख) कभी कभी ऐसा हो सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्व डाक सम्बन्धी अभिसमय के अधीन लंका पर एक अन्तर्राष्ट्रीय आभार यह है कि वह अपनी भारत की डाक के साथ ही मार्गस्थ डाक को तत्काल और सुरक्षित रूप से भेज दे।

†**श्री गिडवानी** : क्या अब भी डाक में और अधिक विलम्ब होता है अथवा उचित समय पर भेज दी जाती है।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि सितम्बर-अक्तूपर में विदेशों से भेजी गई कुछ डाक में विलम्ब हो गया है। उदाहरण के लिये **एस० एस० कार्थागे, एस० एस० चुसान** और **एस० एस० स्ट्राटमोर** नामक जहाजों को कुमारी अन्तरीप से होकर ले जाया गया था। कभी-कभी ९ से लेकर २२ दिनों तक का भी विलम्ब हो चुका है।

†**श्री धूसिया** : इस मार्ग के बदल देने से क्या दर में भी वृद्धि कर दी गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी नहीं।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या डाक को समुद्र के बजाय विमानों से लाना अधिक अच्छा नहीं होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : डाक कई प्रकार की होती है। हवाई डाक हवाई जहाज के द्वारा और समुद्री डाक समुद्री मार्ग से लाई जाती है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय परिषद्

+

†*३०. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री खू० चं० सोधिया :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् की स्थापना कब होगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के समाप्त होने से पहले ही इसकी स्थापना करने की आशा की जाती है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस परिषद् की रचना और कार्य क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : इसमें लगभग ५० सदस्य होंगे। इसके कार्य राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र देना, पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में स्तर निर्धारित करना, क्षमता का स्तर निर्तारित करना, परीक्षण निकायों की स्थापना करना, प्रमाणपत्र आदि देने के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सा० चं० सामन्त** : विभिन्न श्रेणियों में इस परिषद् द्वारा प्रमाणपत्र देने के लिये परीक्षा कौन लेगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये निर्धारित प्रक्रिया है ।

विशाखापटनम् की सूखी गोदी

*३२. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम् सूखी गोदी के सम्बन्ध में एक अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त करने में हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी को कुल कितनी राशि व्यय करनी पड़ी;

(ख) इस सूखी गोदी का निर्माण करने के लिये कौन-सी विशेषज्ञ फर्म को चुना गया है और उसको कितना मेहनताना देना निश्चय किया गया है ; और

(ग) इस सूखी गोदी पर अनुमानतः कुल कितना खर्चा होगा और उसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ।

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). ड्राय डाक योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिये यू० के० के सर्वश्री रेंडल, पामर व ट्रिटन को कार्य सुपुर्द किया गया था और तय हुआ था कि उन्हें २,००० पौंड की फीस तथा उनके प्रतिनिधियों के कार्य सम्बन्धी दौरे का सफर तथा अन्य खर्च दिया जायेगा। क्योंकि अब उनकी बनाई हुई योजना स्वीकार कर ली गई है और उन्हीं को सलाहकार इंजीनियर नियुक्त किया गया है, इसलिये इस फर्म को अब ४० हजार पौंड की एक ही फीस दी जायेगी और योजना तैयार करने की कोई अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी ।

(ग) अनुमान है कि ड्राय डाक के निर्माण में २ करोड़ १५ लाख रुपये खर्च होंगे । इसके दिसम्बर, १९५९ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

श्री खू० चं० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन आदमियों के अतिरिक्त किसी दूसरी फर्म को भी बुलाया गया था या नहीं, या उन्होंने स्वतः अपनी तरफ से इसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट देने का आफर दिया था ?

श्री सतीश चन्द्र : इसकी आयोजित रूपरेखा देने के लिये इन तीन कम्पनियों से कहा गया था । इन तीनों के कोटेशन्स आये और उनको देख कर यह तय किया गया कि इस कम्पनी से रिपोर्ट मांगी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वस्त्र निर्यात

†*११. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई और अफ़्रीकी देशों को कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या १९५५-५६ में वस्त्र निर्यात में इस कारण कमी हो गई थी कि जहाज द्वारा माल भेजने के टन भार में कमी हो जाने के कारण भारत कई मास तक वायदे के अनुसार माल न भेज सका जबकि जापान ने तत्काल माल भेज दिया था; और

(ग) ब्रिटेन द्वारा आयात किये गये भारतीय वस्त्र को क्या विशेष रियायतें प्राप्त हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या १]**

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*१५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** :
श्री क० कू० बसु :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने भारत की सरकारी कोयला-खानों का प्रभार ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) कर्मचारियों तथा ठेके पर काम करने वाले अन्य लोगों की सेवा की शर्तों में क्या कोई परिवर्तन होगा और यदि होगा तो क्या ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने फिलहाल इन सरकारी कोयला खदानों को अपने हाथ में ले लिया है जिस पर कोयला खदानों के स्वामित्व और व्यवस्था निगम को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में संसद् में अभी मत लिया जायेगा।

(ख) १ अक्तूबर, १९५६ को।

(ग) अभी विचार यह है कि विद्यमान पदाधिकारी और अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारीगण दोनों को जो सरकारी कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, वर्तमान सेवा की शर्तों पर निगम ले लेगा। निगम इस बात पर विचार करना चाहता है और यह विषय उसके विचाराधीन है।

कलकत्ता में खादी प्रदर्शनकक्ष

†*२०. **श्री भीखा भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में खादी विक्रय के लिये एक प्रदर्शनकक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव को मूर्त-रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किन-किन स्थानों पर नये प्रदर्शनकक्ष खोले जा रहे हैं ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) जी, हां योजना कार्यान्वित की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रदर्शनकक्ष के लिये कलकत्ता बीमा कम्पनी के भवन में स्थान प्राप्त कर लिया गया है और उस स्थान में आवश्यक वृद्धि और परिवर्तन करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और अन्य प्रारम्भिक बातों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन स्थानों पर नये प्रदर्शनकक्ष खोलने का विचार किया जा रहा है, इसके बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है किन्तु विचार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी अथवा उस राज्य के किसी महत्वपूर्ण नगर में एक प्रदर्शनकक्ष होगा ।

हथकरघों का पंजीयन

†*२३. **श्री सें० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघों के पंजीयन के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है;

(ख) क्या किसी राज्य ने इस प्रकार के पंजीयन का विरोध किया है और यदि हां, तो उसको किस प्रकार दूर किया गया है ;

(ग) क्या नई वस्त्र नीति की घोषणा हो जाने से किसी राज्य में विद्युत् से चलने वाले करघे लगाये गये हैं, यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) हथकरघों का पंजीयन कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अब तक ५,६३,४९५ करघे पंजीबद्ध किये गये हैं ।

(ख) राज्य सरकारों के अतिरिक्त कुछ लोगों ने यह अभ्यावेदन किया था कि पंजीयन से कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी किन्तु एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी व्याख्या की गई थी कि यह पंजीयन केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिये है और उसके बाद से कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है ।

(ग) नई योजना के अधीन अभी तक एक भी विद्युत् से चलने वाला करघा नहीं लगाया गया है ।

(घ) हथकरघों के पंजीयन के लिये आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख ३० नवम्बर, १९५६ है ।

नौपरिवाहकों का पाठ्यक्रम

†*२५. **श्री त० ब० बिट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में प्रथम श्रेणी का नौपरिवाहकों का पाठ्यक्रम शुरू किये जाने के लिये तब से अपने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उक्त पाठ्यक्रम के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और कितने प्रशिक्षार्थियों को दाखिल किया जायेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) असैनिक उड्डयन प्राशक्षण केन्द्र इलाहाबाद में प्रथम श्रेणी का नौपरिवाहकों का पाठ्यक्रम शुरू करने सम्बन्धी प्रस्तावों को असैनिक

†मूल अंग्रेजी में ।

उड्डयन के महानिदेशक द्वारा अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वह शीघ्र इन्हें सरकार को प्रस्तुत कर देंगे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गिरीडीह कोयला खानें

†*३१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, टेकनिकल समिति की सिफारिश के अनुसार, गिरिडीह कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में हुई प्रगति की समय-समय पर जांच करने के लिये विशेषज्ञ स्थायी समिति नियुक्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री श्री शतीश चन्द्र :** (क) जी हां ।

(ख) १. मुख्य खनन इंजीनियर, सरकारी कोयला खानें––संयोजक
२. अतिरिक्त मुख्य खनन इंजीनियर, सरकारी कोयला खानें ।
३. भारत के मुख्य खान निरीक्षक
४. कोयला खान अधीक्षक, गिरिडीह
५. कोयला लेखा नियन्त्रक, कलकत्ता
६. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद

अशोक होटल

†*३३. **श्री कामत :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल के निर्माण, उपकरणों, फर्नीचर और कर्मचारियों पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है;

(ख) प्रबन्धकीय कर्मचारियों के नाम उनकी योग्यतायें और पूर्व अनुभव क्या है;

(ग) क्या यूनेस्को सम्मेलन के शुरू होने से पहले होटल को पूर्ण रूप से उपस्कृत तथा सुसज्जित कर दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पु० शे० नास्कर) :** (क) इमारतों, सामान और फर्नीचर पर अब तक आने वाली २·०७ करोड़ रुपये की लागत में से १·६४ करोड़ रुपये ३१ अक्तूबर, १९५६ तक दिये जा चुके थे । इस के अतिरिक्त, कर्मचारियों और कार्यालय के समान पर इस तिथि तक २·३७ लाख रुपये खर्च हुए थे ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) यूनेस्को के प्रतिनिधियों के लिये अलग रखे गये १९८ कमरे सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही तैयार हो गये थे और प्रतिनिधि वहां ठहरे हुए हैं । होटल के शेष कमरों को सज्जित करने के काम के भी शीघ्र ही पूरी हो जाने की आशा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दस्तकारी उद्योग

†*३४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने १९५६ में सामान्य विकास के और विशिष्ट दस्तकारी उद्योगों की विशिष्ट योजनाओं सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य विकास की वे योजनायें कौन सी हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाने को है; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इन योजनाओं में बोर्ड से सहयोग कर रही हैं ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क), जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें १९५६–५७ में मंजूर की गई दस्तकारी विकास की योजनायें दिखायी गई हैं; सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ग) जी हां ।

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई

†*३५. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई को स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : केन्द्रीय श्रम संस्था की इमारत के १९५७ के मध्य तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है । उत्पादनशीलता और उद्योग के अन्दर प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र और औद्योगिक सफाई प्रयोगशाला, जो कि संस्था के भाग बनेंगे, पहले से ही काम कर रहे हैं । पहले दो बम्बई और अन्तिम नई दिल्ली में । ये शाखायें भी, संस्था की इमारत के तैयार होने पर वहां स्थानान्तरित कर दी जायेंगी । संस्था का बहुत सा सामान और अपेक्षित साहित्य पहले ही आ चुका है ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

†*३६. { **श्री त० ब० बिट्ठल राव :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयला निकालने के मामले में क्या प्रगति हुई है ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : अब तक को गई विस्तृत खुदाई के फलस्वरूप तीन खुली खानों और एक भूमिगत खान को चालू करने की योजना बनाई जा सकती है । एक अग्रिम खदान पर प्रारम्भिक काम शुरू किया जा चुका है और इस में १९५७ के आरम्भ में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है । भूमिगत खान के काम के भी शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है और वर्तमान अनुमानों के अनुसार, मार्च-अप्रैल तक तिरछी खुदाई से कोयले की सतह तक पहुंचा जा सकेगा । अन्य दो खानों पर भी कुछ महीनों में ही जब कि मंगवाई गई मशीनरी आनी शुरू हो जायेगी, काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रतिकर का भुगतान

†*३७. **श्री दी० चं शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष में अब तक पश्चिमी पाकिस्तान के उन दावेदारों में से जिन्होंने १ अगस्त से अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में प्रतिकर के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है; और

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पुनर्वास मंत्री ने सदन में २८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२७ के उत्तर में कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से प्रतिकर के लिये प्रार्थनापत्र लेने की अन्तिम तिथि २६-९-१९५५ थी। उस तिथि के बाद केवल वही प्रार्थनापत्र लिये गये थे, जिन के मामलों में विलम्ब को माफ कर दिया गया था। १-८-१९५६ से ३०-९-१९५६ तक विलम्ब की माफी दिये जाने के बाद २१८५ प्रार्थनापत्र दिये गये थे। यह मालूम नहीं है कि इतने प्रार्थनापत्रों में से कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान के उन दावेदारों की कुल संख्या, जिन्हें १ अगस्त, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५६ तक की अवधि में प्रतिकर दिया गया १३,३६९ है। इसके अतिरिक्त, उन ३८६४ दावेदारों को भी, जिन्हें अन्तरिम प्रतिकर दिया गया था, इसी अवधि में प्रतिकर की अन्तिम किस्त दे दी गई है। इसके अतिरिक्त १३७६ मामलों में प्रतिकर की ग्राह्यता के प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं और ६९ मामलों में इन प्रतिकरों के आधार पर ऋण भी दिये गये हैं। ३०-९-१९५६ को कुल ३,३१,७२८ प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे। अक्तूबर, १९५६ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

हाल के भूकम्प से नुकसान

†*३८. **डा० राम सुभग सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री काजरोल्कर :
श्री कामत :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० अक्तूबर, १९५६ के भूकम्प के फलस्वरुप दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में कितनी सरकारी इमारतें गिरीं या उनको हानि पहुंची;

(ख) कितने निजी मकान गिरे या उनको हानि पहुंची;

(ग) इन मकानों के गिरने के कारण कितने आदमी तथा पशु मरे; और

(घ) क्या भूकम्प के कारणों की जांच की गई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पु० शे० नास्कर)** : (क) दिल्ली में या उत्तर भारत के किन्हीं अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन कोई सरकारी इमारत १० अक्तूबर, १९५६ के भूकम्प के कारण नहीं गिरी। कुछ रिहाइशी और गैर-रिहाइशी इमारतों में दरारें देखी गई थीं।

(ख) और (ग). यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पारपत्र

†१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों की कुल संख्या क्या है, जिन्होंने चालू वर्ष में अब तक विदेशों में जाने के लिए पारपत्र दिये जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं;

(ख) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या देशवार क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों की कुल संख्या देशवार क्या है, जिन्हें वस्तुतः पारपत्र दिये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जनवरी से ३० सितम्बर, १९५६ तक ४१,१५४ व्यक्तियों ने पारपत्र सुविधाओं के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पारपत्र प्रार्थनापत्रों सम्बन्धी आंकड़े देशवार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस अवधि में ३५,८३३ व्यक्तियों को पारपत्र दिये गये। ऊपर बताये गये कारणों से देशवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

फिल्मों का निर्यात

†३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक कुल कितनी फिल्में, उनके नामों सहित, विदेशों को, देशवार, निर्यात की गई हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार तथा नौपरिवहन लेखों में फिल्मों के निर्यात के आंकड़े पृथक् रूप से नहीं रखे जाते हैं।

दुकानें और प्रदर्शनालय

†४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत ने कितनी दुकानें या प्रदर्शनालय खोले हैं; और

(ख) उन देशों के तथा भारत के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये दुकानें या प्रदर्शनालय खोले गये हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी

†५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से कुल कितने शरणार्थियों को अब तक भारत में (राज्यवार) बसाया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : राज्यवार आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं, और ऐसी जानकारी इकट्ठी करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह संभावित परिणामों के सम्मानुपातिक नहीं होगा। तथापि माननीय सदस्य का ध्यान पुनर्वास मंत्रालय की १९५५–५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ ५२ की ओर आकर्षित किया जाता है। उस पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई है कि कितने परिवारों को भूमि देकर बसाया गया है और कितनों को नौकरी दफ्तरों के

†मूल अंग्रेजी में।

द्वारा काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऋणों द्वारा और उद्योगों को स्थापित कर के, बहुत से लोगों को दुकानें खोलने और छोटे उद्योग स्थापित करने और उद्योगों आदि में नौकरी पाने योग्य बनाया गया है। ऋणों और उद्योगों की स्थापना के लिये दी गई राशि से सम्बन्धित जानकारी रिपोर्ट के पृष्ठ ५३ पर मिलेगी।

कोरियन युद्धबन्दी

†६. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भूतपूर्व कोरियन युद्धबन्दी अब भी भारत की अभिरक्षा में है ;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) उनमें से कितनों ने किस-किस देश में रहने का निश्चय किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) १७ भूतपूर्व कोरियन युद्धबन्दी अब भी भारत की अभिरक्षा में हैं।

(ग) नौ भूतपूर्व युद्धबन्दी मैक्सिको जाना चाहते हैं। इनमें से पांच ने अर्जेन्टीना को दूसरे विकल्प के रूप में चुना है। पांच भारत में रहना चाहते हैं और एक उत्तरी कोरिया जाना चाहता है।

शेष दो ने आर्जेन्टीना को चुना था, किन्तु वे अस्वस्थ पाये गये और इसलिये उन्हें वहां नहीं भेजा जा सका।

फिल्म सेंसर बोर्ड

†७. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री उन विदेशी फिल्मों की संख्या शीर्षकों सहित बताने की कृपा करेंगे जिनके प्रदर्शन पर १ अप्रैल, १९५५ से अब तक के काल में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया अथवा काटा गया ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : १ अप्रैल, १९५५ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा ७३ विदेशी फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया है जबकि २३० फिल्मों को कटौती करके प्रमाणपत्र दिया गया। बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान आठ फिल्मों को बाद में सरकार द्वारा अमाणित घोषित किया गया। फिल्मों के शीर्षक दर्शाते हुये एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४**]

तेलंगाना में तारघर

†८. **श्री अचलू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में तेलंगाना, हैदराबाद राज्य, में कितने तारघर खोले गये; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितने और तारघरों के खोले जाने की संभावना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ७।

(ख) ७।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेशम उद्योग

†९. **श्री केशव आय्यंगार :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५–५६ में मैसूर सरकार द्वारा रेशम उद्योग के विकास सम्बन्धी क्या-क्या योजनायें प्रस्तुत की गयीं तथा मैसूर राज्य के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि दी गयी; और

(ख) मैसूर राज्य द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी व्यपगत होने के रूप में वापस कर दी गयी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) सन् १९५५–५६ की योजनायें तथा स्वीकृत राशि दर्शाते हुये एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**] यह राशि मैसूर सरकार को अभी दी नहीं गयी है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष की बिना खर्च की हुयी बड़ी राशियां उनके पास शेष हैं ।

(ख) ३१–३–५५ तक राज्य सरकार को दी गयी कुल १३,०१,२४५ की अनुदानों की राशि में से उसने ३१–३–५६ तक ४,७०,८९४ रुपये खर्च किये हैं । शेष राशि राज्य सरकार ने वापस नहीं की है ।

रेशमी वस्त्र

†१०. **श्री केशव आय्यंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से इस समय बनारस का कितना रेशमी वस्त्र निर्यात किया जाता है; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). देश से प्रत्येक स्थान से किये गये निर्यात के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् व्यापारिक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । सन् १९५५ में ३३·०७ लाख रूपये के मूल्य का रेशमी वस्त्र निर्यात किया गया था ।

चीन में भारतीय शिष्टमंडल

†११. **श्री हेम राज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ और १९५६ में संसदीय शिष्टमंडलों के अतिरिक्त कितने भारतीय शिष्ट-मण्डल चीन गये और उनमें कितने-कितने व्यक्ति थे; और

(ख) इन्हीं वर्षों में कितने शिष्टमंडल चीन से भारत आये; और

(ग) चीन जाने वाले विभिन्न भारतीय शिष्टमण्डलों पर कितना व्यय किया गया तथा चीन से भारत आने वाले शिष्टमंडलों पर कितना व्यय किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सन् १९५५ में निम्नलिखित चार भारतीय शिष्टमंडल चीन गये :

(१) भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमण्डल जिसमें ५६ सदस्य थे तथा जिसका नेतृत्व उपमंत्री श्री चन्दा ने किया । इसमें नर्तक, गायक तथा अन्य कलाकार थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) ग्यारह सदस्यों का भारतीय फिल्म शिष्टमंडल जिसके नेता श्री पृथ्वी राज कपूर थे। शिष्टमंडल में अभिनेता तथा फिल्म निर्माता थे।

(३) भारतीय अध्यापक तथा विद्यार्थी शिष्टमण्डल जिसमें ३२ सदस्य थे तथा जिसके नेता श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर थे।

(४) भारतीय चिकित्सक शिष्टमंडल जिसमें पांच डाक्टर थे तथा जिसके नेता लेफ्टिनेंट कर्नल एम० एल० अहूजा थे।

सन् १९५६ में निम्नलिखित चार भारतीय शिष्टमंडल चीन गये :

(१) प्रतिरक्षा सेवाओं का शिष्टमंडल जिसमें तीनों सशस्त्र सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ सदस्य थे तथा जिसके नेता लेफ्टिनेंट जनरल जे० एन० चौधरी थे।

(२) सात सदस्यों का योजना आयोग शिष्टमंडल जिसमें कृषि सहकारिता के अध्ययन के लिये सहकारी संगठनों के विशेषज्ञ थे तथा जिसके नेता श्री एस० के० पाटिल थे।

(३) छ० सदस्यों का कृषि शिष्टमंडल जिसमें कि चीनी कृषि-आयोजन तथा टेकनीक के अध्ययन के लिये कृषि विशेषज्ञ थे तथा जिसके नेता श्री एम० वी० कृष्णप्पा थे।

(४) चीनी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिये तीन सदस्यों का योजना आयोग शिष्टमंडल जिसके नेता श्री पीताम्बर पंत थे ।

(ख) सन् १९५५ में निम्नलिखित दो चीनी शिष्टमंडल भारत आये :

(१) जनवरी, १९५५ में चीनी वैज्ञानिक शिष्टमंडल, जिसमें ९ सदस्य थे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आया।

(२) चीनी चिकित्सक शिष्टमण्डल जिसमें पांच सदस्य थे जिसके नेता डा० कोलिन थे।

सन् १९५६ में निम्नलिखित दो चीनी शिष्टमंडल भारत आये :

(१) सितम्बर, १९५६ में, ७५ दिन की भारत यात्रा के लिये श्री च्योंग ची चेन के नेतृत्व म २० सदस्यों का चीनी कृषि विज्ञान अध्ययन मिशन भारत आया।

(२) जनवरी, १९५६ में चीनी वैज्ञानिक शिष्टमण्डल जिसमें दो सदस्य थे भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आया।

(ग) इन शिष्टमंडलों पर किये गये व्यय का पूरा ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है, अंशतः इसलिये कि व्यय केन्द्रीय सरकार के कई मंत्रालयों और संबद्ध तथा अधीनस्थ विभागों एवं राज्य सरकारों द्वारा किया गया था और इसलिये आंकड़े अनेक सूत्रों से एकत्रित किये जाने हैं।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

†१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सारे उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में कुल कितने नये स्कूल खोले गये;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सरकार ने इस दिशा में प्रस्तावित लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में ६९ माकूल (६७ प्राइमरी, १ मिडिल और १ हाई स्कूल) कार्य कर रहे थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १०८ प्राइमरी स्कूल, ११ मिडिल स्कूल तथा १ हाई स्कूल खोलने का उपबन्ध किया गया था। गत पांच वर्षों में ८५ नये प्राइमरी स्कूल, १४ मिडिल स्कूल तथा २ हाई स्कूल खोले जा चुके हैं।

(ख) नये स्कूलों के खुलने पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

	रुपये
८५ प्राइमरी स्कूल	८,८१,०००
१४ मिडिल स्कूल	३,१०,०००
२ हाई स्कूल	२,०३,०००
योग	१३,९४,०००

हैदराबाद सोना खदानें

†**१३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद सोना खदान कम्पनी के मज़दूरों (जो १७ सितम्बर, १९५६ से हड़ताल पर हैं) और प्रबन्धकों के मध्य विवाद के निपटाने के लिये प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा क्या क़दम उठाये गये; और

(ख) हड़ताल के परिणामस्वरूप कुल कितने सोने के उत्पादन की हानि हुई ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), सिकन्दराबाद, ने सम्बन्धित दलों में समझौता कराने के लिये उनसे बात चीत की। ३० अक्तूबर, १९५६ को हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी गयी।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

वायदा बाज़ार

१४. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ में कुल कितने वायदा बाज़ार थे;

(ख) वे कहां-कहां पर थे और उनमें किन वस्तुओं का व्यापार होता था;

(ग) इस वर्ष में कितने नये वायदा बाज़ार खोले गये हैं और कहां-कहां पर; और

(घ) उनमें किन वस्तुओं का व्यापार होता है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मान्यता प्राप्त वायदा बाज़ार दो थे।

(ख) वे बम्बई में थे और उनमें रूई तथा अरंडी का व्यापार होता था।

(ग) चौदह : नये वायदा बाज़ार बम्बई, राजकोट, सांगलीय, अहमदाबाद, दिल्ली, अडोनी, इंदौर तथा हैदराबाद में खोले गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) इनमें मूंगफली (गिरि और तेल), अलसी, बिनौले, अरण्डी, हल्दी और रूई का व्यापार होता है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

†**१५. श्री जेठालाल जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५–५६ में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित वस्तुएं विदेशी उत्पादों की तुलना में किस्म तथा मूल्यों की दृष्टि से कैसी थीं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : विदेशों में उत्पादित इसी प्रकार की सर्वोत्तम खराद से यहां के उत्पादन की तुलना अनुकूलतापूर्वक की जा सकती है। यहां उत्पादित खराद का मूल्य ३२,००० रुपये है जब कि विदेशों से आयतित खराद का तटमूल्य ३९,००० रुपये बैठता है।

सौराष्ट्र में टेलीफोन

†**१६. श्री जेठालाल जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र के कौन-कौन से नगरों में टेलीफोन हैं;

(ख) सितम्बर, १९५६ के अन्त में सौराष्ट्र में कुल कितने टेलीफोन प्रयोग में थे;

(ग) क्या सौराष्ट्र में सन् १९५६–५७ में किन्हीं और स्थानों पर टेलीफोन लगाने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सौराष्ट्र में जिन नगरों में टेलीफोन हैं उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) ३,७२९।

(ग) और (घ). जी, हां। जिन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का विचार है उनकी एक सूची सभा पल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

बागान मज़दूरों सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना

†**१७. श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित सरकारों द्वारा बागान मज़दूरों सम्बन्धी गृह निर्माण योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). बागान मज़दूरों सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना से सम्बन्धित दस राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में से आसाम ने इस योजना के प्रशासन के लिये आवश्यक नियम बना लिये हैं तथा हकदार बागान-मालिकों से सहायता के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं। बिहार तथा हिमाचल प्रदेश ने योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक नहीं समझा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

शेष सम्बन्धित सात राज्यों तथा संघ क्षेत्रों, नामतः मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, केरल तथा त्रिपुरा ने योजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक प्राथमिक प्रबन्ध अभी पूरे नहीं किये हैं ।

ग्रामीण आवास योजनायें

†१८. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण आवास योजनाओं के विषय में शीघ्रता करने के लिये राज्य सरकारों को कोई आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं की क्या स्थिति है; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ग्रामीण आवास की अग्रिम परियोजनायें स्थापित करने के लिये केन्द्रीय योजना अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है । फिर भी राज्य सरकारों को इस बीच आवास की प्रस्थापित अग्रिम परियोजनाओं के लिये उपयुक्त गांव चुनने को कहा गया है ।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये नियत की जाने वाली धनराशि इस बात पर निर्भर होती कि उसमें कितनी अग्रिम परियोजनायें चालू की जायेंगी और यह उसी समय तय किया जायेगा जबकि योजना अंतिम रूप से बन जायेगी ।

उड्डयन क्लब

†१९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ग्लाइडिंग क्लबों में कितन प्रशिक्षार्थी हैं;

(ख) प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि कितनी है; और

(ग) १९५५–५६ में प्रत्यक प्रशिक्षार्थी पर औसतन कितना खर्च किया गया ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अक्तूबर, १९५६ में विभिन्न ग्लाइडिंग क्लबों में प्रशिक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :

१. ग्लाइडिंग सेंटर, पूना ...	४१
२. ग्लाइडिंग सेन्टर इलाहाबाद	८
३. ग्लाइडिंग सन्टर, बंगलौर ...	२२
४. दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, नई दिल्ली	१५
कुल	८६

(ख) प्रशिक्षण की कोई अवधि निर्धारित नहीं है । वह प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की नियमित उपस्थिति और उसकी स्वाभाविक उड्डयन क्षमता पर निर्भर होता है । औसतन एक नियमित उपस्थिति तथा

†मूल अंग्रेजी में ।

औसतन उड्डयन क्षमता वाला प्रशिक्षार्थी ५०–६० शिक्षात्मक उड्डयनों के बाद लगभग तीन हफ्ते में उड़ सकता है ।

(ग) १९५५–५६ में पूना ग्लाइडिंग सेंटर और दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब में कुल ६७,६२० रुपये की लागत पर कुल १२७ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये । प्रति प्रशिक्षार्थी पर औसतन खर्च ५३३ रुपये पड़ता है । इलाहबाद और बंगलौर के ग्लाइडिंग सेंटर्स अभी हाल ही में स्थापित किये गये हैं और वहां प्रशिक्षण की लागत इन आंकड़ों में शामिल नहीं है ।

सूडान

†२०. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अभी तक कितने न्यायिक, शैक्षणिक और अन्य टेक्नीकल कर्मचारी सूडान भेजे ह ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: कुल ७० जिन में ६ न्यायिक, ६ शैक्षणिक और शेष टेक्नीकल तथा अन्य कर्मचारी हैं ।

सहकारी कताई मिलें

†२१. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी कताई मिलें स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अंश-पूंजी क्या होगी; और

(ग) वे किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). हाथकरघा बुनकरों को आर्थिक मूल्य पर सूत दिलाने में सहायता करने के लिये सरकार सहकारी समितियों को सहकारी कताई एकक स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दे रही है । अब तक अनुज्ञप्ति प्राप्त ऐसे एककों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

घानी तेल तैयार करना

†२२. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री १६ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घानी तेल के बनाने के विकास के लिये पंजाब राज्य में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी है;

(ख) तेलियों की कितनी सहकारी समितियां ऐसा तेल तैयार कर रही हैं;

(ग) ऐसी कितनी समितियां हैं जिन्हें टेक्नीकल या अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गयी है जिसके फलस्वरूप वे काम नहीं कर रही हैं; और

(घ) तेलियों की निष्क्रिय सहकारी समितियां चलाने के लिये क्या कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) घानी तेल उद्योग के विकास के लिये पंजाब में (पुनर्गठन के पूर्व) निम्न विशिष्ट कार्यवाही की गयी है :

(१) ओयल, लड़वा, कदकड-यदन, कुलथौम, अबोहर और पट्टीकल्याणी में स्थापित ९ आदर्श प्रदर्शन केन्द्रों में उत्पादन शुरू हो गया है ।

(२) घानी तेल की बिक्री पर सहायता कमाने के लिये २८ घानियां अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत बिक्री अभिकर्ताओं के पास पंजीकृत की गयी हैं ।

(३) सहकारी समितियों को संगठित करने के लिये आवश्यक कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

(४) पंजीबद्ध संस्थाओं और सहकारी समितियों को तेलहन खरीदने और इकट्ठा करने, सहायता प्राप्त आधार पर घानियां खरीदने और घानी तेल की बिक्री पर २ रुपये ८ आने प्रति मन खरीददारों को छूट देने के लिये वित्तीय सहायता दी गयी है ।

(ख) १६ ।

(ग) १३ ।

(घ) ऐसी कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है । फिर भी वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिये समितियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है ।

दस्तकारी का प्रशिक्षण

†२३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने उम्मीदवारों को विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजने की प्रस्थापनाओं पर कोई अंतिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन उम्मीदवारों को, किन-किन दस्तकारियों के लिये और किन-किन देशों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). दस्तकारी बोर्ड प्राप्त प्रस्थापनायें अभी विचाराधीन हैं ।

डाकियों के लिये परीक्षा

†२४ **श्री धूसिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में गोरखपुर डिविज़न में डाकियों के लिये आखिरी परीक्षा कब हुई; और

(ख) कितने उम्मीदवार सफल घोषित किये गये और क्या सभी को अब तक काम पर रखा जा चुका है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) •१८–१२–५५ ।

(ख) केवल ४ उम्मीदवार सफल घोषित किये गये थे और उन सभी को काम पर रख लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१–२६
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१	बर्मा-शैल तेल शोधनशाला ...	१–३
२	कोयला खान भविष्य निधि योजना	३
३	मजूरी बोर्ड	३–४
४	भारत में फ्रांसीसी बस्तियां	४–६
५	वस्त्र उत्पादन ...	६–७
६	भारत-पाकिस्तान सीमा	७–८
७	गांधी समाधि	८–९
८	आकाशवाणी में संस्कृत भाषा के कार्यक्रम	९
९	राम चरखा	१०
१०	नाभिकीय परीक्षण	१०–११
१२	मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड	१२
१३	विस्थापित विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें	१२–१३
१४	रानीगंज कोयले की खान में हड़ताल	१३–१५
१६	निर्यात संवर्धन परिषद् ...	१५–१६
१७	दियासलाई उद्योग	१६–१७
१८	नाभिकीय परीक्षण ...	१७–१८
१९	वायदे के सौदे	१८–१९
२१	दिल्ली में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों की हड़ताल	२०–२१
२२	मलाया में भारतीय	२१–२२
२४	कोथागुडियम में जल संभरण	२२
२५	पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	२२–२३
२७	भारत-पाकिस्तान सम्मेलन	२३–२४
२८	समुद्री मार्ग द्वारा आने वाली विदेशी डाक	२४–२५
३०	व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय परिषद् ...	२५–२६
३२	विशाखापटनम् की सूखी गोदी	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६–४०
तारांकित प्रश्न संख्या		
११	वस्त्र निर्यात	२६–२७
१५	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	२७
२०	कलकत्ता में खादी प्रदर्शनकक्ष	२७–२८

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		२६–४२
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
२३	हथकरघों का पंजीयन	२८
२५	नोपरिवाहकों का पाठ्यक्रम	२८–२९
३१	गिरीडीह कोयला खानें	२९
३३	अशोक होटल	२९
३४	दस्तकारी उद्योग	३०
३५	केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई ...	३०
३६	कोरबा कोयला क्षेत्र	३०
३७	प्रतिकर का भुगतान	३१
३८	हाल के भूकम्प से नुकसान	३१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१	पारपत्र ...	३२
३	फिल्मों का निर्यात	३२
४	दुकानें और प्रदर्शनालय	३२
५	पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी	३२–३३
६	कोरियन युद्धबन्दी	३३
७	फिल्म सैंसर बोर्ड	३३
८	तेलंगाना में तारघर	३३
९	रेशम उद्योग	३४
१०	रेशमी वस्त्र	३४
११	चीन में भारतीय शिष्टमंडल	३४–३५
१२	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण	३५–३६
१३	हैदराबाद सोना खदानें	३६
१४	वायदा बाज़ार ...	३६–३७
१५	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	३७
१६	सौराष्ट्र में टेलीफोन	३७
१७	बागान मज़दूरों सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना	३७–३८
१८	ग्रामीण आवास योजनायें	३८
१९	उड्डयन क्लब	३८–३९
२०	सूडान ...	३९
२१	सहकारी कताई मिलें	३९
२२	घानी तेल तैयार करना ..	३९–४०
२३	दस्तकारी का प्रशिक्षण ...	४०
२४	डाकियों के लिये परीक्षा	४०

M1LSD—190—28-1-58—GIPF.

Chamber Fumigated..18/4/23

लोक-सभा
वाद-विवाद

भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

खण्ड ९, १९५६

(१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १९५६)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 20.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ९ में अंक १ से १५ हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

खण्ड ९ — अंक १
१४ नवम्बर, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में)

दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

श्री भवानी सिंह का निधन १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी के बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का रुख उत्तर १–२

प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिया जाना २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४–६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७

सदस्यों के त्यागपत्र ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८–२८

श्री पाटस्कर ८–१४, २४–२६

श्री नि० चं० चटर्जी ... १४–१५

श्री साधन गुप्त १५–१७

श्री उ० मू० त्रिवेदी ... १७–२०

श्री टेक चन्द २१–२२

श्री कासलीवाल २२–२३

श्री बर्मन २३–२४

श्री ह० ग० वैष्णव २४

खण्ड १ से १६ ... २६–२८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८

श्री पाटस्कर २८

श्री मूलचन्द दुबे २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामी-प्राधिकारी) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २८–४४

श्री दातार २८–३०, ३२–३६

श्री ले० जोगेश्वर सिंह : ... ३०–३१

श्री सिंहासन सिंह ३१

श्री म० कु० मैत्र ३१–३२

खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ३६–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४४

श्री दातार ४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४८

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९ भारत की प्रथम संसद् के चौदहवें सत्र का प्रथम दिन अंक १

लोक-सभा

बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** (**श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार**) पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२ मध्याह्न

श्री भवानी सिंह का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री भवानी सिंह के, जो बारमेर जाल्लोर, राजस्थान से इस सभा के लिये निर्वाचित सदस्य थे, दुखद निधन की सूचना देनी है। उनके निधन से हुई क्षति पर हमें दुःख है। मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को समवेदना भेजने में सभा मेरा साथ देगी। सदस्य कृपया एक मिनट के लिये मौन खड़े हो जायें।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मौन खड़े होने से पहले मैं स्वतन्त्र सदस्यों के समूह की ओर से जिसके वे एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं। यदि माननीय सदस्य सभा में कोई ऐसी बात कहना चाहते थे तो उन्हें मुझे इस बात की सूचना पहले दे देनी चाहिये थी। मैंने सदस्यों से खड़े होने के लिये अनुरोध किया है।

सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे

स्थगन प्रस्ताव

हंगरी के सम्बन्ध में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का रुख

†**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ९ नवम्बर, १९५६ को हंगरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार के रुख के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व सूचना मुझे श्री कामत से प्राप्त हुई है।

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

मुझे प्रधान मंत्री से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है :

"मैं लोक-सभा में १६ नवम्बर को एक वक्तव्य देने का इरादा रखता हूं। इस मामले के बारे में मैं उसी समय कुछ कहूंगा। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लोक-सभा में शीघ्र ही वाद-विवाद होगा। इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं कि इस मामले को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है।"

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद): मैं यह अनुरोध करता हूं कि शुक्रवार को वक्तव्य दिये जाने के बाद ही अथवा सोमवार को वाद-विवाद किया जाये। विश्व भर की दृष्टि से यह मामला अत्यधिक महत्व रखता है और इसमें जरा भी देर न की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : १६ तारीख को वक्तव्य दिया जायेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यह चाहते हैं कि वाद-विवाद शीघ्रातिशीघ्र हो। वाद-विवाद शुक्रवार को अथवा सोमवार को रखा जाता है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह तो सभा के कार्य के लिये नियत समय में से कुछ समय निकालने की बात है। वाद-विवाद के लिये सरकार कोई भी दिन स्वीकार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज अपरान्ह ४ बजे होगी। हम तारीख और समय निश्चित कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पंडित सु० चं० मिश्र से एक और स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व-सूचना प्राप्त हुई है जो चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को, यद्यपि चुनाव आयोग द्वारा निश्चित की गई शर्तों को यह पार्टी पूरा करती है, एक राज्य पार्टी स्वीकार करने से इन्कार के बारे में है।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मेरा ख्याल है कि स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व सूचना मुझे केवल एक घण्टा पहले प्राप्त हुई। मेरा ख्याल है कि इस मामले के बारे में कोई जल्दी की बात नहीं है। पार्टी को चुनाव-चिन्ह दिये जाने के बारे में यदि माननीय सदस्यों को कोई शिकायत है, और यदि वे कोई अभ्यावेदन करें, तो मैं पूछताछ करके उन्हें या स्वयं सभा को जानकारी दे दूंगा।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री की इस बात का आशय मेरी समझ में नहीं आया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हमने चुनाव आयोग को लिखा और उसने अन्तिम रूप से यह कहा कि हमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा। माननीय मंत्री यदि बाद में उसे ठीक करने का वचन देते हों तो मैं स्थगन-प्रस्ताव पर जोर न दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : यह भी ध्यान रहे कि चुनाव आयोग एक स्वाधीन संवैधानिक प्राधिकार है। सभा को जो कुछ जानकारी मैं दे सकता हूं उसे मैं गुप्त नहीं रखना चाहता। यही मैंने कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव को मेरे द्वारा अनुमति दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री से बात कर सकते हैं और उन्हें अभ्यावेदन दे सकते हैं। मेरा विश्वास है कि विधि और संविधान के अधीन जो कुछ सम्भव है वह किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री साधन गुप्त से एक अन्य स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व सूचना प्राप्त हुई है जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में है ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** ये धारणायें कहां तक सही है, यह तो मैं नहीं जानता । प्रतीक हड़ताल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मेरा ख्याल है कि यह हड़ताल अभी हुई नहीं है । जहां तक वार्ताओं का सम्बन्ध है मैंने कुछ समय पहले जीवन बीमा निगम में काम करने वाले लिपिकों और अन्य अफसरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें सरकार का दृष्टिकोण समझाया था । जहां तक वेतनक्रमों का सम्बन्ध है मैंने पिछले सत्र के अवसान से पहले सभा में एक वक्तव्य अवश्य दिया था । हमने जो आश्वासन दिया था उसे हमने पूरा किया है और किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके अतिरिक्त इस स्थगन-प्रस्ताव पर मैं और कोई विशेष बात नहीं कह सकता और न मैं यही कह सकता हूं कि इस विशिष्ट मामले में कोई ऐसी अत्यावश्यक बात है जिस पर चर्चा करने के लिये सभा का स्थगन हो ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस आशय के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और हम जानते हैं कि कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया है । माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की है किन्तु वास्तव में बात यह है कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला । किन्तु इसे वार्ता नहीं कहा जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रतीक हड़ताल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है । इस प्रयोजन के लिये केवल कोई धमकी अथवा कोई प्रकाशित समाचार पर्याप्त नहीं है । कर्मचारियों के साथ सरकार की बातचीत के तरीके के प्रत्येक ब्योरे पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती माननीय मंत्री ने इस विषय में बता दिया है कि क्या सरकार सामान्यतः सावधान है अथवा उसमें दिलचस्पी ले रही है या नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि अन्य सब वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । इस स्थगन-प्रस्ताव पर मेरे द्वारा अनुमति दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : हड़ताल हो जाने से पहले यह प्रबन्ध करना आवश्यक है कि वह टल जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** व ऐसा कर रहे हैं । माननीय मंत्री ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की है ।

†**श्री साधन गप्त :** वार्ता सम्बन्धी ब्योरे का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई बातचीत नहीं हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । इससे पहले के सत्र में भी यह बात उठाई गई थी । माननीय मंत्री ने कहा "हम वेतनक्रमों को निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जीवन-बीमा समवाय कई हैं और प्रत्येक का वेतन-क्रम भिन्न है.....आदि ।" इस परिस्थिति में कोई कार्यवाही करना समय से पूर्व की बात होगी । हमें कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त** : वेतनक्रम निर्धारित हो चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वेतनक्रम निर्धारित कर दिये गये हैं तो ठीक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन आदेश

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: श्री अ० प्र० जैन की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) ५ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०३३ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियन्त्रण) आदेश, १९५६ ।

(२) ५ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०३४ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं (यातायात नियन्त्रण) आदेश, १९५६ ।

(३) १७ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०९८ में प्रकाशित बम्बई गेहूं (यातायात नियन्त्रण) आदेश, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये एस---४२२/५६; एस---४२३/५६; एस---४२४/५६]

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड नियमों में संशोधन

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : म श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २० की उपधारा (३) के अधीन श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली, २२ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१३६ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये एस---४२५/५६]**

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं लोक-सभा के १९५६ के तेरहवें सत्र के अवसान के बाद राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अधीन प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(एक) हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ५) ।

(दो) निष्क्रान्त संपत्ति का प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ६)।

(तीन) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ७)।

(चार) मार्ग परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ८) ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(पांच) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ९) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४२८/५६; एस—४२९/५६; एस—४३०/५६; एस—४३१/५६ और एस—४३२/५६]

हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९ के उप-नियम (२) के अनुसरण में हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ५) के बारे में व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति पटल पर रखूंगा ।

विवरण

हैदराबाद के राज्य बैंक की अंश पूंजी भारत के रिजर्व बैंक को हस्तांतरित करने और उसके उचित प्रबन्ध का उपबन्ध करने के लिये २८ अगस्त, १९५६ को हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक, १९५६ लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था । परन्तु, समयाभाव से उस समय लोक-सभा द्वारा उस पर विचार आरम्भ नहीं किया जा सका ।

हैदराबाद राज्य बैंक वर्तमान हैदराबाद राज्य के सभी क्षेत्रों की वित्तीय और बैंकिंग व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग बना है । उस राज्य में भारत के रिजर्व बैंक के अभिकर्त्ता[1] के रूप में वह राज्य के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में रोजमर्रा का नकदी की लेन-देन का कार्य करता रहा है । राज-कोष का कार्य करने और राज्य के बैंकों और जनता के लिये धन भेजने और विनिमय की सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये, हैदराबाद का राज्य बैंक अपनी प्रत्येक शाखा में रिजर्व बैंक के निगम विभाग[2] की मुद्रा पेटियां[3] और भारत सरकार के छोटे सिक्कों के डिपुओं का रख-रखाव करता रहा है । हैदराबाद राज्य के क्षेत्र में ३३ ऐसे स्थान हैं जिनमें हैदराबाद का राज्य बैंक राज-कोष का कार्य करता रहा है और इनमें से २५ केन्द्रों में मुद्रा-पेटियां और छोटे सिक्कों के डिपो रखे गये हैं । राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये सभी केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, बम्बई और मैसूर के नये राज्यों में बंट गये हैं । पुर्नगठन के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बैंकिंग और राज-कोष की व्यवस्था को गंभीर रूप से छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिये यह आवश्यक हो गया कि राज्यों का पुर्नगठन होने से पहले ही हैदराबाद के राज्य बैंक के गठन, विधान और प्रबन्ध में उपयुक्त परिवर्तन कर दिया जाये ।

यह स्पष्ट है कि हैदराबाद के राज्य बैंक के विषय में हैदराबाद राज्य-सरकार जिन विशेष शक्तियों का प्रयोग कर रही थी उनको भी तीनों राज्य सरकारों के बीच बांटा नहीं जा सका । बैंक का कार्य सुचारू रूप में चलाने के लिये यह अत्यावश्यक था कि बैंक पर इस प्रकार का एक एकीकृत-नियन्त्रण हो जिससे वह सरकारी बैंकिंग और राज-कोष को कार्य कुशलता-पूर्वक चला सकें और उसके साथ ही साथ बैंकिंग और ऋण देने की सुविधाओं का विस्तार कर सकें । इसीलिये, हैदराबाद के राज्य बैंक की अंश पूंजी भारत के रिजर्व बैंक को हस्तांतरित करने और उस अव्यवस्था से, जो अन्यथा १ नवम्बर, १९५६ के बाद बैंक के कार्य में आ जाती, बचने के लिये हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Agent.

[2] Department.

[3] Currency Chests.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन निकाली गयी केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(एक) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ११—सी० ई० आर०/५६ ।

(दो) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १२—सी० ई० आर०/५६ ।

(तीन) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १३—सी० ई० आर०/५६ ।

(चार) २९ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १४—सी० ई० आर०/५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४३४/५६]

काफी नियमों में संशोधन

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो)** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अधीन काफी नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली, २९ सितम्बर, १९५६ को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२०१ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४३५/५६]**

केरल के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन केरल राज्य सरकार के सभी कृत्यों को अपने हाथ में लेते हुए, १ नवम्बर, १९५६ को निकाली गई उद्घोषणा की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४३६/५६]**

गोआ के बारे में प्रकाशन

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं ६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के एक अनुपूरक के उत्तर के सम्बन्ध में दी गई प्रतिज्ञा के अनुसरण में गोआ के बारे में निम्नलिखित प्रकाशनों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(एक) गोआ (१५ अगस्त, १९५६) ।

(दो) दि स्टोरी आफ गोआ (गोआ की कहानी)
अंग्रेजी, स्पनिश, पुर्तगाली और अरबी संस्करण ।

(तीन) फक्ट्स एबाउट गोआ (गोआ के बारे में तथ्य) **[पुस्तकालय में रखी गयी । [देखिये संख्या एस—४३७/५६; एस—४३८/५६ और एस—४३९/५६]**

†**श्री कामत** (होशगाबाद): श्री दातार के नाम की मद संख्या ८ के विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा को उद्घोषणा पर विचार करने का अवसर मिलेगा ? यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मझ आशा ह कि हमें उस पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि पिछली बार १३ सितम्बर, १९५६ को दी गयी सूचना के बाद से निम्नलिखित विधेयकों पर, जो संसद् के सदनों द्वारा पिछले सत्र में पारित किये गये, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है :

१. भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

२. राष्ट्रीय राजपथ विधयक , १९५६ ।

३. नदी बोर्ड विधेयक, १९५६ ।

४. भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

५. भारतीय टेक्नालोजी* संस्था (खड़गपुर) विधेयक, १९५६ ।

६. सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

७. लोक सहायक सेना विधेयक, १९५६ ।

८. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

९. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, १९५६ ।

१०. राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

११. लोक ऋण (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

१२. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

१३. भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

१४. लोक-प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

१५. खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक, १९५६ ।

१६. जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक, १९५६ ।

१७. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

१८. संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

सदस्यों द्वारा पदत्याग

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित चार सदस्यों ने, उनके नामों के सामने दिखाई गई तिथियों से, लोक-सभा के अपने स्थान से पदत्याग कर दिया है :

१. श्री निजलिंगप्पा—२७ अक्तूबर, १९५६ ।

२. श्री रा० ना० सिं० देव—१ नवम्बर, १९५६ ।

३. श्री गिरधारी भोई—१ नवम्बर, १९५६ ।

४. डा० नटवर पांडे—१२ नवम्बर, १९५६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*प्रोद्योगिकी ।

विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियुक्त समय को ३० नवम्बर, १९५६ तक बढ़ा दिया जाये ।

हमने कुछ काम किया है और हमें आशा है कि हम इस महीने के अन्त तक उसे समाप्त कर लेंगे । हमें कुछ साक्ष्य भी लेने हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियुक्त समय को ३० नवम्बर, १९५६, तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री कासलीवाल** (कोटा-झालावाड़) : आप इस विधेयक के लिये कितना समय निश्चित करने वाले हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं कि हमें अधिक समय नहीं लेना चाहिये ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : तीन घंटे से कम नहीं होना चाहिये——चार भले ही हों ।

†**श्री पाटस्कर** : दो से तीन घंटे तक का समय रखा जा सकता है ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : तीन घंटे से कम समय नहीं होना चाहिये——बल्कि चार घंटे होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तीन घंटे निश्चित तो किये देते हैं और फिर देखेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला यह विधेयक ७ मई, १९५५ को पहली बार इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था और इसे एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव मैंने २ अगस्त, १९५५ को प्रस्तुत किया था और यह प्रस्ताव १६ अगस्त, १९५५ को स्वीकृत हुआ था । इसके बाद, १६ अगस्त, १९५५ को राज्य-सभा में यह प्रस्ताव——कि वह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से, कि विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, सहमत हो——प्रस्तुत किया गया और १७ अगस्त, १९५५ को उक्त प्रस्ताव उस सभा द्वारा पारित किया गया । संयुक्त समिति ने इस विधेयक के सभी उपबन्धों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और अपना प्रतिवेदन १२ दिसम्बर, १९५५ को पेश किया । संसद् में बहुत अधिक कार्य होने के कारण इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये प्रस्ताव इससे पूर्व पेश नहीं किया जा सका ।

---

†मूल अंग्रेजी म ।

जब मैंने इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया था तो मैंने विधेयक के अनेक खण्डों की, जिनकी संख्या लगभग १८ थी, विस्तृत व्याख्या की थी। संयुक्त समिति ने विधेयक के अनेक उपबन्धों को बिना किसी रूपभेद के स्वीकार कर लिया। केवल थोड़े से ही उपबन्धों के बारे में समिति ने रूपभेद करने या उनको हटा देने का सुझाव दिया है। अतः मैं उन उपबन्धों के बारे में उल्लेख करके सभा का समय नहीं लूंगा जिनकी विस्तृत व्याख्या मैंने पिछले अवसर पर की थी और मैं केवल उन थोड़े से परिवर्तनों को ही लूंगा जिन्हें संयुक्त समिति ने किया है। ये परिवर्तन नीचे दिये जाते हैं :

विधेयक का खण्ड २ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३४ के संशोधन के सम्बन्ध में है। यह धारा न्यायालय को यह अधिकार देती है कि डिग्री की तिथि से कुल राशि के, जिसमें मूलराशि और ब्याज सम्मिलित है, भुगतान की तिथि तक का अग्रेतर ब्याज देने की आज्ञा वह दे सकता है। खण्ड २ में यह सीमा लगा दी गयी है कि डिग्री की राशि पर न्यायालय ब्याज की दर जो निश्चिय करेगा वह ६ प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी। संयुक्त समिति ने इसस अग्रतर यह निश्चित किया कि ६ प्रतिशत से अनधिक ब्याज केवल मूलराशि पर ही दिया जाना चाहिए, कुलराशि पर नहीं जिसमें ब्याज की कुछ राशि भी सम्मिलित होती है। यह समन्याय्य के आधार पर है कि ब्याज की राशि पर ब्याज नहीं दिया जाना चाहिये या दूसरे शब्दों में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया जाना चाहिये।

माननीय सदस्यों को विदित है कि गत अवसर पर मूल विधेयक के खण्ड ५ के सम्बन्ध में इस सभा में काफी चर्चा हुई थी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ एक न्यायालय की डिग्री को दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरित करने के बारे में है और विधेयक के खण्ड ५ में उस धारा की एक उप-धारा का अर्थात उप-धारा (२) जोड़ने की प्रस्थापना की गयी है।

माननीय सदस्य विधेयक को, जिस रूप में उसे पुरःस्थापित किया गया था, देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इस खण्ड के टिप्पण में यह कहा गया था कि इस उप-खण्ड को पुरःस्थापित करने की प्रस्थापना करने के निम्नलिखित कारण हैं :

संविधान के लागू होने के पूर्व भतपूर्व भारतीय राज्यों क न्यायालय विदेशी न्यायालय थे। ऐसे विदेशी न्यायालयों द्वारा दी गयी डिग्रियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ के अधीन भारत न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। संविधान के लागू होने के पश्चात् स्थिति में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गयी थी। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे न्यायालयों द्वारा २६ जनवरी, १९५० के पूर्व दी गयी एक तरफा डिग्रियों को धारा ३९ के अधीन भारत के न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा और न उस तिथि के पूर्व भारत के किसी न्यायालय द्वारा दी गयी किसी एकतरफा डिग्री को किसी भतपूर्व भारतीय राज्य क किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित किया जा सकेगा।

इस सभा म और राज्य-सभा तथा संयक्त समिति में भी इस खण्ड पर पर्याप्त चर्चा हुई।

विचार इस प्रश्न पर करना है कि क्या भतपूर्व भारतीय राज्यों के न्यायालयों द्वारा २६ जनवरी, १९५० के पूर्व दी गयी डिग्रियों को उस तिथि के बाद ब्रिटिश भारत के न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा सकता है, और क्या ब्रिटिश भारत के न्यायालयों द्वारा २६ जनवरी, १९५० के पूर्व दी गयी डिग्रियों को उस तिथि के बाद भतपूर्व भारतीय राज्यों के न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ के अधीन एक न्यायालय, जो डिग्री देता है, डिग्री को कार्यान्वित करने के लिये उसे किसी अन्य न्यायालय के पास भेज सकता है और जिस न्यायालय के पास

[श्री पाटस्कर]

डिग्री भेजी जाती है वह उसे कार्यान्वित कर सकता है। संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय राज्यों के न्यायालय विदेशी न्यायालय समझे जाते थे और उनकी डिग्रियों को भारत में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था जब तक कि ऐसी कोई पारस्परिक व्यवस्था न हो जिसके अनुसार ऐसी कार्यान्विति की अनुमति दी जाये। संविधान के लागू होने पर भारतीय राज्यों के सभी न्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र के न्यायालय हो गये और बाद में, १ अप्रैल, १९५१ को व्यवहार प्रक्रिया संहिता को भाग (ख) राज्यों पर भी लागू कर दिया गया। इस बात पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता कि भारत के किसी न्यायालय द्वारा १ अप्रैल, १९५१ के बाद दी गयी डिग्री को भारत के किसी अन्य न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि संविधान के लागू होने के बाद किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिग्री, उसी प्रकार, कार्यान्वित की जा सकती है यद्यपि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का मत इससे भिन्न है।

२६ जनवरी, १९५० के पूर्व दी गयी डिग्रियों के बारे में कठिनाइयां पैदा होती हैं। किसी भारतीय राज्य के किसी न्यायालय द्वारा उस तिथि के पूर्व दी गयी ऐसी किसी डिग्री को जब भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के किसी न्यायालय के पास कार्यान्विति के लिये भेजा जाता था तो निर्णीत अधमर्ण के सामने उसकी कार्यान्विति के बारे में यही बचाव रहता था कि जैसे उस पर किसी विदेशी निर्णय के आधार पर मुकदमा चलाया गया हो। विचार इस बात पर करना है कि क्या बाद की घटनाओं से, अर्थात ारतीय सं में राज्यों का विलय, संविधान के लागू होने या उस राज्य पर व्यवहार ि या संहिता को लागू करने की स्ि ति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस श्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद रहा है। बम्बई के उच्च न्यायालय का मत है कि यदि कोई डिग्री स्थानीय विधि के अन्तर्गत उचित क्षत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा दी गयी है तो उसे भारत में कार्यान्वित किया जा सकता है। बम्बई के उच्च न्यायालय के इस मत का अनुसमर्थन हैदराबाद, राजस्थान, सौराष्ट्र, पंजाब और मध्य-भारत के उच्च न्यायालयों ने किया है।

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि किसी व्यक्तिगत कार्यवाही में किसी विदेशी न्यायालय द्वारा, जिससे प्रतिपक्षी का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, अनुपस्थिति में दी गई डिग्री शून्य है। इस बात पर भी आपत्ति नहीं की जा रही है कि इस सामान्य सिद्धान्त के होते हुए कोई भी स्थानीय विधि किसी न्यायालय को किसी अन्यत्र-निवासी विदेशी के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे के बारे में कार्यवाही करने का अधिकार दे सकती है।

बम्बई के उच्च न्यायालय का यह मत है कि संविधान लागू होने से पहले किसी भारतीय न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री को संविधान के लागू होने के बाद किसी भारतीय राज्य में क्रियान्वित किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये बम्बई के उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद २६१ (३) को नहीं माना है। इस उच्च न्यायालय के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया संहिता की, जो कि एक स्थानीय विधि है, धारा २० (ग) भारतीय न्यायालयों को अन्यत्र-निवासी विदेशियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों के बारे में कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार दी गई डिग्री शून्य नहीं है और उसका प्रवर्तन अथवा क्रियान्विति भारतीय न्यायालयों तक सीमित थी और उसका कार्यान्वय विदेश में नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रतिपक्षी उस देश के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। बाद में हुई राजनीतिक घटनाओं के कारण प्रतिपक्षी का स्वरूप बदल गया है। भारतीय राज्यों के विलय और संविधान के पारित किये जाने के फलस्वरूप भारतीय राज्यों के निवासी अब भारतीय न्यायालयों के लिये विदेशी नहीं रह गये हैं। डिग्री के कार्यान्वय के मार्ग में जो बाधा थी वह प्रतिपक्षी की संस्थिति में हुए परिवर्तन के कारण दूर हो गई है और जिस डिग्री का कार्यान्वय वहां नहीं किया जा सकता था उसे किसी

भारतीय राज्य में प्रवर्तित और क्रियान्वित किया जा सकता है। बम्बई के उच्च न्यायालय के अनुसार यह निर्णय किसी भी प्रकार व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं करता।

दूसरी ओर मैसूर, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन, कलकत्ता और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय इस मामले में जिस निर्णय पर पहुंचे हैं वह उक्त निर्णय के बिलकुल विपरीत है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने ११ अप्रैल, १९५५ को जो निर्णय किया वह इस विषय पर नवीनतम है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : इलाहाबाद का न्यायालय कलकत्ता के न्यायालय से सहमत है।

†**श्री पाटस्कर** : इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का निर्णय इस विषय पर नवीनतम प्रतीत होता है। इसमें उक्त विषय के पहले के मामलों की चर्चा की गई है। इस उच्च न्यायालय के अनुसार कोई न्यायालय, विदेशियों पर, यदि वे उसके क्षेत्राधिकार में हों, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है और इन दोनों शर्तों में से यदि एक भी मौजूद न हो तो किसी विदेशी के विरुद्ध दी गई डिग्री पूर्णरूपेण शून्य है। यदि इस देश में कोई विशेष स्थानीय विधान हो जिससे न्यायालयों को इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के प्रयोग की शक्ति प्राप्त हो तो वह डिग्री वहां ठीक होगी। यदि इस प्रकार का कोई विशेष स्थानीय विधान नहीं होगा, तो डिग्री, उस देश के अन्दर ही, जिसमें डिग्री देने वाला न्यायालय स्थित है, प्रभावहीन हो जायेगी। अतः जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार विधि सम्बन्धी स्थिति यह है।

यद्यपि उच्च न्यायालयों के निष्कर्ष भिन्न-भिन्न हैं तो भी उनके निर्णयों के विश्लेषण से कुछ बातों के सम्बन्ध में उनके सामान्यतः सहमत होने का पता चलेगा यथा :

(१) किसी भारतीय राज्य में स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दी गई कोई भी डिग्री प्रभावहीन समझी जायेगी, जब तक कि वहां पर कोई ऐसा विशेष स्थानीय विधान न हो जोकि वहां के न्यायालयों को इस प्रकार के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी शक्ति न देता हो;

(२) इस प्रकार का कोई विशेष विधान होने पर भी वह डिग्री संविधान के लागू होने से पूर्व पूर्ववर्ती ब्रिटिश इंडिया में लागू नहीं हो सकती थी।

इसके विपरीत स्थिति को भी ठीक ही कहा जा सकता है। मतभेद तो इस प्रश्न पर उत्पन्न होता है कि क्या वाद की घटनाएं, जैसे राज्य का भारतीय संघ में विलीन होना, अथवा संविधान का पास होना जिसने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा में एक अन्तर पैदा कर दिया है, अब उस डिग्री को निष्पादित करती है या नहीं।

अब इस सम्बन्ध में दो संभव विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये :

(१) कि स्थिति को यथापूर्व रहने दिया जाये तथा इसका निर्णय करने का काम न्यायालयों को सौंप दिया जाये और इस मामले में विधान मण्डल कोई दखल न दे। इससे यह लाभ होगा कि किसी भी राज्य में उस राज्य के उच्चन्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार लागू हुई किसी विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इससे संभव है कि सारे देश में सिवाय उस अवस्था के कि जब तक कि उस विधि के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता, एक जैसी विधि लागू न हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

(२) यह कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर मतभेद को विधान द्वारा दूर कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि इस प्रश्न का कोई पक्का फैसला किया जाये कि क्या (क) बम्बई उच्च न्यायालय तथा उसके दृष्टिकोण से सहमत अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा किये गये निर्णय को लागू किया जाये, अथवा (ख) कलकत्ता तथा इलाहाबाद और उनके दृष्टिकोण से सहमत अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को लागू किया जाये।

यदि उपरोक्त (क) को लागू किया जाना है तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रतिवादी को इस बात का अधिकार दिया जाये कि वह अपने विरुद्ध दी गयी डिग्री को इस आधार पर रद्द कर सकता है कि जब वह पास की गयी थी उस समय वह उस पर लागू नहीं थी। यदि उपरोक्त (ख) को लागू किया जाये, तो यह उपबन्ध लगाना होगा कि डिग्री पाने वाले को इस बात की अनुमति दी जाये कि वह उसी कारण के आधार पर एक नया मुकदमा चला सकता है, और परिसीमन के प्रयोजन से २६ जनवरी, १९५० और व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बीच की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

इस मामले पर संमिति में काफी सोच विचार हुआ था, और दोनों प्रकार के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के पक्ष और विपक्ष में बड़े जोरदार विचार व्यक्त किए गए। संयुक्त समति के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इस प्रक्रम पर विधान द्वारा हस्तक्षेप करना वाञ्छनीय है। संविधान को लागू हुए छः वर्ष हो गये हैं और अब उन राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के द्वारा वहां की उन डिग्रियों के लागू होने के सम्बन्ध में विधि बन गयी है। सम्भव है कि इस समय विधान में कुछ परिवर्तन करने से विभिन्न राज्यों में विद्यमान विधि पर बुरा असर पड़े। इस बात की भी संभावना है कि जब भी यह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने निर्णय के लिये आयेगा, इससे अपने आप सम्पूर्ण भारत के लिये एक समान विधि बन जायेगी। इसीलिये संयुक्त समिति ने यह फैसला किया है कि उस खण्ड में प्रस्थापित एक समान प्रक्रिया न तो व्यावहारिक है और न ही उचित, इसलिये उस खण्ड को छोड़ दिया जाये। अतः इस फैसले के अनुसार विधेयक का मूल खण्ड ५ को बीच में से छोड़ दिया गया है।

मूल विधेयक के खण्ड ५ द्वारा यह व्यवस्था करने को चेष्टा की गई थी, कि 'पूर्व निर्णीत' के सिद्धांत प्राण दण्ड के मामलों पर भी लागू हों। तथापि उच्चतम न्यायालय का एक यह निर्णय भी है जो कि ए० आई० आर० (१९५३) एस० सी० पृष्ठ ६५ पर प्रतिवेदित है कि 'पूर्व निर्णीत' के सिद्धान्त प्राण दण्ड के मामलों पर भी लागू हो सकते हैं। इसलिये इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस खण्ड को अनावश्यक समझा।

विधेयक का मूल खण्ड १३ द्वारा यह उपबन्धित करने को चेष्टा की गई थी कि उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें पीड़ित पक्ष किसी भी न्यायालय के पास अपील कर सकती है, उच्च न्यायालयों के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया जाये। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, इस सभा के बहुत से सदस्यों ने इस निर्बन्धन के सम्बन्ध में आपत्ति की थी। यह सच है कि अब भी उच्च न्यायालय ऐसे मामलों का पुनरीक्षण नहीं करते जिनमें पीड़ित व्यक्ति किसी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसलिये समिति ने इन सभी बातों पर विचार करते हुए यही अच्छा समझा कि कठिन मामलों में उच्च न्यायालयों के इस प्रकार के क्षेत्राधिकारों पर कोई संविहित रोक न हो।

मैं समझता हूं कि संभवतः प्रवर समिति ने सभा में दिए गए कुछ एक मतों के विरुद्ध यह विचार प्रकट किया है कि हमें उच्च न्यायालयों को पहले से ही प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार का दखल नहीं देना चाहियें, और मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने यह ठीक ही निर्णय किया है, और मुझे आशा है कि सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

मूल विधेयक के खण्ड १४ (अब नये खण्ड १२) पर भी पिछली बार पर्याप्त चर्चा हुई थी, और उस समय मैंने विस्तारपूर्वक बताया था कि इस प्रकार के खण्ड की कितनी आवश्यकता है। इस खण्ड में उन व्यक्तियों की सूची दी हुई है जिन्हें न्यायालयों में उपस्थित होने से छूट दी गयी है। प्रवर समिति का यह विचार है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी छूट दी जाये। प्रवर समिति ने इनके नाम भी सम्मिलित करके इस खण्ड को उचित प्रकार से संशोधित कर दिया है।

राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप (ख) भाग राज्य और उनके राजप्रमुखों के पद समाप्त हो गये हैं। अत भाग (ग) राज्य भी समाप्त हो गये हैं, और उनके स्थान पर संघ क्षेत्र के राज्य बन गये हैं। इसलिये खण्ड १२ के अधीन खण्ड १ के उपखण्ड ६ को उचित प्रकार से बदलना होगा। इसके लिये एक उचित संशोधन की मैंने सूचना दे दी है। प्रवर समिति द्वारा मुख्य-मुख्य यही परिवर्तन किए गए हैं और मुझे आशा है कि सभा उन्हें स्वीकार कर लेगी। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित प्रकार के हैं :

(१) वे जिनकी आवश्यकता संविधान में हुए संशोधनों के कारण हुई है। वे विधेयक के खण्ड ५, १२ और १४ में उल्लिखित हैं।

(२) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप जिन असंगतियों का अनुभव किया गया है, उन्हें दूर करने के लिये जिन संशोधनों की आवश्यकता हुई। वे खण्ड ९ और खण्ड १६ के उपखण्ड (१०) में उल्लिखित हैं।

(३) सामाजिक न्याय के विचारों तथा आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आ जाने के कारण जिन संशोधनों की आवश्यकता हुई। वे खण्ड २, ३, ७, और खण्ड १६ के उपखण्ड (७) में उल्लिखित हैं।

(४) कठिन दावों और प्रतिवादों को रोकने के लिये व्यापक और नये उपबन्ध बनाने के लिये जिन संशोधनों की आवश्यकता है। वे खण्ड ४ में उल्लिखित हैं।

(५) जिनकी आवश्यकता निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों को जल्दी से निभाने के लिये है। वे खण्ड ८, १७, में और खण्ड १६ के उपखण्ड (५) में उल्लिखित हैं।

(६) जिनकी आवश्यकता परक्राम्य संलेखों के मामलों के बारे में संक्षिप्त परीक्षणों के अग्रेतर उपबन्ध बनाने के लिये समझी गई। इसका उल्लेख खण्ड १६ के उपखण्ड (८) में दिया गया है।

(७) कार्यवाहियों को कई बार होने से रोकने के लिये। वे खण्ड ६, १० और १५ में उल्लिखित हैं।

विधेयक को इस दृष्टि से कड़ी आलोचना की गई थी कि यह न्याय प्रशासन को शीघ्रता से चलाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध नहीं होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि व्यवहार न्याय प्रशासन के सम्पूर्ण ढांचे को उचित प्रकार से परिवर्तित करने का सारा प्रश्न इस समय विधि आयोग के सामने है, और यह कि आयोग द्वारा सिफारिशें देने में अभी कुछ समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि जब वे सिफारिशें देंगे, संसद् उन पर विचार करेगी और प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन करेगी। यद्यपि इसका क्षेत्र सीमित है, तो भी इस वर्तमान विधान को स्थगित करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उससे कुछ समय के लिये तो अनुतोष मिलेगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समय-समय पर कई छोटे परिवर्तन हुए हैं और इसलिये इसमें भी उपरोक्त परिवर्तन किये जाने चाहिय।

मैंने इस मामले पर उस समय भी स्पष्ट व्याख्या की थी जबकि मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सभा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस छोटे-से

[श्री पाटस्कर]

विधान की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक के उपबन्ध सरल हैं और वे अधिकांश विवाद रहित हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सभा मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कामत** : पूर्व इसके कि वाद-विवाद प्रारम्भ हो, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है, अतः इसकी चर्चा के लिये अधिक समय निर्धारित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अन्य मामलों पर भी विचार करने के लिये उत्सुक हैं। इसलिये इसके लिये हम अधिक समय नहीं दे सकते। खैर-अभी तो हम इसके लिये ३ घंटे निर्धारित करते हैं। अब तो केवल एक-दो संशोधन ही रहते हैं। संशोधन पर १ १/२ घंटे लगेंगे, और शेष दो-ढाई घंटे सामान्य चर्चा पर लगेंगे।

†**श्री नि०चं० चटर्जी** : यह खेद की बात है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिये कोई व्यापक विधेयक नहीं बनाया गया है। सर तेज बहादुर सप्रू ने भी, जबकि वह भारत के मंत्री थे, व्यवहार संहिता की बहुत आलोचना की थी और उन्होंने इस में सुधार करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की थी जिसने कुछ व्यापक प्रकार की सिफारिशें की थीं और उन्हें संविधि पुस्तक में शामिल कर लिया गया था। वस्तुतः बात यह है कि यह कठिन मामले में हम अंग्रेजी की 'ह्वाइट बुक' को ही खोल बैठते हैं। हम ब्रिटिश विधि की ऐसी टेक्नीकल बोझ से बहुत दबे हुए हैं जिन्हें सरलता से हटाया जा सकता है। डा० विधान चन्द्र राय ने सर ट्रेवर हेरीस जैसे एक अनुभवी न्यायाधीश की अध्यक्षता के अधीन एक समिति नियुक्त की थी जिसने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कुछ अंशों को हटाने की सिफारिश की थी, किन्तु दुर्भाग्य से यह काम बहुत धीमी गति से किया गया। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी पक्ष, माननीय मंत्री से इस बात पर आग्रह करेंगे कि व्यवहार संहिता में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि भारत की विधि प्रणाली में किसी न्याय विशेषज्ञ के द्वारा व्यापक परिवर्तन किये जायें और इसकी दो खामियां तथा विलम्ब और महंगाई को दूर किया जाये। हमारे उच्च न्यायालयों की अवस्था यह है कि वहां की गई अपीलें पांच-छः वर्षों से विलम्बित पड़ी हैं। एक उच्च न्यायालय में ३०,००० से अधिक अपीलें विलम्बित हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ उच्च न्यायालयों में १०,००० लेख याचिकायें पड़ी हुई हैं।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं औचित्य प्रश्न के हेतु यह कहना चाहता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पद्धति पर, विधेयक को संयुक्त समिति में भेजने के समय हुई चर्चा के दौरान, विचार हो चुका है इसलिये यह सारी चर्चा इस समय विशेषतः उपयोगी सिद्ध नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का आशय यह है कि सभी सदस्यों को बोलने का समय मिले। अतः व्यापक विधेयक के सम्बन्ध में फिर उन्हीं बातों को कहना इस समय संभव नहीं होगा।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : अब मैं आपका ध्यान खण्ड ५ की ओर आकर्षित करता हूं। मूल खण्ड ५ में लिखा है कि भूतपूर्व भारतीय रियासतों द्वारा संविधान के पूर्व पारित की गई एक पक्षीय आज्ञप्तियों को मुख्य अधिनियम की धारा २९ के अधीन भारतीय न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जायेगा और संविधान के पूर्व, भारतीय न्यायालयों द्वारा, पारित की गई एक पक्षीय आज्ञप्तियों को किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य में क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। समिति ने इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में भारत के विभिन्न न्यायालयों में बहुत मतभेद है, अतः इस खण्ड को हटा दिया जाय। यदि आप विधि में परिवर्तन नहीं करेंगे तो इससे बहुत भ्रांति पैदा होगी। प्रत्येक न्यायालय पृथक्-पृथक् निर्णय देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० म० थामस** : (एरणाकुलम्) : हमें अपने कृत्य भी छोड़ने होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा इस खण्ड का निर्वचन ही नहीं, अपितु इस सम्बन्ध में भी निर्णय कर सकती है कि क्या करना उचित है ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : उनका कथन यह है कि एकरूपता के लिये कोई विनिश्चय नहीं दिया जाना चाहिये । मेरा मत यह है कि यदि आप कोई विनिश्चय ही नहीं करेंगे तो एकरूपता कहां से आयेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : (चितौड़) : माननीय सदस्य किस खण्ड पर बोल रहे हैं ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : खण्ड ५ पर । मान लीजिये ग्वालियर अथवा इन्दौर न्यायालय ने कोई डिग्री दी है । यदि उसे बम्बई में निष्पादित किया जायेगा तो यह पूर्णतः ठीक होगा, परन्तु यदि आप इसे मैसूर में निष्पादित करेंगे तो इसे बिलकुल गलत माना जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाय तो आंशिक रूप से यह निष्पादित समझी जायेगी तथा निष्पादित रूप से नहीं ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : इसके विषय में इसे निष्पादित योग्य डिग्री समझा जायगा तथा दूसरे न्यायालय से इसे नितान्त रूप से प्रभावहीन माना जाएगा । माननीय सदस्य को इस मामले में सभा से अधिकृत पथ प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिए ।

श्री वैष्णव ने पृष्ठ ७ की अन्तिम कंडिका में यह सिफारिश की है कि इस भ्रांति को दूर करने के लिये खण्ड ५ को रहने दिया जाय किन्तु साथ ही यह परन्तुक जोड़ दिया जाय कि डिग्री प्राप्त करने वाले को उसी मामले पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति है । इससे उसकी एक तरफा डिग्री पाने वाले के लिये उपाय की व्यवस्था रहेगी ।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई मामलों में इससे बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर पुनः विचार करें ।

श्री पाटस्कर ने कहा है कि इस सम्बन्ध में हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये । मेरे विचार से इस समय उच्चतम न्यायालय में कोई ऐसा मामला विलम्बित नहीं है, जिसमें यह प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो । इसलिये मेरे विचार से इस मामले को बिना किसी विनिश्चय के ही छोड़ देना उचित नहीं है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाले इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह प्रक्रिया हमारे भूतपूर्व अग्रेतर शासकों की देन है । अंग्रेजी न्यायिक पद्धति विलम्बपूर्ण होने के लिये पहिले से ही बदनाम थी । इसलिये जब यह पद्धति हमारे देश में प्रचलित की गई तो उसकी सभी बुराइयां हमारे देश में आ गईं ।

यद्यपि समय-समय पर इसमें कुछ सुधार किये गये तथापि उस पद्धति की कई बुराइयां ज्यों की त्यों यहां आ गईं । साथ-साथ कोर्ट की फीस बहुत बढ़ा दी गई जिससे लोग मुकदमेबाजी से डरने लगे ।

इसलिये सारी न्यायिक पद्धति में व्यापक सुधार करने के लिये कोर्ट फीस अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम तथा उच्च न्यायालयों के प्रक्रिम नियमों में भी परिवर्तन करना होगा । विधि आयोग इन सब बातों पर विचार कर रहा है तथा हमें आशा है कि उसके आधार पर यहां की न्यायिक पद्धति में व्यापक और सर्वांगपूर्ण सुधार हो सकेंगे । इसके बावजूद भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कुछ सुधार होने आवश्यक हैं क्योंकि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है ।

अब मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को लेता हूं । मैं प्रतिवेदन की कुछ बातों से सहमत हूं । हमने खर्च इत्यादि पर ब्याज को हटा कर व्यय घटाने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसनीय बात की है । साथ ही

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री साधन गुप्त]

उच्च न्यायालयों के पुनर्विचार करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने वाले मूल खण्ड को हटा कर अच्छा ही किया है क्योंकि मेरे विचार से यह आवश्यक तथा उच्च न्यायालयों का अपमान है ।

साथ ही मैं कुछ बातों में संयुक्त समिति से असहमत हूं । खण्ड ५ के सम्बन्ध में, मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं । वस्तुतः उच्च न्यायालयों में मतभेद होने के बजाय एक विकट समस्या पैदा हो गई है । तथापि इस सम्बन्ध में कुछ न किया जाना और भी आश्चर्यजनक है यदि इस सम्बन्ध में, न्यायालयों में मतभेद है, तब तो आवश्य ही इस सम्बन्ध में निश्चित निर्णय किया जाये ।

यदि इस सम्बन्ध में बम्बई न्यायालय का निर्णय माना जायेगा तो कई मामलों में कठिनाई हो सकती है । कई प्रतिवादी कुछ न्यायालयों में मुकदमे नहीं लड़ना चाहते हैं और जब प्रतिवादी को मुकदमा न लड़ने का अधिकार होगा तो उसे इस बात का विश्वास होगा कि जब तक वादी दूसरा मुकदमा दायर न करे तब तक उसकी एक पक्षीय डिग्री से कुछ नहीं हो सकता है । अब यदि उसे अपने बचाव का अवसर दिये बिना ही डिग्री निष्पादित कर दी जाये तो यह सरासर अन्याय होगा । हमें इस सम्बन्ध में, बम्बई अथवा कलकत्ता किसी भी न्यायालय का मत मानना चाहिये तथापि अवधि की सीमा निश्चित करना ठीक नहीं है ।

एसी व्यवस्था करने के लिये हमें विधि आयोग के प्रतिवेदन अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि ऐसा कोई मामला उच्चतम न्यायालय में है इसलिये हमें ही इस विरोध को दूर करना है । क्योंकि इससे कोई असंगत बातें पैदा होंगी । इसी कारण कई सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण दिये हैं तथा वे समिति के निश्चय से असहमत हैं । अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस खण्ड को रहने दें तथा हम इसमें अवधि की सीमा इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ संशोधन कर सकते हैं ।

मैं खण्ड १४ के एक अन्य उपबन्ध से भी असहमत हूं । यह नये नियम २०क का उपनियम (२) है । जिसमें यह व्यवस्था है कि रजिस्टर्ड पत्र पर डाकिये के पृष्टांकन को पत्र देने का प्रमाण मान लिया जाये । मेरे विचार से यह उचित नहीं है क्योंकि हमारे देश में डाकिये को पैसे देकर कुछ भी लिखाया जा सकता है । इस विधेयक के अनुसार इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है । और प्रतिवादी को ज्ञात हुए बिना भी उसके खिलाफ आज्ञप्ति पारित हो सकती है वस्तुतः पत्र प्राप्ति को सिद्ध करने का दायित्व वादी पर होना चाहिये । इस खण्ड से व्यय अथवा विलम्ब में भी कोई विशेष कमी नहीं आती है अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि खण्ड १४ (१) को विधेयक से हटा दिया जाय ।

मैं धारा १३३ के संशोधन के भी विरुद्ध हूं । निस्संदेह वर्तमान धारा में संशोधन की आवश्यकता है । इस धारा में कुछ व्यक्तियों को उनकी कार्य-व्यस्तता के कारण न्यायालय में उपथित होने से छूट दी जा सकती है । उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा मंत्री इत्यादि हैं । वस्तुतः न्यायालय में उपस्थित होने की छूट पद के कारण नहीं अपितु केवल व्यस्तता के कारण मिलनी चाहिये । यदि यह छूट केवल पद के कारण दी जाती है तो यह ऐसे व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करना तथा उस व्यक्ति की गवाही को अधिक महत्व देना है । हो सकता है कि बड़े-बड़े पदों पर भविष्य में ऐसे व्यक्ति आयें जिनको यह श्रेय और यह चरित्र प्राप्त न हो । उस अवस्था में उन्हें जन साधारण से भिन्न स्तर पर रखना उचित नहीं है ।

यदि न्याय की यह मांग है, तो उच्चतम न्यायालय या इन सभी अन्य व्यक्तियों को न्यायालय के सामने साधारण नागरिकों की भांति ही गवाही देने के लिये उपस्थित होना चाहिये । परन्तु हम उन्हें विशेषाधिकार देते हैं । मैं उनके कमीशन के खर्च की परवाह नहीं करता बल्कि एक सिद्धान्त की बात

कह रहा हूं। यदि किसी मामूली व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश होने के लिये बुलाया जा सकता है तो उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि खर्च मैं उठाऊंगा और आप मुझ से पूछताछ के लिये एक कमीशन नियुक्त कीजिये। फिर यह अधिकार राज्य के किसी उच्च पदधारी को ही क्यों दिया जाय? यदि कोई व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है तो ऐसे मामले में न्यायालय छूट दे सकता है और एक कमीशन स्थापित कर सकता है। आपको याद होगा कि नागपुर में एक मुकदमे में, जिसमें उन पर प्रहार का आरोप था, प्रधान मंत्री गवाह थे और उनसे पूछताछ के लिये एक कमीशन गठित किया गया था। परन्तु मान लीजिये कि उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायलय में छुट्टी है और न्यायाधीश छुट्टी पर है तो इस स्थिति में किसी व्यक्ति को या न्यायाधीश को साधारण नागरिक की भांति न्यायालय में पेश होने पर क्या आपत्ति हो सकती है। इसलिये इस उपबन्ध को विधेयक में से निकाल देना चाहिये और धारा १३३ में इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिये कि न्यायालय अपने विवेक द्वारा व्यस्तता के आधार पर कमीशन के नियुक्त करने का निर्णय करे।

यह स्पष्ट है कि व्यस्तता के आधार पर इस प्रकार के मामले में निर्णय करते समय उस व्यक्ति के पद का ध्यान रखा जायेगा। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार लोकतन्त्र के नियमों का पालन करेगी और इस प्रतिक्रियावादी उपबन्ध को निकाल देगी। सरकार किसी भी लोकतन्त्रवादी देश का ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं दे सकी है जहां कि किसी उच्चपदधारी को अपने पद के कारण ही किसी न्यायालय में पेश होने की छूट दी गई हो। मेरे विचार में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल राजाओं जैसे उच्चपदधारियों को यह अधिकार दिया जाता है। परन्तु हमने एक लोकतन्त्रीय संविधान अपनाया है जहां सभी नागरिक बराबर हैं जहां कोई भी नागरिक किसी भी उच्चतम पद पर पहुंच सकता है और इस देश में इस प्रकार का विशेषाधिकार देश के लोकतन्त्रीय भावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** यह सच है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन की आवश्यकता थी परन्तु जो संशोधन किए गए हैं उनसे भलाई की अपेक्षा खराबी अधिक होगी।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३४ के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त ने कहा है कि ब्याज पर ब्याज वसूल करने की अनुमति न देना अत्यन्त प्रगतिशील कार्यवाही है। यह संशोधन करते समय उद्देश्य यह था कि कुछ संकेत अवश्य किया जाना चाहिए था ताकि एक विशिष्ट दर से अधिक ब्याज न लिया जाये। परन्तु ऐसे भी मामले हैं जहां मुकदमे का खर्च ५०,००० या २०,००० है और यह बात सोचते हुए कि ब्याज नहीं देना होगा, प्रतिवादी खर्च देने के बारे में बिल्कुल चिन्तित नहीं है।

सरकार ने न्यायालय फीस न लिये जाने की बात पर कोई विचार नहीं किया है। इंग्लैंड में किसी भी वादी से न्यायालय फीस नहीं ली जाती है। किसी भी मुकदमे के लिये केवल पांच शिलिंग की छोटी सी रकम देनी होती है। यदि सरकार ने ऐसा किया होता तो मैं इस बात को मान लेता कि खर्च पर कोई ब्याज न लिया जाये। पिछले तीन वर्षों में प्रायः सभी राज्यों ने न्यायालय फ़ीस की दर में वृद्धि की है। इसलिये यह संशोधन उस प्रयोजन को पूरा नहीं करेगा जिसके लिये कि इसे प्रस्तुत किया गया है।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान खण्ड ५ को छोड़ दिए जाने की ओर दिलाता हूं। इस उपबन्ध के कारण बम्बई उच्चन्यायालय में कई नए मुकदमे पेश हुए हैं। परिसीमन अधिनियम में एक उपबन्ध है कि यदि प्रतिवादी एक विशिष्ट अवधि तक ब्रिटिश इंडिया में न रहा हो तो वह अवधि परिसीमन के सम्बन्ध में नहीं गिनी जाती है। मालूम होता है कि बम्बई राज्य ने समस्त राजस्थान और मध्यभारत को जीत लिया है और इस सादृश्य पर यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति देशी राज्यों में रहते थे वे अब ब्रिटिश भारत में आ गए हैं। और इस बिना पर अब डिग्रियां पास की जा रही हैं। १०, १५ या २० वर्ष पहले जिन विलेखों की मियाद खत्म हो गई थी, अब उन्हें फिर से उठाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा–झालावाड़) : माननीय सदस्य बम्बई उच्च न्यायालय के किस निर्णय की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** कृपया निर्णयों को पढ़िये और आपको मालूम हो जायेगा कि ऐसे मामले जयपुर न्यायालय के समक्ष भी लम्बित हैं ।

एक और बात भी है । २६ जनवरी, १९५० को लागू होने वाली विधि की धारा ३९ में डिग्रियों के निष्पादन को हस्तान्तरण करने की अनुमति थी, इस प्रकार की डिग्रियां निष्पादित की जा सकती थीं । परन्तु हमारे उच्च न्यायालयों ने इसका निर्वाचन अपने अपने ढंग से किया है । इस खण्ड को छोड़ देने से देशी रियासतों में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ है । यदि विधि में उचित संशोधन न किया गया तो इन राज्यों द्वारा जिन डिग्रियों की मंजूरी दी गई है उनका देश में निष्पादन न हो सकेगा । ब्रिटिश भारत की जिन्हें रियासतें कहा जाता था उनकी तो बात ही छोड़िये । इसलिये जिस खण्ड ५ को छोड़ दिया गया है, माननीय मंत्री को उसकी ओर ध्यान देना चाहिये । यदि किसी रियासत द्वारा ब्रिटिश भारत में रहने वाले किसी नागरिक के विरुद्ध डिग्री दी जाती थी तो इससे अधिक उसका कुछ प्रभाव नहीं होता था कि डिग्री दे दी गई है । इसी प्रकार ब्रिटिश भारत में रहने वाले लोग देशी रियासतों में रहने वाले लोगों के विरुद्ध डिग्री प्राप्त करना चाहते थे । राजस्थान के बहुत से लोगों का बम्बई में कारोबार था । बम्बई में कोई न्यायालय फीस नहीं ली जाती थी । १९५४ तक १० रुपये की न्यायालय फीस पर बड़ी राशियों के लिये वह डिग्री दे सकता था । बम्बई उच्च न्यायालय में लाखों रुपयों की कीमत की डिग्रियां प्राप्त की गई थीं, परन्तु उनका कोई मूल्य न था । यदि देशी रियासतों में इन्हें निष्पादित नहीं किया जा सकता था तो इस प्रकार से प्राप्त की गई डिग्रियों को उस समय देशी रियासतों में रहने वाले लोगों के विरुद्ध निष्पादित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । बम्बई उच्च न्यायालय में जो कुछ हो रहा है, उस पर विचार किया जाना चाहिये और इस शरारत को रोकना चाहिये ।

इसलिये यह उचित था कि जो संशोधन किया जा रहा है उसमें यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये था । विधि में एकरूपता होनी चाहिये ।

संयुक्त समिति से जिस रूप में विधेयक प्राप्त हुआ है उसमें धारा ३५-क के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । व्यवहार प्रक्रिया संहिता में धारा ३५ के अधीन प्रतिकरात्मक खर्च की अनुमति केवल कुछ परिस्थितियों में ही थी । अब जो संशोधन किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मूल धारा के अधीन न्यायालय को यह कहना होता था कि न्याय की यह मांग है कि प्रतिकरात्मक खर्च अवश्य ही दिया जाना चाहिये । अब इसे बिल्कुल बदल दिया गया है । अब यह उपबन्ध है "यदि वह उचित समझें" । अब यदि मुकदमे के समय न्यायालय सम्बन्धित पक्ष से किसी बात पर नाराज हो जाये तो उसे हारने वाले पक्ष के विरुद्ध भारी प्रतिकरात्मक खर्च की अनुमति देने से कोई रोक नहीं सकेगा । इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस उपबन्ध को विधान में स्थान नहीं देना चाहिये यदि इस उपबन्ध को स्वीकार किया गया तो हारने वाले पक्ष के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिकरात्मक खर्च की मंजूरी तथ्यों के आधार पर नहीं दी जायेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि ६८, ६९, ७०, ७१ तथा ७२ धाराओं को निकाल दिया गया है ।

परन्तु मूल अधिनियम की धारा ६० में जो संशोधन किया जा रहा है वह मुझे पसन्द नहीं है । मूल उपबन्ध यह था कि किसी व्यक्ति को कम से कम १०० रुपये अपने लिए दिए जायेंगे और फिर यदि

†मूल अंग्रेजी में ।

उसका कोई ऐसा ऋणादाता हुआ जिसने किसी न्यायालय से डिग्री ली हुई हो तो उसे आधी रकम देकर उसका शेष का आधा वेतन कुर्क किया जा सकता है। हम लोगों को जीवित रहने के लिये न्यूनतम आवश्यक राशि देते थे। परन्तु अब यह एकरूपता समाप्त कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि अब विभेद क्यों किया गया है। यदि कोई पालन-पोषण का मामला हो तो आप इसे कार्यान्वित कर सकते हैं। यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसने किसी व्यक्ति को उसके दुःख के दिनों में ऋण दिया है और दूसरा व्यक्ति रकम वापस करने से हिचकिचा रहा है तो विधान ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है। परन्तु भरण-पोषण के सम्बन्ध में जो वरीयता दी गई है वह क्यों दी गई है ?

†**श्री टेक चन्द** : क्योंकि भरण-पोषण उसके लिये आवश्यक है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अपनी ऐसी पत्नी का भरण-पोषण करे जिसने उसे तलाक दे दिया है। विवाह-विच्छेद का कारण चाहे कुछ भी हो, हज़ारों मामलों में स्थिति यह होगी कि पुरुष विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में सच्ची बात कहने के लिये कभी आगे न आयेंगे। कम से कम भारत में पुरुष विवाह-विच्छेद पर शरम से सिर झुका लेगा। परन्तु आप उस पर एक प्रव्याजि लगाना चाहते हैं और कहते हैं कि यदि उस पुरुष का कोई वैध ऋणदाता है तो इस प्रकार की स्त्री को अच्छा अंश मिलेगा।

†**श्री पाटस्कर** : किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा भी तो भरण-पोषण हो सकता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह सभी कुछ सिद्धान्ततः ठीक है। हम जानते हैं कि व्यवहार रूप में कोई सम्बन्धी सहायता के लिये आगे नहीं आता है।

मैं धारा ९२ के संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यदि विभिन्न राज्यों ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ९२ को उचित रूप से कार्यान्वित किया होता तो सम्भवतः विभिन्न राज्यों को पूर्व धर्मस्व अधिनियम बनाने की आवश्यकता ही न अनुभव होती। यह उपबन्ध ब्रिटिश सरकार ने कुछ व्यक्तियों को सदैव अपने हाथ में रखने के लिये किया था। जब व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन की बात सोची गई थी तो क्या उस समय इस धारा में संशोधन नहीं किया जा सकता था ? सम्बन्धित राज्य के महाधिवक्ता से अनुमति या मंजूरी मांगने का यह उपबन्ध नहीं रखना चाहिये था, यदि यह उपबन्धित किया जाता कि सम्बन्धित राज्य के महाधिवक्ता की मंजूरी के बिना संस्था के दस सदस्यों में से दो के स्थान पर किसी एक को मुकदमा चलाने की अनुमति होगी तो क्या यह पूर्त न्यास के प्रशासन के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा न होता ?

मैं जानता हूं कि कई मामलों में केवल इस कारण से ही अनुमति नहीं दी जाती है कि विश्वास भंग करने वाले व्यक्ति शासक कांग्रेस दल में उच्च पदों पर हैं। आज यदि कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है तो कल को कोई अन्य दल भी हो सकता है। इसलिये जब इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है तो धारा ९२ में भी संशोधन किया जाना चाहिये।

धारा १०२ में जो संशोधन किया गया है वह बहुत ही अच्छा है। परन्तु यदि अग्रेतर परादक लगाने के स्थान पर परादक न रखा जाता तो अच्छा होता। इसे किसी भी परादक के बिना १,००० रुपये होना चाहिये।

धारा १३३ में कुछ उच्च पदधारियों को न्यायालय में पेश होने से जो छट दी गई है उसकी मैं सराहना करता हूं। मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने कहा है कि यह छूट तभी दी जानी चाहिये यदि वे व्यक्ति व्यस्त हों। मुझे दोनों उपबन्धों में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। बल्कि मेरे विचार में यह सूची बहुत छोटी है। इसे और विस्तृत होना चाहिये। कोई कारण नहीं कि लोक-सभा के अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष को भी क्यों न यह छूट दी जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों को छूट दी गई है। कोई कारण नहीं कि इसी प्रकार की छूट राज्य विधान सभाओं के उपाध्यक्षों को भी क्यों न दी जाए। इसी प्रकार राज्य-सभा के सभापति की भांति उप सभापति को भी छूट दी जानी चाहिये।

मैं आदेश २० के नियम १ में दिए गए उपबन्धों की भी सिफारिश करता हूं। परन्तु यह और भी अच्छा होता यदि वर्तमान उपबन्ध के स्थान पर नियम बनाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के अधिकार का उत्सादन कर दिया जाता। कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे मामले भी हुए हैं जहां प्राय: निर्णय को स्थगित रखा गया है। एक न्यायाधीश द्वारा ही निर्णय या आदेश नहीं दिये जाते हैं। और एक दिन अचानक सूचना-बोर्ड पर यह लिखा होता है कि इन-इन मुकदमों का निर्णय किया जायेगा। ऐसे मामलों में इलाहाबाद और राजस्थान के उच्च न्यायालयों जैसे न्यायालयों ने यह उपबन्ध किया हुआ है कि जिस समय निर्णय सुनाया जा रहा हो या उस से पहिले अपील करने के लिये आवेदित करना चाहिये।

होता यह है कि वकील अथवा मुकदमे वाले पक्षों को यह मालूम नहीं होता कि निर्णय कब दिया जाएगा। हो सकता है कि निर्णय के दिन वे उच्च न्यायालय में उपस्थित न हों। यह उपबन्ध आदेश २० में किए गए उपबन्ध से असंगत है और पक्षों को अपील का अवसर नहीं मिलता है।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री को यह देखना चाहिये कि उच्च न्यायालय इस विधान में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के प्रतिकूल उपबन्ध न बनाएं।

अन्त में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। 'अकिंचन'[1] अपीलों के सम्बन्ध में पहले भी उपबन्ध था; उपबन्ध अब भी है परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है और एक उप-धारा जोड़ दी गई है। यह उपबन्ध बेकार है क्योंकि इसे केवल दोहराया गया है। यदि कोई व्यक्ति केवल न्यायालय फ़ीस दे कर ही अपनी अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है तो कोई कारण नहीं है कि उस व्यक्ति की अपील की सुनवाई क्यों न हो जो 'अंकिचंन' रूप से अपील कर रहा है। उपबन्ध तो स्पष्ट है कि यदि वह अपील में सफल होता है तो उसे जो कुछ मिलने का अधिकार है सरकार द्वारा प्रथम पक्ष होने के कारण उसमें से न्यायालय फ़ीस वसूल कर ली जायेगी। इसलिये ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस का मूल मुकदमा अकिंचन रूप में है यह विभेद करने और अपीलार्थी को अपनी अपील के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की अनुमति न देने का कोई कारण नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह स्पष्टतया इस कारण है कि अकिंचन व्यक्ति को मुकदमे में से कुछ पाने के अवसर कम हो गए हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह एक कारण हो सकता है। परन्तु दूसरी ओर यदि उसकी अपील सुनी जाती है तो इस बात के भी अवसर हैं कि उस व्यक्ति को अधिक राशि प्राप्त हो और सरकार को लाभ होगा। परन्तु मैं यह कहता हूं कि विभेद नहीं होना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय फ़ीस देने पर अधिकार रूप में प्रथम अपील सदैव सुनी जाती है और तथ्यों पर विचार किया जाता है।

परन्तु अकिंचन व्यक्तियों की अपीलों के मामले में यह बात नहीं है। इस का अर्थ यह है कि अकिंचन की प्रथम अपील पर भी चाहे उस में अन्तर्ग्रस्त बड़ी ही क्यों न हो, विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आप अकिंचन व्यक्तियों की सहायता करने के बजाए उन लोगों के लिए बाधायें उत्पन्न कर रहे हैं जो उसे पाने में सफल होना चाहते हैं जिसे पाने का उन्हें अधिकार है। अत: मेरा सविनय निवेदन है कि यह उपबन्ध हटा दिया जाये तथा न्यायालय में कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये, चाहे अपीलार्थी अकिंचन ही हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Pauper Appeal.

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने जो निराशा के भाव व्यक्त किये हैं, मैं उन से पर्याप्त रूप में सहमत हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय में बाधा डालना नहीं अपितु न्याय करना है। परन्तु अनुभव यह है कि व्यवहार संहिता बहुत सी बाधक बातों के कारण न्याय में पर्याप्त रूप से बाधक बनता है। अतः यह बहुत अच्छा होता कि यदि विधि आयोग के सदस्य इस की पूर्ण जांच करने के उपरान्त उन परिवर्तनों की सिफारिश करते जो किए जाने चाहिये थे।

इस विधेयक द्वारा जो परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हूं। इस सम्बन्ध में धारा ३५, उपधारा (३) का उल्लेख किया गया है जो विधेयक के खण्ड ३ के अनुसार हटाई जानी है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मेरी कौसीद प्रवृति है, परन्तु मुझे यह उपबन्ध पसन्द नहीं है। हमारे देश में व्यवहार विधि के प्रशासन का एक दुःखद पहलू यह है कि यदि कभी न्याय किया जाता है तो वह पर्याप्त धन के व्यय करने पर। आपको महा-अधिकारपत्र[1] के वे शब्द याद होंगे जहां इंग्लैण्ड के सम्राट ने यह वचन दिया था कि वह न्याय को नहीं बेचेगा। आजकल न्याय का बहुत अधिक मूल्य पर विक्रय होता है। मेरा मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो न्याय पाने के लिये न्यायालय में जाता है, बहुत अधिक न्यायालय शुल्क देनी पड़ती है। इस देश में कदाचित ही कोई ऐसा उच्च न्यायालय होगा जो इस बात पर जोर नहीं देता कि प्रत्येक प्रथम अपील का अभिलेख का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाये तथा वह लेख पुस्तक के रूप में मुद्रित की जाए। लेख-पुस्तक के मुद्रण में बहुत अधिक व्यय होता है और यह सारा व्यय सफल-पक्ष को करना पड़ता है। यदि सफल-पक्ष वादी होता है तो उसे न्यायालय का भारी शुल्क भी देना पड़ता है। इतने पर भी प्रतिवादी भुगतान करने से इन्कार कर सकता है और विधि द्वारा उस पर ६ प्रतिशत का साधारण ब्याज भी नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान विधि में उल्लिखित है कि यदि न्यायालय चाहे तो लागत पर ब्याज दे सकता है, परन्तु यह ब्याज ६ प्रतिशत से अधिक न होगा, तथा यह ब्याज लागत में जोड़ दिया जाएगा और उसी के साथ वसूल किया जाएगा। आप जानते हैं कि न्यायालय बहुत ही थोड़े मामलों में लागत पर ब्याज लगाते हैं। न्यायालय की यह स्वविवेकीय शक्ति नहीं छीनी जानी चाहिये।

अब खण्ड ४ पर आता हूं जिसमें प्रतिकरात्मक लागत सम्बन्धी धारा ३५क के प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधि अधिक उपयुक्त है तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। खण्ड ९ के बारे में मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने पालन-पोषण विश्यक डिग्रियों के सम्बन्ध में धारा ६० में आवश्यक परिवर्तन किया है। यह बहुत ही वांछनीय कार्यवाही है और मैं उनका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं। फिर, मूल खण्ड ५ के बारे में पर्याप्त मतभेद है। हमारे देश के बहुत से न्यायालयों के दृष्टिकोण में बहुत विषमता है। ऐसी स्थिति में यदि हम हस्तक्षेप करके और किसी एक मत को स्वीकार करके और कोई मध्य का मार्ग अपना कर जो सभा अधिक न्यायसंगत प्रतीत हो, इस विषमता को दूर नहीं करते तो यह हमारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा मात्र होगा। मेरा ख्याल है कि श्री ह० ग० वैष्णव की विमति टिप्पणी में बहुत लाभदायक सुझाव दिए गए हैं। वह कहते हैं कि "इस दृष्टि से कि और अधिक भ्रम उत्पन्न न हो, मेरा विचार है कि विधेयक का मूल खण्ड ५ रखा जाए तथा आगे एक परन्तुक जोड़ दिया जाए कि अमुक एकतरफा डिग्री पाने वाले को उसी कार्यवाही के आधार पर नया अभियोग चलाने की अनुमति हो।" मैं इस मत से पूर्णतया सहमत हूं। श्री साधन गुप्त ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया है। इस मामले को बीच में न छोड़कर इनमें से कोई मत स्वीकार किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Magna Carta.

[श्री टेक चन्द]

धारा १३३ से कुछ वाद-विवाद खड़ा हो गया है। इसमें सन्देह नहीं कि नये समाज में, जिसे बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वर्ग भेद समाप्त हो जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, किसी सीमा तक उनका होना आवश्यक है। विद्यमान विधि ने यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी है कि वे लोगों के कुछ वर्गों को उपस्थिति से छूट दे दें। समूचे रूप में मैं सूची से सहमत हूं परन्तु दो वर्गों के बारे में मुझे कुछ संशय है। मैं नहीं चाहता कि राज्यों के मंत्रियों को उन्मुक्ति प्राप्त हो और न ही मुझे इससे कोई प्रलोभन होता है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को यह उन्मुक्ति प्राप्त है। यदि वे गवाहों के रूप में उपस्थित होते हैं तो उनकी गवाही का उनके पद-स्तर के कारण अभियोग के निर्णय में बहुत महत्व होगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान भूतपूर्व राजों महाराजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका कोई कारण नहीं है कि उन्हें अब विधि के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त रखा जाए क्योंकि अब उनकी स्थिति पहले वाली न रह कर साधारण नागरिकों जैसी हो गई है। अतः उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिये।

अन्त में, मैं आदेश २५, अर्थात् खण्ड १४ पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। नया उपबन्ध यह है कि न्यायालय प्रतिवादी के प्रार्थना करने पर वादी को लागत के लिये जमानत देने के लिये बाध्य कर सकता है। मेरे ख्याल में यह अविचारणीय बात है। क्योंकि ऐसा विचार किया जाता है कि यदि न्यायालय ऐसा करता है तो वादी अपने अभियोग को प्रत्यक्षतः सुदृढ़ रूप न दे सकेगा। वस्तुतः, यह अभियोग का पूर्वानुमान लगाना है। उन वादियों के लिये वर्तमान विधिपर्याप्त परिपण है, जिनकी इस देश में पर्याप्त सम्पत्ति नहीं है और जो अभियोग हारने पर प्रतिवादी की वृदता को पूरा न कर सकें। यह कहना कि न्यायालय प्रतिवादी पर अभियोग जीत कर डिग्री लेने से पहले ऐसी शर्त लगा सकता है, सर्वथा अवांछनीय है। यह विधि की कार्यान्विति में बाधा डालना है और वादी पर न्याय पाने में और अधिक प्रतिबन्ध लगाना है। अतः मैं महसूस करता हूं कि यह कोई अच्छा संशोधन नहीं है और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

†**श्री कासलीवाल** : जैसा कि अन्तिम वक्ता श्री टेक चन्द ने बताया कि मूल खण्ड ५ पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ से पहले बोलने वाले चारों वक्ताओं ने खण्ड ५ के हटाए जाने का विरोध किसी न किसी आधार पर अवश्य किया है। पिछली बार मैं भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने खण्ड ५ के रखे जाने का कड़ा विरोध किया था और मैंने इसके कुछ कारण बताए थे। वस्तुतः खण्ड ५ का उद्देश्य २६ जनवरी, १९५० से पहले की स्थिति फिर पैदा करना था। यदि आप इस खण्ड-विशेष को व्यवहार प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करते हैं तो फिर २६ जनवरी, १९५० से पहले की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इधर, इन ७ वर्षों में हज़ारों डिग्रियां लागू हो चुकी हैं और हज़ारों लागू की जा रही हैं। आप उन डिग्रियों की कार्यान्विति को कैसे रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि कुछ मामलों में परिसीमन विधि लागू हो गई हो और दावे कालावरोधित हो गये हैं।

मेरे चार पूर्व वक्ताओं का मत है कि इस विशिष्ट विषय पर न्यायिक निर्णय परस्पर विरोधी है, जिनमें एक मत बम्बई उच्च न्यायालय का है और दूसरा मत कलकत्ता उच्च न्यायालय का है। यह संयुक्त समिति का काम है कि वह प्रतिवेदन में अपना मत व्यक्त करके न्यायिक मत के इस विरोध को समाप्त कर दे। फिर, श्री साधन गुप्त ने तर्क व सामान्य समझ के आधार पर इसके हटाये जाने पर आपत्ति की थी। मेरा सविनय निवेदन है कि क्या अब ७ वर्ष पूर्व की स्थिति वापस लाने में कोई तर्क व सामान्य समझ है। ऐसा करना सरल नहीं है क्योंकि अब यह निश्चय ही भारतीय राज्यों में भी लागू हो गया है कि डिग्रियां १२ वर्ष के बाद निष्पादित नहीं की जाएंगी। पहले देशी रियास्तों में यह स्थिति न थी। अतः मैं खण्ड ५ के बारे में संयुक्त समिति के मत का पूर्ण समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ३ के बारे में मैं श्री टेक चन्द के मत से सहमत हूं। मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि यदि प्रतिवादी विलम्बकारी उपाय अपनाता है और भुगतान करने से इन्कार करता है, तो उससे ब्याज क्यों न लिया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने खंड १३ को हटा दिया है क्योंकि इसका उद्देश्य दीवानी मुकदमों में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षणात्मक शक्तियों से वंचित करना है। खंड १४ (६) के बारे में मेरे वही विचार हैं जो श्री टेक चन्द ने और श्री चि० चा० शाह के विमति-टिप्पण में व्यक्त किए गए हैं। यदि न्यायालय ऐसा समझता है कि चलाया गया अभियोग झूठा है, तो निश्चय ही न्यायालय साधारण प्रक्रिया के अधीन यह कह सकता है कि लागत पहले से ही न्यायालय में जमा कर दी जाए। अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह खण्ड १४ (६) को हटा दें।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मूल खंड ५ के संयुक्त समिति द्वारा हटाए जाने पर कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर इस उल्लेख की कि २६ जनवरी, १९५० से पहले की डिग्रियों का निष्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में सारे भारत में एकरूपता का होना न तो व्यवहार्य है और न ही उचित है, आलोचना की गई है। यद्यपि पहले चार वक्ता खंड को तो रहने देने के पक्ष में थे फिर भी वे इसमें कुछ संशोधन चाहते थे। सभा में केवल श्री साधन गुप्त द्वारा संशोधन रखा गया है परन्तु उन्होंने भी एक उप-कंडिका जोड़ दी है ताकि यह उनके विचारानुकूल हो जाए माननीय सदस्य, श्री ह० ग० वैष्णव के विमति टिप्पण में भी मूल खंड में कुछ जोड़ने की आवश्यकता प्रकट की गई है।

विधेयक को ५वें खण्ड की स्थायी समिति ने हटा दिया है। जब कि सारे देश में एक ही दंड प्रक्रिया संहिता लागू है तब देश में विधि की एकरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा प्रश्न है कि क्या विधान सभाओं को उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए विधि के निर्वचनों में हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा नहीं ? सबसे पहिले २६ जनवरी, १९५० को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ के लागू होने के सम्बन्ध में दो न्यायालयों के अलग-अलग मत थे परन्तु उस समय भी इस सभा ने कोई दखल नहीं दिया।

अब प्रश्न यह है कि यदि हम सारे देश के लिए एक ही प्रक्रिया निर्धारित करते हैं तो उससे किसी के प्रति अन्याय तो नहीं होगा। यह प्रश्न संयुक्त समिति के सामने भी आया था। मैं उस समय उस समिति का अध्यक्ष था। काफी चर्चा होने के बाद संयुक्त समिति ने यह निर्णय दिया था कि इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। यह समस्या केवल उन्हीं मामलों में उत्पन्न होती है जहां एकतरफा डिग्रियां जारी की जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह संशोधन रखा गया है कि उन डिग्रियों के बारे में, जो काल तिरोहित हो गई हैं, कुछ अवधि के लिये परिसीमन काल के निकल जाने पर रोक लगा दी जाये। एक मामले में यह सुझाव था कि २६ जनवरी, १९५० से इस अधिनियम के पास होने के ६० दिन बाद तक की अवधि छोड़ दी जाये। साथ ही साथ श्री साधन गुप्त ने यह सुझाया था कि इस अधिनियम के पास होने के ६० दिन पश्चात् से ले कर मुकदमा दायर किए जाने की तारीख तक की अवधि छोड़ दी जाये।

कोई भी अवधि निश्चित करने के पूर्व हमें उसके परिणामों पर गौर करना चाहिए। मान लीजिये २६ जनवरी, १९५० के १० साल पहले एक डिग्री पारित की गई थी और वह एकतरफा डिग्री है। परन्तु डिग्रीधारी किन्हीं कारणों से उसे जारी नहीं कराता। अब हम इस संशोधन को पारित कर उसे डिग्री जारी करने का अधिकार दे देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा। मान लीजिये वह व्यक्ति जिसके खिलाफ़ डिग्री जारी की गई है १०, १५ साल की अवधि में मर जाता है और उसका उत्तराधिकारी नाबालिग है। ऐसी स्थिति में डिग्रीधारी जालसाजी कर सकता है। यह केवल एक मिसाल है, ऐसे कई मामले हो सकते हैं। अतएव यदि हम कलकत्ता और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्वचन को अपनाते हैं तो उससे हज़ारों व्यक्तियों के प्रति अन्याय होगा, उसी प्रकार यदि बम्बई के उच्च न्यायालय

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बर्मन]

द्वारा दिए गए निर्वचन को आधार मानते हैं तो उससे उन व्यक्तियों के प्रति अन्याय होगा जो कलकत्ता और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों का अनुसरण करते हैं ?

संशोधन के कारण उत्पन्न स्थिति की विवेचना करने पर मैं पुनः अपने मूल प्रश्न पर आता हूं कि क्या विधान सभाओं को विधि के निर्वचन में दखल देना चाहिये ? जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है और जैसा कि अन्य विरोधी सदस्यों का मत है इससे अनेक अड़चनें और बाधाएं होंगी; अतएव मैं इस का विरोध करता हूं ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : मैं खण्ड ५ के हटाए जाने के पक्ष में नहीं हूं । सरकार ने विभिन्न न्यायालयों के विरोधी अधिनिर्णयों के सम्बन्ध में खण्ड ५ को पुरःस्थापित कर स्थिति स्पष्ट कर दी है । छः न्यायालयों ने यह निर्वचन दिया है कि ये डिग्रियां निष्पादन योग्य हैं जबकि पांच न्यायालयों का यह निर्वचन है कि इस प्रकार पारित एकतरफा डिग्रियां निष्पादन योग्य नहीं हैं । इस प्रकार संविधान को अनुच्छेद २६१ के खण्ड ३ के उपबन्ध का अलग-अलग निर्वचन किया गया है । अतएव इस प्रश्न पर आगे विचार करने के पूर्व अनुच्छेद २६१ के खण्ड ३ पर विचार करना आवश्यक है । इस अनुच्छेद में उपबन्धित है कि भारत की सीमा के भीतर पारित की गई कोई भी डिग्री भारत के किसी भी प्रांत में निष्पादित की जा सकती है । परन्तु चार न्यायालय यह कहते हैं कि संविधान के पहले पारित की गई डिग्रियां निष्पादित नहीं की जा सकतीं क्योंकि भारतीय रियासतें स्वतन्त्र थीं और उनका सीमाक्षेत्र भारत के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था । अतएव विभिन्न न्यायालयों के विरोधी मतों से बचने के लिए खण्ड ५ का उपबन्ध किया गया था । इसमें यह रखा गया है कि संविधान के पहले भारत के सीमाक्षेत्र में पारित डिग्रियां भारतीय रियासतों में लागू होंगी और भारतीय रियासितों के न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियां धारा ३९ के अनुसार निष्पादित नहीं हो सकतीं यदि उन्हें निष्पादन योग्य बनाया जाता तो वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत होता । किन्तु इसके साथ ही इन डिग्रियों के लिए कोई उपाय सोचा जाना चाहिए इसी दृष्टि से मैंने खण्ड ५ के संशोधन का सुझाव रखा है ।

इसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ एकतरफा डिग्री जारी की गई है, न्यायालय में दावा करके लिखित विवरणों द्वारा या अन्य प्रमाणों द्वारा उसका विरोध कर सकता है । ऐसी कोई व्यवस्था न रखना एक भारी अन्याय होगा हैदराबाद में मुझे मालूम है कि लोगों को न्यायालयों से डिग्रियां प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और यदि अब उनका निष्पादन नहीं किया जा सकेगा तो वह बेकार जायेंगी, प्रवर समिति ने राज्यों से राय मांगी थी तथा अधिकांश राज्यों, न्यायालयों तथा विधिवेत्ताओं ने अपना मत प्रकट किया है कि यदि खण्ड ५ देशी राज्यों में जारी की गई डिग्रियों के निष्पादन का उपबन्ध नहीं करता है तो विधि में ऐसा उपबन्ध रखा जाना चाहिए कि डिग्रीधारी प्रतिवादी के विरुद्ध नया दावा दायर कर सके । न्यायालयों, विधिजीवी संघों तथा विधिवेत्ताओं ने इस संशोधन का समर्थन किया है । कोई कारण नहीं कि इसे अब हटा दिया जाये ।

नया दावा दायर करने का उपबन्ध रखा जाना चाहिये तथा परिसीमन अवधि के बारे में डिग्रीधारी को छूट दी जानी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि मूल विधेयक में खण्ड ५ उस परन्तुक के साथ रखा जाना चाहिये जिसका कि मैंने सुझाव दिया है ।

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि खण्ड ५ के हटाये जाने के सम्बन्ध में इस सभा में काफी वाद-विवाद हो चुका है और मेरे उन विचारों से जो कि मैंने इस खंड के हटाये जाने के विषय में व्यक्त किये हैं, सदस्यों को यह मालूम हो जायेगा कि मैंने यथासंभव दोनों दृष्टिकोणों को इस सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है । पहले हमने यह सोचा कि खण्ड ५ के स्वरूप की कोई चीज़ होनी चाहिये परन्तु अंत में एक लम्बे वाद-विवाद के पश्चात्

†मूल अंग्रेजी में ।

संयुक्त समिति ने यह सोचा कि इस अवस्था में विधान में कोई परिवर्तन करना सम्भवतः बहुत उपयोगी न होगा अथवा उचित न होगा । निश्चय ही दोनों में कठिनाइयां और अड़चनें हैं । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है बम्बई के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि ऐसी डिग्रियां निष्पादित की जा सकती हैं । सम्भवतः ऐसा हुआ होगा कि पिछले ६ वर्षों या लगभग उतने समय में बहुत-सी ऐसी डिग्रियां हुई होंगी जो पहले ही निष्पादित हो चुकी हैं । यदि हम वास्तव में कोई नई चीज़ निश्चित करना चाहते हैं तो वह स्वभावतः भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं हो सकती और हमें उन डिग्रियों को यथावत रखना पड़ेगा जो निष्पादित हो चुकी हैं और वास्तव में हम कलकत्ता तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मान्य दूसरे दृष्टिकोण को पसंद करते हैं । बम्बई, उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बहुत-सी कठिनाइयां हो सकती हैं और निश्चय ही कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जो फिलहाल निष्पादन के लिये पड़ी हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे पास कोई उपाय है अथवा हमने कोई ऐसा उपाय सुझाया है जिसको हम वास्तव में अनुसरण कर सकते हैं ।

उन राज्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मामला है जहां उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय किया था कि ये डिग्रियां निष्पादित नहीं की जा सकतीं । फिर, मेरे मित्र मा० वैष्णव और अन्य मित्रों ने यह सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में जब हम यह कहते हैं कि डिग्रियां निष्पादित नहीं की जा सकतीं तो हमें परिसीमन की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि उस सारी अवधि के बाद वे व्यक्ति फिर से दावे दायर कर सकें । मुझे यह नहीं मालूम कि ऐसा करना भी कहां तक उचित होगा क्योंकि तत्कालीन नियमों के अनुसार कोई भी डिग्रीधारी, चाहे उसने एकतरफा ही डिग्री क्यों न प्राप्त की हो, ब्रिटिश भारत में दावा करने के लिये स्वतन्त्र था । मेरे मित्र श्री वैष्णव हैदराबाद रियासत के हैं जो मेरे राज्य से लगी है और उस समय मैं एक अधिवक्ता की हैसियत से जाया करता था तथा चूंकि वहां बहुत से दावे रहते थे, मैं स्वभावतः मुवक्किलों को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में समीपस्थ न्यायालय में नालिश करने की सलाह देता था । इस प्रकार सामान्यतः दावों के सम्बन्ध में यह सम्भव था । सम्भवतः कुछ मामलों में निस्संदेह प्रतिवादी यदि वह ब्रिटिश भारत का वासी रहा हो, किसी देशी राज्य में नालिश कर सकता था और शायद उसने कुछ नहीं किया । अतएव हम चाहे जो कुछ करें, उसमें कठिनाई है और अन्ततः मैं यह कहता हूं, इसलिये नहीं कि संयुक्त समिति ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया वरन् इसलिये कि ऐसी कोई चीज़ ढूंढ़ना कठिन है जो सारे राज्यों के लिये उपयुक्त हो यह बिलकुल सम्भव है कि उसका कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, चाहे वे कर्जदार हों या साहूकार, वादी हों या प्रतिवादी । सम्भवतः यह वह विषय नहीं है जहां हम अपने सैद्धान्तिक विचारों के अनुसार विधान में फेर बदल कर सकते हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के लागू होने से बहुत से मामले व्यपगत हो गये हैं, यदि हम नये व्यवहारवाद लाने दें, तो इससे केवल मुकदमाबाज़ी बढ़ेगी । और भी बहुत-सी जटिलताएं पैदा होंगी । हाल में १९५५ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों पर विचार किया है । मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या किसी स्थान पर कोई अपील विचाराधीन है किन्तु ठीक-ठीक जानकारी मिलना बहुत कठिन है जहां तक मैं मालूम कर सका हूं, उच्चतम न्यायालय में, मेरे विचार में, ऐसा कोई मामला नहीं, किन्तु यह सम्भव है कि वहां ऐसे कोई मामले विचाराधीन हों । जब भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय भिन्न-भिन्न राय प्रकट कर चुके हैं, तो उचित कार्यवाही करना उच्चतम न्यायालय का काम है । हम यह अनुभव करते हैं कि इन दो रायों में किसी को स्वीकार करके पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता । मेरे विचार में हमें ऐसे मामले में विधान नहीं बनाना चाहिये । माननीय सदस्यों के भाषणों से प्रकट होता है कि एक दल इस खंड को निकाल देना उचित समझता है, दूसरा चाहता है कि इसे बनाये रखा जाये । मेरे विचार में इसे निकाल देना ही अच्छा होगा । यह ऐसा मामला नहीं, जो फिर यहां उत्पन्न हो ।

[श्री पाटस्कर]

श्री त्रिवेदी ने कहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय सम्भवतः उन अभागे लोगों के विरुद्ध जो भूतपूर्व देशी राज्यों के रहने वाले थे एक पक्षीय डिग्रियां देता रहा है किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। मेरी जानकारी यह है कि भूतपूर्व देशी राज्यों, अर्थात् राजस्थान, मध्य भारत आदि में न्यायालयों द्वारा जारी की गई उन डिग्रियों की संख्या जिनका निष्पादन बम्बई में किया जाना है, ११०४ है, जो बहुत अधिक है किन्तु जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी की गई उन डिग्रियों की संख्या, जिनका निष्पादन भूतपूर्व देशी राज्यों में किया जाना है, केवल २३७ है। यह स्थिति बिल्कुल भिन्न है। खण्ड ५ रखने के लिये मैं उत्तरदायी था और मैं समझता हूं कि उच्च-न्यायालयों की राय स्वीकार कर लेनी चाहिये। विभिन्न उच्च न्यायालयों में भेद नहीं किया जा सकता, और मैंने जो तथ्य बताये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह आरोप उचित नहीं है।

मेरे विचार में अन्य उपबन्धों के बारे में अधिक आलोचना नहीं है। कहा गया था कि इससे सारी संहिता का पुनरीक्षण नहीं होता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यह विधेयक इस उद्देश्य के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान संहिता के ढांचे में जो कुछ किया जा सकता था, वह करने का प्रयत्न किया गया है। दीवानी प्रशासन की सारी व्यवस्था में परिवर्तन तब किया जाना चाहिये जब विधि आयोग पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। यह बात नहीं है कि हम दीवानी न्याय प्रशासन को सस्ता शीघ्र आदि नहीं बनाना चाहते। पहली व्यवहार प्रक्रिया संहिता १८५६ में बनाई गई थी। अब इस व्यवस्था को लगभग १०० वर्ष हो चुके हैं। इसमें परिवर्तन सब पहलुओं पर उचित रूप से विचार करने के बाद ही किया जा सकता है। न्याय प्रशासन की वह प्रणाली जो १८५६ में शुरू की गई थी, देश के लिये नई थी और यह किसी न किसी रूप में जारी रही है। इसमें ३० बार संशोधन किये गये हैं और ये संशोधन बड़े नहीं हैं। प्रक्रिया में संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि १९५६ में वह स्थिति नहीं है जो १८५६ में थी। अतः न्याय के बारे में विचारधारा के बदलने के साथ, कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने का यह प्रयत्न किया गया है और इसका अर्थ यह नहीं कि हम समस्त संहिता के पुनरीक्षण के मामले में अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में बहुत-सी अपीलें आदि विचाराधीन हैं किन्तु केवल संहिता में संशोधन करके समस्या हल नहीं की जा सकती। इसका सम्बन्ध अन्य मामलों से भी है।

मुझे हर्ष है कि वर्तमान विधेयक को एक बड़े समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। खण्ड ५ को निकाल देने के मामले पर पूरी बहस की गई है, सम्भवतः कुछ सदस्यों को यह कुछ अन्य उपबन्ध पसन्द नहीं हैं किन्तु मोटे तौर पर सदन ने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २, ३ और ४ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ से ४ तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ से ४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ६ से ११ तक विधेयक में जोड़ दिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १२ के बारे में एक संशोधन है--संख्या ३ संशोधन किया गया :

पृष्ठ ३ में,

पंक्ति २१ और २२ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"(vi) The Governors of States and the administrators of Union territories"

["(६) राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक"]

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १ के बारे में एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में,

"१९५५" के स्थान पर "१९५६" रख दिया जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अधिनियमन सूत्र के बारे में एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"छठे" के स्थान पर "सातवां" रख दिया जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (जिला फरूखाबाद—उत्तर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खण्ड ५ को निकाल देना ही अच्छा है, क्योंकि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय भिन्न-भिन्न राय देते हैं ।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि खर्चे पर ब्याज हटा दिया जाए । मेरे विचार में उन मामलों में जिनमें प्रतिवादियों ने कार्यवाही को बहुत लम्बा किया है और डिग्रीधारी का बहुत खर्च कराया है, डिग्रीधारी को खर्च पर ब्याज न देना न्यायोचित नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में विधि में उपयुक्त संशोधन न किया जाये ।

निर्धन लोगों की अपीलों के बारे में, मैं श्री त्रिवेदी से पूर्णतया सहमत हूं । अन्य उपबन्धों का मैं समर्थन करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण प्राधिकार) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"मनीपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारों के गठन और कृत्यों सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक मनीपुर प्रशासन के लोकतन्त्रीकरण और वैज्ञानिकन की दिशा में एक और पग है । पिछले वर्ष इस सभा ने मनीपुर न्यायालय विधेयक पारित किया था, जिसके अन्तर्गत इस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भी दीवानी और फौजदारी न्यायालय शुरू किए गए थे । किन्तु कुछ अपराधों, व्यवहारवादों आदि के बारे में यह उचित समझा गया था कि न्यायिक शक्तियां ग्राम प्राधिकारियों को दी जायें । वर्तमान विधेयक का उद्देश्य मनीपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारों की स्थापना और संगठन है ।

मनीपुर राज्य का बहुत बड़ा भाग पहाड़ी है । इसका कुछ क्षेत्रफल ८,६३८ वर्ग मील और जनसंख्या ५,७७,००० है । इस क्षेत्र में से ७,९३८ वर्ग मील, अर्थात् ७/८ भाग पहाड़ी है । किन्तु जनसंख्या अधिक नहीं है, यह केवल १,९४,००० है । इस पहाड़ी क्षेत्र में छोटे-छोटे ग्राम हैं । कुछ बड़े भी हैं, किन्तु इतने बड़े नहीं जितने भारत के अन्य भागों में हैं । इन ग्रामों की कुल संख्या १,३०० है । इन ग्रामों की शासन प्रणाली के अनुसार गांव का मुखिया पित्रागत होता है और यह पद पित्रागत रीति के अनुसार मिलता है । ग्राम प्राधिकारों के सम्बन्ध में, मनोनयन का अधिकार गांव के मुखिया को दिया जाता है ।

१९४७ में तत्कालीन महाराजा ने एक विनियम बनाया था, जिसके अनुसार उपविभागीय पदाधिकारी जिला अधिकारी, मुख्य आयुक्त जैसे राज्य प्राधिकारियों की औपचारिक मंजूरी लेनी पड़ती थी । तथापि जहां तक इन ग्राम प्राधिकारों का सम्बन्ध है, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं था । विभिन्न भागों के ग्रामीणों की ओर से ग्राम प्रशासन के लोकतन्त्रीकरण की मांगें की गईं थीं । इसलिये यह मामला उठाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं, एक यह है कि ग्राम प्राधिकार लोकतन्त्रात्मक आधार पर वहां बनाया जाए, जहां इनकी मांग हो, क्योंकि हमारा सम्बन्ध उन लोगों से है, जो सरकार की कार्यवाही को शक की नज़र से देखते हैं। अतः हमें धीरे-धीरे चलना है। इसी कारण इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि जिस गांव में निर्वाचित ग्राम प्राधिकार की मांग हो, वह सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाये, और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराए जायें। इस बात को ध्यान में रखा जाये।

गांव के मुखिया की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह उपबन्ध किया गया है कि वह ग्राम प्राधिकार का पदेन अध्यक्ष हो। इन प्राधिकारों को पंचायतों के कुछ कृत्य सौंपे गए हैं। उन्हें ये पूरे करने पड़ेंगे। सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अधीक्षण का सामान्य उपबन्ध भी किया गया है। किन्तु यह देखा जायेगा कि ग्राम प्राधिकारों को बहुत हद तक स्वशासन दे दिया गया है। उन्हें सामान्य शक्तियां दी गई हैं और उनसे सामान्य कर्तव्यों के पालन की आशा भी की जाती है। ग्रामों की अपनी स्थिति को देखते हुए शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने या अपराधों का पता लगाने के सम्बन्ध में भी उनसे कुछ कृत्यों के निर्वहन के लिये कहा गया है। ये ग्राम पंचायतों के कार्यपालिका पहलू के बारे में हैं।

जहां तक न्यायिक पहलू का सम्बन्ध है, सदन को यह देख कर बहुत हर्ष होगा कि इन न्यायालयों को बहुत से न्यायिक कृत्य सौंपे गये हैं। ग्राम प्राधिकार के सदस्यों की संख्या ग्राम के कर देने वाले घरों की संख्या के अनुसार ५ से १२ तक होगी। ये छोटे-छोटे गांव हैं। इसके लिये स्वयं विधेयक में व्यवस्था की गई है, यदि संख्या बहुत कम अर्थात् ६० से कम हो, तो ग्राम प्राधिकार में संख्या केवल ५ होगी। इसी प्रकार क्रमवार संख्या बढ़ती जायेगी और सब से ऊंची संख्या १२ है। यह ग्राम प्राधिकार की रचना के बारे में है। न्यायालय की रचना के लिये उनमें से दो या तीन व्यक्ति चुने जायेंगे। यह दीवानी के साथ ही फौजदारी न्यायालय भी होगा। जहां तक दीवानी मामलों के न्यायनिर्णयन का प्रश्न है उन्हें कुछ अधिकार दिये जायेंगे तथा फौजदारी मामलों का भी वे किसी सीमा तक निर्णय कर सकेंगे। कुछ गम्भीर अपराध निकाल दिये गये हैं किन्तु भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अथवा विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत बड़ी संख्या में अपराधों की सुनवाई, जांच और निर्णय किया जा सकेगा। अन्त में, कुछ मामलों में पुनः सुनवाई की शक्तियां हैं तथा कुछ ऐसे मामलों में जिनकी कल्पना की जा सकती है अपील का अधिकार भी हो सकता है। उनकी डिग्रियों अथवा आदेशों का अन्य न्यायिक व्यवस्था द्वारा निष्पादन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जहां तक ग्राम न्यायालयों के निर्माण और रचना का सम्बन्ध है उनके कार्य सामान्य न्यायालयों की भांति समवर्ती हैं और मनीपुर न्यायालय अधिनियम में दीवानी और फौजदारी, दंडाधीश अथवा सत्र न्यायालयों के लिये उपबन्ध बनाया गया है। इसी तरह वहां न्यायिक आयुक्त भी हैं। अतः मनीपुर न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत जो कुछ किया गया है, उसके अतिरिक्त इस विधेयक के अन्तर्गत सामान्य न्यायालयों की शक्तियों के साथ-साथ ग्राम न्यायालय भी स्थापित करने का विचार है और आशा है कि छोटे-छोटे मामलों का फैसला स्वयं उनके साथी तथा गांव भाई करेंगे। अतः मालूम होगा कि जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था के प्रजातंत्रीकरण का प्रश्न है यह विधेयक एक कदम आगे है।

दूसरे उपबन्धों का स्वरूप सामान्य है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो प्रक्रिया है उसे इस मामले में आवश्यक रूप से अपनाने की जरूरत नहीं समझी गई। सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल बनाने का यही कारण है। इन दोनों संहिताओं के महत्वपूर्ण उपबन्ध एकत्रित कर इस विधेयक में सम्मिलित कर दिये गये हैं क्योंकि यह विचार किया गया कि यदि उदाहरणार्थ प्रक्रिया की विस्तृत

[श्री दातार]

रूपरेखा निर्धारित की गई तो वह इन न्यायालयों द्वारा दीवानी और फौजदारी सभी मामलों के न्याय-निर्णयन के लिये पर्याप्त होंगे। अतः यह देखा जायगा कि व्यवहार और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विस्तृत प्रक्रिया अथवा व्यवस्था रखने के स्थान पर मुख्य बातें इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं और विचार है कि जहां तक ग्राम न्यायालयों को सौंपे गये मामलों का सम्बन्ध है वे न्यायनिर्णयन के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं। ये कुछ उपबन्ध हैं और मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक की स्वीकृति पर अनुमोदन प्रकट करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

[पण्डित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसमें मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्रों की वर्तमान शासन पद्धति में सुधार करने का प्रयत्न किया गया है।

किन्तु इसमें यह आपत्तिजनक उपबन्ध है कि ग्राम प्राधिकार मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत किया जायेगा। जब मनीपुर में विधान सभा थी और मंत्रिपरिषद् उस सभा के प्रति उत्तरदायी था और लोगों को मताधिकार था तो इस प्रकार के प्रतिगामी उपबन्ध के पक्ष में कोई दलील नहीं है।

मुख्य आयुक्त को पूरे अधिकार दिये गये हैं तथा वह अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं। इस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। ग्राम प्राधिकार के प्रजातन्त्रीकरण की बात करते समय यह विस्मृत कर दिया जाता है कि निर्वाचन आवश्यक हैं। वर्तमान उपबन्ध उसके प्रजातंत्रीकरण में बाधक हैं।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : आपने अभी इसका स्वागत किया है।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : मैंने विधेयक के कुछ भागों का ही समर्थन किया था। सामान्यतया मैं इसका स्वागत करता हूं।

एक बात और है। स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि मनीपुर राज्य में ७,००० वर्ग मील में पहाड़ियां हैं और घाटियां केवल ७०० वर्ग मील में निहित हैं। विभिन्न आदिम जातियां पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं और अनादि काल से उनकी पृथक्-पृथक् शासन प्रणालियां हैं। कुछ गांवों में आदिम जाति की अनथक सेवा करने वाले व्यक्तियों को ग्राम समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। विधेयक में ग्राम प्राधिकार के अध्यक्ष को नियुक्ति में भेदपूर्ण व्यवहार किया गया है। कुछ क्षेत्रों, में जहां सरदार अथवा खुल्लकपा हैं, इस विधेयक के अनुसार यह उपबन्ध है कि ये वंश परम्परागत खुल्लकपा ग्राम प्राधिकार का पदेन सभापति होगा। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है वहां ग्राम प्राधिकार का सभापति निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जायेगा। इस पद्धति को समाप्त करना चाहिये क्योंकि कृत्रिमताहीन आदिम जाति लोग वर्षों से अंधकार और अज्ञान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गांव के मुखिया का दमनकारी शासन सह रहे हैं।

यदि सरकार आदिम जाति जनता की सेवा करना चाहती है तो उन्हें पदेन सभापति पद्धति समाप्त कर देनी चाहिये। ग्राम जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही ग्राम प्राधिकार का सभापति होना चाहिये। माननीय गृह मंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिये। पुराने विधेयक के इस खण्ड को इस में समाप्त कर दिया गया है कि कुष्ट रोग से ग्रस्त व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेंगे। यह अत्यन्त आपत्ति-जनक खण्ड था और इसे हटा कर समुचित कार्य किया गया है। इस अनर्हता के स्थान पर एक अन्य अनर्हता का समावेश किया जा सकता है कि विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार न दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ग्राम न्यायालयों की रचना सम्बन्धी उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं। इन न्यायालयों के सदस्य ग्राम प्राधिकार के लिये निर्वाचित सदस्यों में से लिये जायेंगे। मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस प्रबन्ध नहीं था। पुराने जमाने में लम्बू-व्यवस्था थी। इस विधेयक में लम्बू-व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु ग्राम न्यायालयों को पुलिस के कर्तव्य भी दिये गये हैं।

मुकदमों की सुनवाई सम्बन्धी प्रक्रिया सरल कर दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों की जनता में प्रायः अज्ञानता रहती है और वे कानूनी दावपेचों से अनभिज्ञ रहते हैं अतः इसकी आवश्यकता थी। सम्पूर्ण विधेयक को देखते हुए मैं इसका स्वागत करता हूं किन्तु यह उपबन्ध वस्तुतः आपत्तिजनक है कि ग्राम प्राधिकार का सभापति नामनिर्देशित हो।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : विधेयक में जहां अनेक अच्छी बातें हैं वहां नाम निर्देशन प्रणाली भी है। यह द्वैधराज्य की भांति है। नामनिर्देशन प्रणाली समाप्त हो गई है। आज जब हम सब संस्थाओं का प्रजातन्त्रीकरण कर रहे हैं उस समय नामनिर्देशन प्रणाली नहीं रहनी चाहिये। वंश परम्परा प्रधान अथवा खुल्लकपा को पदेन सभापति बनाकर प्रजातन्त्र के साथ निरंकुशता मिश्रित करने का प्रयत्न किया गया है। मेरा विचार है कि यह आज के युग की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

पंचायतों को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। अनेक अपराधों की शंका पर उन्हें गिरफ्तारी के अधिकार दिये गये हैं। अनेक अपराध ऐसे हैं जिनके लिये जमानत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति भावावेश में ऐसा अपराध कर बैठता है तो उसे दण्ड भोगना पड़ेगा। और फिर सदा के लिये वह पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। यह उपबन्ध उचित नहीं है।

आप ग्राम पंचायतों को कार्यकारी और न्यायिक दोनों अधिकार दे रहे हैं। उन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले सुनने का अधिकार है। इतनी सब शक्तियों के होने पर इनकी नामज़दगी मुख्य आयुक्त करेंगे। इससे पक्षपात उत्पन्न होगा। ग्राम पंचायत को कुछ ऐसे अधिकार मिलना चाहिये कि वह न्यायालय पर नियंत्रण रख सकें। सब से अच्छा तो यह होगा कि न्यायालयों का चुनाव पंचायत में से ही किया जाये। अब चूंकि न्यायालय के सदस्यों की नामज़दगी उप-आयुक्त द्वारा की जायेगी, गांव की जनता को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। यदि कोई कठिनाई हो तो पंचों द्वारा निर्वाचित पांच व्यक्तियों की एक तालिका हो। इनमें से उप-आयुक्त द्वारा दो या तीन व्यक्ति नामज़द कर दिये जायें। इससे कठिनाई कम हो जायेगी। ऐसा होने पर ही विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य की पूर्ति होगी।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रजातंत्रीकरण को प्रोत्साहन देगा। प्रजातंत्रीकरण का एक माध्यम यह भी है कि ग्रामीण जनता उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करे और स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी हों। किन्तु इस विधेयक में इसे अपहृत कर दफना दिया गया है। इसमें मुख्य आयुक्त को नामनिर्देशित करने का अधिकार दिया गया है। पृष्ठ ५, खण्ड १५ में जिस नियन्त्रण का उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या नहीं की गई है।

ग्राम्य प्राधिकारियों को गिरफ्तारी सम्बन्धी जो व्यापक अधिकार दिये गये हैं उनका निर्देश किया गया है किसी भी राजनैतिक आन्दोलन को कुचलने के लिये इनका आसानीपूर्वक उपयोग किया जा सकता है। पृष्ठ ६, खण्ड १६, उपखण्ड ३, के अनुसार ग्राम प्राधिकार को न केवल व्यापक अधिकार दिये गये हैं प्रत्युत गैर-कानूनी रूप से जारी किये गये वारण्ट पर गिरफ्तार करने के अधिकार भी उन्हें दिये गये हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० कु० मैत्र]

यह सर्वविदित है कि अपील का अधिकार जन्मजात अधिकार है। किन्तु ग्राम प्राधिकार के अधीनस्थ जनता को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या आज के युग में इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक हाथ से लोगों को स्वतन्त्रता देकर दूसरे हाथ से उसे छीन लिया गया है। यदि उप-आयुक्त अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी दया करें तो भले ही किसी का कष्ट निवारण हो। कदाचित विरोधी दलों के मामल में उप-आयुक्त अपनी आंखें मूंद लेंगे।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

अतः इस विधेयक से वांच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे जनतंत्र का जन्म नहीं होगा, इससे स्वायत्तशासन का विकास नहीं होगा; मंत्री महोदय को इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहिये कि वह जनोपयोगी सिद्ध हो।

एक बात और। उक्त खण्ड में आप देखेंगे कि ग्राम न्यायालयों को पक्षों को चुनने के लिये विस्तृत शक्तियां दी गई हैं आप स्वयं वकील हैं और जानते हैं कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है उन्हें पक्ष बनाया जाता है। परन्तु मुकदमे के दौरान में यदि गांवों के प्राधिकारी अन्य व्यक्तियों को भी मुकदमे में लाना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। यह शक्ति उन्हें खण्ड ३९ में दी गयी है। यह न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। लोकतंत्र की प्रगति के लिये ऐसी संस्थायें बनानी चाहियें जो लोगों को विकास में सहायता करें। इस प्रकार की व्यवस्था से तो व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से पीड़ित किया जायेगा। इसलिये माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यदि वह चाहते हैं कि जनता का लोकतंत्रात्मक रूप से विकास हो तो उन्हें इस विधेयक पर पूर्णतः विचार करके ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये जिससे जनता का वास्तविक विकास हो।

†**श्री दातार** : मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने सामान्यतः इस विधेयक के उपबन्धों का स्वागत ही किया है। परन्तु कुछ ऐसे उपबन्ध भी हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है और कहा गया है कि वह उन पर पुनः विचार करें। मैं इन्हीं का उत्तर देना चाहता हूं।

पहला प्रश्न, जिसके सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं, वह यह है कि क्या मुख्य-आयुक्त को गांव प्राधिकार में सदस्यों को नामनिर्देशित करने की शक्ति देनी चाहिये। यह सत्य है कि कुछ मामलों में, मुख्य-आयुक्त को, प्राधिकार में कुछ व्यक्तियों का नामनिर्देशन करने के अधिकार दिये गये हैं और यह इसलिये किया गया है जिससे जनता का वह वर्ग, जो अबोध है तथा जिनको इसके बारे में संदेह है, इस प्रयोग का विरोध न करे, और यह सफल हो सके। यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिये। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि पर्वतीय क्षेत्रों की दशा मैदानी क्षेत्रों के समान नहीं है; वहां की जनता सीधी साधी, निर्बोध तथा एक सीमा तक अन्ध-विश्वासिनी है। इन सब कमियों के कारण ही जनता की भावनायें संदेहात्मक हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों में हमें कुछ सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। अन्यथा जैसा हम सोचते हैं उस प्रकार कार्य नहीं होगा। जनता व्यर्थ ही यह सोचेगी कि कुछ शक्तियां छीन कर कुछ ऐसे व्यक्तियों को दे दी गयी हैं जिन्हें यह देनी नहीं चाहिये थीं। इसलिये लोकतंत्र तथा ऐसी संस्थाओं के प्रयोग यथासंभव सावधानी से करने होंगे।

मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इस सभा का मनीपुर के प्रशासन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है। यह विषय इस सभा के अधीक्षण में है और सामान्यतः कुछ पदाधिकारियों तथा विशेषतः मुख्य-आयुक्त के सम्बन्ध में जो संदेह व्यक्त किये गये हैं मैं उनको ठीक नहीं समझता। मुख्य-आयुक्त भारत सरकार के अधीन काम करता है तथा हम इस सभा के प्राधिकार के अधीन हैं। इसलिये ऐसे सभी मामलों में,

†मूल अंग्रेजी में।

संदेहों तथा शंकाओं की भावनाओं से बात शुरू नहीं करनी चाहिये। उनको परिस्थितियों के लिये आवश्यक सावधानी तथा औचित्य के अनुसार काम करना होगा।

मैं अपने माननीय मित्रों से, जिन्होंने कुछ आपत्तियां उठायी हैं, खण्ड ३ पढ़ने को कहूंगा। खण्ड ३ के उप-खण्ड (२) में कहा गया है :

> "मुख्य आयुक्त, किसी गांव की जनता के सामान्य हितों और उस गांव के लिये निर्वाचित प्राधिकार की मांग को ध्यान में रखते हुए, घोषणा करेगा·····।"

इसका यह मतलब हुआ कि वह सामान्य निर्वाचन करा सकेगा। तथा उदाहरणतः यदि उप-खण्ड (२) के अनुसार ऐसी कोई घोषणा नहीं है तो उसको दो बातें ध्यान में रख कर घोषणा करनी होगी। पहली बात यह है कि जनता की मांग अथवा इच्छा हो, दूसरे—यदि मांग हो तो—इससे जनता का कल्याण होगा। इसलिये मुख्य-आयुक्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। अतः आदरणीय सभा से मेरा निवेदन है कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र के इस प्रयोग को ऐसे क्षेत्र में लागू करना संभव नहीं होगा। हमें सावधानी से काम करना होगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मुख्य-आयुक्त उचित रूप में कार्य करेगा तथा जैसा कि मैंने बताया मनमाने ढंग से काम नहीं करेगा। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि लोकतंत्र का यह प्रयोग, मनीपुर क्षेत्र के निम्न स्तर में भी सफल हो। इसलिये मैं इस सभा को बता देना चाहता हूं इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासन को उदार बनाना है, पूर्णतया लोकतंत्रीय बनाना है जो इन विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हो जिनमें हमें काम करना है। इस प्रकार जनता आगे बढ़ेगी तथा निर्वाचित गांव प्राधिकार की मांग करेगी।

गांव के मुखिया, जिसको खुल्लकपा कहते हैं, के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। जहां तक उसका सम्बन्ध है, मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि जहां यह पद वंशगत चला जाता है वहां वह पदेन सभापति होगा। जहां इस प्रकार का पद नहीं होगा वहां सभापति चुना जायेगा। परन्तु जहां यह पद वंशानुक्रम से चला आता है वहां हमें इन लोगों की भावनाओं के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये। आप यह जानते होंगे कि मैदानों में भी जिन राज्यों में गांव के मुखिया वंशानुक्रम से होते हैं वहां इस पद की पर्याप्त प्रतिष्ठा है। हमें ऐसे अशिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो संदेह करने वाले व्यक्ति हैं, हमें इस नये प्रयोग के सम्बन्ध में सावधान रहना है। यदि अन्त में वह सभापति बन ही जाता है तो वह सारी संस्था की इच्छाओं को ठुकरा नहीं सकता।

गांव प्राधिकार में जैसा कि मैं बता चुका हूं, ५ से १२ सदस्य होंगे तथा गांव का मुखिया एक ही होगा जो अन्य सदस्यों की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। इन सभी बातों को समझते हुए हमने, जनता को यह बताने के लिये कि इसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं है और यह जनता के हित बढ़ाने के लिये है, दो नियंत्रण जान बूझ कर लगाये हैं। इसी कारण ये २ नियंत्रण काम में लाये गये हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रयोग सफल होगा और जनता यथासंभव अधिकाधिक गांवों में निर्वाचित गांव प्राधिकार को स्वीकार करेगी।

कोढ़ को अनर्हता बनाने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। यह सच है कि पहले विधेयक में जो अब वापस ले लिया गया है, यह एक अनर्हता थी। उसमें भी यह कहा गया था कि यह साधारण कोढ़ के सम्बन्ध में नहीं है अपितु छूत से फैलने वाले कोढ़ के सम्बन्ध में है। यह समझा गया कि यह रोग वहां इतना अधिक नहीं है जितना देश के अन्य भागों में; इसलिये यह अनर्हता संविधि में नहीं रहनी चाहिये। इसी-लिये यह हटा दी गई है। मैंने आशा की थी कि माननीय सदस्य, इस अनर्हता को हटाने के बारे में सरकार को धन्यवाद देंगे क्योंकि मानव होने के नाते इस रोग के रोगी मत देने के अधिकारी हैं। यह धारणा बना लेने पर भी कि एक व्यक्ति को छूत से फैलने वाला कोढ़ है, इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिये कि यह रोग

[श्री दातार]

और न फैलने पाये। एक मतदाता को छूत से फैलने वाले कोढ़ का रोगी होने के कारण ही अनर्ह करने का कारण है, अन्यथा नहीं। इसी कारण पहले विधेयक में वर्णित इस अनर्हता को हटा दिया गया है।

हम उत्सुक हैं कि यथासम्भव समान प्रशासन होना चाहिये। जिस प्रकार आलोचना की गई है उससे मुझे हंसी आई। एक ओर तो यह कहा गया था कि हमें प्रशासन को उदार बनाना चाहिये तथा गांव प्राधिकारों को यथासम्भव शक्तियां देनी चाहियें। दूसरी ओर हमें यह बताया गया कि यदि गांव प्राधिकारों को कुछ शक्तियां दे दी गयीं तो संभव है वे उनका दुरुपयोग करें। एक उदाहरण दिया गया कि गांव प्राधिकारों को किसी व्यक्ति को बंदी बनाने की शक्ति देने पर उसका उपयोग राजनीतिक आन्दोलन करने वालों को बन्दी बनाने के लिये किया जायेगा। इसलिये मेरा माननीय मित्र से आग्रह है कि ऐसी कोई भावना न रखें कि इस उपबन्ध का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करना है।

इस समय भी दंड-प्रक्रिया संहिता के अधीन गांव प्राधिकारों को कुछ शक्तियां दी गयी हैं। १८६१ के पुलिस अधिनियम के अधीन, गांव प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों को कुछ बचाव के काम करने पड़ते हैं तथा शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये, पुलिस प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किये जाने पर वह किसी व्यक्ति को बंदी बना सकते हैं अन्यथा नहीं। आप देखेंगे कि गांव प्राधिकारों को दी गयी शक्तियां तथा सौंपे गये कार्य, सामान्य प्रकार के हैं और ऐसे नहीं हैं जिन पर आपत्ति की जा सके।

मेरे माननीय मित्र, श्री सिंहासन सिंह ने बताया कि दोअमली शासन हो गया, लोकतंत्र तथा जागीरदारी का मिश्रण हो गया। यह जागीरदारी का प्रश्न है ही नहीं। यह गांव प्राधिकार स्थापित करने का प्रश्न है जो यथासम्भव निर्वाचित होगा। उन्हें कुछ शक्तियां निश्चय ही देनी पड़ेंगी।

उन्होंने दीवानी के मुकदमों में किसी पक्ष में कुल व्यक्तियों को लाने की शक्ति पर भी आपत्ति की है, मैं उन्हें बता देना चहाता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन दीवानी के मुकदमों में वादी अथवा प्रतिवादी बनाये जाते हैं। तथा आपराधिक मुकदमों में अपराधी के विरुद्ध आरोप-पत्र बनाया जाता है। यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिये कि यह एक न्यायिक न्यायाधिकरण है। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जहां तक न्यायिक पंचायतों का सम्बन्ध है, वह इस स्थिति को स्वीकार कर लें। उन्हें जो शक्तियां दी जाती हैं वे सामान्य ही होती हैं। इन शक्तियों पर, इस दृष्टिकोण से विचार करना उचित नहीं होगा कि इनका दुरुपयोग किया जायेगा। मैं अपने माननीय मित्र को यह भी बता देना चाहता हूं कि जब भी कभी इन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, तब यदि इनका प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं किया जायेगा तो उसके विरुद्ध अपील की व्यवस्था की गई है और यह भी याद रखना चाहिये कि प्रत्येक मुकदमे में पुनरीक्षण अथवा जहां तक उच्च न्यायिक न्यायालयों का सम्बन्ध है मुकदमे के कागजों को मंगा सकने की सामान्य शक्तियां दी गयी हैं।

†**श्री म० कु० मैत्र** : अपील की शक्ति नहीं है।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य यह देखेंगे कि कागज मंगाने की शक्ति दी गयी है।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : क्या यह काफी है ?

†**श्री दातार** : इसलिये मेरा निवेदन है कि किस पक्ष में अन्य व्यक्तियों को शामिल करने की शक्ति का न्यायिक प्रयोग किया जायेगा और यदि उनका दुरुपयोग हो तो स्वाभाविक ही है कि ऊंचे न्यायालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अन्याय न हो।

†**श्री म० कु० मैत्र** : मेरी आपत्ति यह है कि ऊंचे न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : एक सामान्य उपबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश अथवा न्यायिक आयुक्त मुकदमें के रिकार्ड मंगा सकते हैं। ऐसे मामलों में, जिस व्यक्ति को मिलाया गया है वह व्यक्ति उच्च-प्राधिकारियों के पास जा सकता है तथा अपना नाम खारिज करवा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस आपत्ति में कोई गंभीर बात नहीं है।

यह सुझाव दिया गया कि सदस्यों की एक तालिका होनी चाहिये तथा संभव है कि न्यायिक आयुक्त गांव न्यायालयों में उचित व्यक्ति न चुन सकें। जैसा कि सभा को ज्ञात है कि गांव न्यायालयों को, मैदानों की न्यायिक पंचायतों जैसी शक्तियां दी जा रही हैं। यह समझना उचित है कि न्यायिक आयुक्त के समान कोई प्राधिकारी होना चाहिये जो गांव प्राधिकारों के सदस्यों का चुनाव करने वाली समस्त सरकारी व्यवस्था का प्रधान हो। चुने गये सभी व्यक्ति न्यायिक कार्यों को करने के उपयुक्त नहीं समझने चाहियें। यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए इसीलिये न्यायिक आयुक्त को, चुने गये अथवा गांव प्राधिकार के सदस्यों में से नाम निर्देशित करने का प्राधिकार होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में न्यायिक आयुक्त उपयुक्त व्यक्ति है।

खण्ड १५ पर आपत्ति उठाई गई। जहां तक खण्ड १५ का सम्बन्ध है न्यायिक आयुक्त, एक पूर्णतः अधीक्षण प्राधिकारी है। किन्तु जहां तक अगले वरिष्ठ पदाधिकारी का सम्बन्ध है वह उपविभागीय दंडाधिकारी[1] होता है। इन सभी पंचायतों या ग्राम अधिकारियों को किसी के अधीक्षण के अधीन काम करना पड़ता है। अतः उपविभागीय पदाधिकारी या दंडाधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे इन ग्राम प्राधिकारों के कार्यों का अधीक्षण करना होता है। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि गांव पंचायतें या नगरपालिकायें या जिला बोर्ड जैसी सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष अधिकार या शक्ति कलक्टर या उप-आयुक्त या जिला दंडाधीश को दी गयी है ताकि वे देखें कि प्रत्येक कार्य उचित रूप से किया जाये।

†**श्री म० कु० मैत्र** : आपने बताया है कि प्रधान आयुक्त और उप-आयुक्त और उपविभागीय पदाधिकारियों को अधीक्षण का अधिकार दिया गया है। किन्तु यह भेदभाव किया गया है कि प्रधान आयुक्त को अधीक्षण का अधिकार दिया गया है और उप-आयुक्त तथा उपविभागीय पदाधिकारी को अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति दी गयी है।

†**श्री दातार** : खंड १५ में शब्द इस प्रकार हैं "सामान्य अधीक्षण के अधीन"। प्रधान आयुक्त यह सामान्य अधीक्षण करायेगा। उप-आयुक्त तथा उपविभागीय दंडाधिकारी का सभी ग्राम अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रहेगा। हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि आखिर ये ग्राम प्राधिकार भी गलती कर सकते हैं। ये सभी लोकतंत्रामक संस्थायें निश्चय ही उचित रूप से कार्य करेंगी। किन्तु ऐसे अवसर हो सकते हैं, यद्यपि वे बहुत थोड़े हों, जबकि वे ठीक से काम न करें और इसलिये उनके उचित पर्यवेक्षण और उस पर नियंत्रण रखने के लिये विधि में व्यवस्था करनी होगी। हमें ऐसे मामले भी मालूम हैं जहां बड़ी-बड़ी नगरपालिकायें बंद कर दी गयी हैं, और इसलिये सरकार को और उसके पदाधिकारियों को उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। और उस नियंत्रण की पराकाष्ठा उस संस्था को बंद कर देना होगा। अतः अगला वरिष्ठ अधिकारी प्रधान आयुक्त नहीं हो सकता। वह अधिकारी एक विभाग का भारसाधक अधिकारी होगा और इसी कारण उपविभागीय पदाधिकारी या दंडाधीश को उसके बाद नियंत्रण का अधिकार दिया गया है और सामान्य नियंत्रण या अधीक्षण प्रधान आयुक्त करेगा। अतः इन दोनों के बीच मुझे कोई अनुरूपता नहीं दिखाई देती और मैं सभा को फिर से बता देना चाहता हूं कि हम यह न मान लें कि पदाधिकारी जनता के विरुद्ध सभा के इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल बनाने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Sub-divisional Magistrate.

[श्री दातार]

अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे । उन्हें सामान्य शक्तियां दी गयी हैं और इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि इन शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग किया जायेगा ।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी पहलुओं का विवेचन किया है और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य अधिकतम हद तक प्रशासन को लोकतंत्रात्मक बनाना है जो सरकार की सावधानी से आगे बढ़ने की इच्छा के अनुरूप होगा ताकि अप्रत्यक्ष ढंग से भी कोई संदेह न रहे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में क्या है ?

†**सभापति महोदय** : क्या उसका कोई उल्लेख है ?

†**श्री दातार** : मैंने सभी बातों का विवेचन किया है ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव प्राधिकारों के गठन और कृत्यों सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : केवल तीन संशोधन हैं और वे सरकारी संशोधन हैं ।

†**श्री दातार** : वे केवल पूरे नाम में हैं ।

खंड २—परिभाषायें

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, पंक्ति १३ में,

"State of Manipur" (मनीपुर राज्य) के स्थान पर "Union Territory of Manipur" (मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र) रखा जाये ।

—[**श्री दातार**]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

†**सभापति महोदय** : अब हम खंड ३ से ५८ और अनुसूची पर वाद-विवाद प्रारम्भ करेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : यह विधेयक मनीपुर में लोकतंत्र लागू करने के लिये रखा गया है और मुझे आशंका है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर हमने पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया है ।

धारा ३, उपखंड २ के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि सरकार का दावा न्यायोचित नहीं है क्योंकि सरकार ने स्वत: यह कहा था कि जहां मांग होगी वहीं लोकतंत्रात्मक निकाय स्थापित किया जायेगा अन्यथा वह केवल नामनिर्देशन करेगी । मैं नहीं जानता कि माननीय गृह मंत्री उस उपखंड की क्या व्याख्या करते हैं ? मेरे विचार से उनका उद्देश्य यह है कि किसी गांव की जनता के सामान्य हित या मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार एक अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी । किन्तु यदि मांग न हो तो उससे सरकार को यह घोषणा करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अमुक क्षेत्र में एक निर्वाचित ग्राम प्राधिकार होगा । अत: मेरे विचार से यह आलोचना ठीक नहीं है कि सरकार वास्तव में

†मूल अंग्रेजी में ।

लोकतंत्र स्थापित नहीं करना चाहती। जहां मांग न हो, वहां भी एक निर्वाचित ग्राम प्राधिकार स्थापित करने के लिये सरकार पूर्णतया सक्षम है। यदि मेरा कथन ठीक हो तो मेरा निवेदन है कि सरकार सभी मामलों में, चाहे मांग हो या न हो, अपनी नीति अपनाये। जहां सरकार को यह प्रतीत हो कि लोकतंत्र अच्छी तरह नहीं चलेगा वहां वह लोकतंत्र स्थापित न करे और वह इस पर विचार कर सकती है कि वहां मांग है या नहीं किन्तु यदि माननीय सदस्यों की व्याख्या ठीक हो, तो उपखंड (२) के उपबन्धों से सहमत होना कठिन है। किन्तु यह समझते हुए कि मेरी व्याख्या बिलकुल भिन्न है, मैं उपखंड (२) का समर्थन करना भी उचित समझता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

किन्तु साथ ही यह प्रतीत होता है कि विधेयक में वास्तव में लोकतंत्र की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जब तक इन ग्राम प्राधिकारों को निधियां सौंपने और स्थानीय दशाओं या स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित ऐसे मामलों के विषय में कुछ शक्तियां देने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हम यह किस प्रकार कह सकते हैं कि हम इस विधेयक से एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कर रहे हैं? यह ठीक है कि दीवानी और फौजदारी शक्तियां दी गयी हैं। यद्यपि वह नये प्रकार का प्रयोग है और हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार चलेगा, वह शक्तियां दी जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरणार्थ, खंड ३, के अधीन सरकार द्वारा जारी की गयी घोषणा और अधिसूचना से, व्यस्क मताधिकार से ग्राम प्राधिकार के सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे। हम जानना चाहते है कि क्या महिलाओं को भी व्यस्क मताधिकार प्राप्त होगा। खंड ५३ में कहा गया है कि "किसी भी महिला को, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ग्राम न्यायालय के समक्ष एक अभियुक्त या एक पक्ष या एक गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा"। किन्तु एक वर्ग के रूप में महिलाओं को अपवर्जित किया गया है। ग्राम प्राधिकार में भी यदि महिलायें निर्वाचित होती हैं तो कोई कारण नहीं है कि वे प्राधिकार में क्यों न बैठें और उस दशा में खंड ५३ को अधिनियमित करने का मैं कोई कारण हीं देखता।

मैं समझता था कि इस प्रकार के विधेयक में सबसे पहली यह बात दिखायी देती कि ऐसे ग्राम निकाय के क्या कार्य और शक्तियां हैं, किन्तु जिस प्रकार की कुछ शक्तियां उन्हें दी गयी हैं वे एक प्रकार के दायित्व या निर्बन्धन के रूप में। मैं समझता था कि गांव की सफाई, रहने की व्यवस्था शिक्षा या अन्य उपयोगी विभागों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ शक्ति और कुछ वित्तीय स्वायत्ता दी जायेगी और उन्हें सरकार से कुछ धन भी मिलेगा। किन्तु मैं देखता हूं कि विधेयक में इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है।

दीवानी अदालतों के सम्बन्ध में मैं यह नहीं समझ पाया कि प्रतिवादी का तर्क क्या होगा जबकि वादी की जबानी याचिका का कुछ सार रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। आज्ञप्ति या आदेश जारी करने के लिये उपबन्ध है किन्तु यदि प्रतिवादी के तर्क, वाद का विषय आदि सब मौखिक ही रहे तो मैं यह नहीं समझ पाता कि वह कार्यवही किस प्रकार जारी रखना संभव होगा। यह मैं भलीभांति समझता हूं कि वह व्यवस्था संगठित या शिक्षित लोगों के लिये नहीं की गयी है और इसीलिये मैं उसका समर्थन करता हूं। वह एक अच्छी स्थानापन्न व्यवस्था है। किन्तु मैं नहीं जानता कि वह प्रयोग कहां तक कार्यान्वित होगा।

दंड विधि के सम्बन्ध में उन्हें कुछ पुलिस शक्तियां और पुलिस कार्यों का दायित्व भी दिया गया है, किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि किसी विशिष्ट मामले में यह किस प्रकार सिद्ध किया जा सकेगा कि अमुक व्यक्ति अपराधी हैं जबकि एक निर्वाचित ग्राम प्राधिकार नियुक्त किया जाता है और कर्तव्यच्युत होने आदि जैसी इन सब बातों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। मैं केवल उसे लागू करने की कठिनाई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

देखता हूं। ग्राम प्राधिकार को पुलिस शक्तियां जो दी गयी हैं किन्तु मेरे विचार से, न्यायालयों के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गयी हैं। आशा है कि इस प्रयोग के बाद और इस समाधान के बाद कि पंचायतें ठीक काम कर रही हैं, वह उन्हें अधिक शक्तियां देंगे।

किन्तु मेरी मुख्य कठिनाई यह है। मैं चाहता हूं कि पंचायतों के सम्बन्ध में सरकार सामान्यतया उन्हें स्थापित करे, चाहे मांग हो या न हो। आखिर वहां केवल १,३०० गांव और सिर्फ ५ लाख जनसंख्या है और मैं समझता हूं कि पंचायतें बहुत अच्छी तरह काम करेंगी क्योंकि नियम बहुत सरल है। फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि इन पंचायतों को पर्याप्त निधियां दी जायें ताकि वे जन साधारण के लिये हितकारी कार्यवाही कर सकें। अन्यथा उन्हें केवल ऐसी शक्तियां देने से जिनसे वे न्यायिक रूप से मामलों का निर्णय कर सकें, पंचायतें एक बोझ और अत्याचार के रूप में प्रतीत होंगी और जनता उन्हें पसंद न करेगी और आप जो भलाई जिस तरह चाहते हैं वह उस प्रकार न की जा सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : सामान्यतया मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहता किन्तु इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि मालूम होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री खंड ३० से ४५ के उपबन्धों पर विचार करें। क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में मैं यह देखता हूं कि इन ग्राम न्यायालयों को असीमिता क्षेत्राधिकार दिया गया है। खंड ३० के उपबन्ध के अनुसार, दीवानी मामलों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में संविदाओं का बकाया धन, चल सम्पत्ति की पुनःप्राप्ति और चल संपत्ति को हानि पहुंचाने या गलत तरीके से ले लेने के लिये क्षतिपूर्ती मुकदमों में कोई सीमा नहीं रखी गयी है। पशुओं द्वारा अनधि प्रवेश से हानि के मुकदमे के सम्बन्ध में ही केवल यह कहा गया है कि मुकदमा ५०० रुपये से अधिक के मूल्य का नहीं होगा। अन्य सभी मामलों में ग्राम न्यायालयों को असीमित क्षेत्राधिकार दिया गया है। इस प्रकार हम जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय तथा अन्य सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निरर्थक बना रहे हैं और ऐसे मुकदमों में केवल ग्राम न्यायालयों का ही क्षेत्राधिकार रह जायेगा। इस प्रकार उन सभी नागरिकों के प्रति जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहना चाहें, एक बड़ा अन्याय होगा। वित्तीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में सदा ही सीमित क्षेत्राधिकार होता है और यदि वह वित्तीय क्षेत्राधिकार वहां न रखा गया, तो उसका यह अर्थ होगा कि उन न्यायालयों को असीमित वित्तीय मूल्य के मुकदमों का फैसला करने का क्षेत्राधिकार रहेगा। भारत के सभी नागरिक मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जा सकते हैं और उस क्षेत्र में आर्डर दे सकते हैं और वहां से माल मंगा सकते हैं। इस प्रकार वाद का कारण वहां उत्पन्न हो सकता है। ऐसी दशा में उन लोगों के मुकदमों का किस प्रकार निर्णय किया जायेगा ? वे तो उन सामान्य उपचारों से भी वंचित रहेंगे जिनकी व्यवस्था संविधान में की गयी है। अतः मेरा यह निवेदन यह त्रुटि इसी प्रकार दूर की जाये।

†**श्री दातार** : मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि इन ग्राम-प्राधिकारों को अनुदान देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं रखे गये हैं। अनुदान देने के लिये कोई अधिनियम आवश्यक नहीं होता। वह कार्यपालिका का कार्य है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य जहां-जहां किये जायेंगे, मनीपुर सरकार के लिये इन ग्राम प्राधिकारों को अनुदान देना जरूरी होगा। कुछ मामलों में गांव बहुत छोटे होते हैं और कुछ मामलों में जहां केवल २२ करदाता गांव हैं, कर भी बहुत बड़ा न होगा। फिर भी जहां आवश्यक हो, सरकार अनुदान देगी और उसके लिये इस विधेयक में कोई उपबन्ध जरूरी नहीं है।

महिलाओं के सम्बन्ध में, मुझे इस संदेह की आशा नहीं थी। महिलाओं को ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा, यह बात नहीं कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो

---

†मूल अंग्रेजी में।

सकतीं। उदाहरण के लिये जब महिलाओं को गवाहों के रूप में या मुकदमे के किसी पक्ष में होने के नाते बुलाया जाये तो उन्हें उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब उन पर अभियोग लगाया जाये तब भी नहीं ?

†**श्री दातार** : जब उन पर अभियोग लगाया जाता है तो स्थिति ही ऐसी होती है। माननीय सदस्य कृपया नियम पढ़ें.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : 'अभियुक्त' भी उसी श्रेणी में सम्मिलित है।

†**श्री दातार** : उसमें कहा गया है :

"किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त, पक्ष अथवा गवाह के रूप में ग्राम न्यायालय में उपस्थित होने के लिये विवश नहीं किया जा सकता।"

जहां तक इसका सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बात की दाद देनी चाहिये कि यह स्त्रियों के अधिक पक्ष में है। इसी प्रकार का उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जब पूछ-ताछ अथवा जांच-पड़ताल के लिये किसी स्त्री का साक्ष्य लेना आवश्यक हो, तो कहा यह जाता है कि पुलिस पदाधिकारी को स्वयं उस स्त्री के घर जाना चाहिये, उस स्त्री को थाने पर आने के लिये विवश नहीं किया जाना चाहिये। यह बड़ा प्रगतिशील ढंग का उपबन्ध है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सारे मामलों में हम स्त्रियों के अधिकार छीने ले रहे हैं।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : क्या स्त्री की अनुपस्थिति में उसके लिये दण्ड की व्यवस्था की जा सकती है ?

†**श्री दातार** : वह स्वयं आ सकती है या उसका कोई अभिकर्ता आ सकता है अथवा उसके निवास स्थान पर ही न्यायालय लग सकता है तथा किसी अन्य स्थान पर न्यायालय लगाने पर भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती क्योंकि आप दंड प्रक्रिया संहिता में इसी प्रकार के उपबन्ध के लिये पहले ही अनुमति दे चुके हैं। जहां तक खण्ड ५३ का सम्बन्ध है उसमें स्त्री का उल्लेख करने से कम से कम उसके मत देने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये। जहां तक मत देने का सम्बन्ध है वयस्क मताधिकार के अधीन सम्पूर्ण भारत की स्त्रियों और पुरुषों को यह अधिकार दिया जा चुका है। वह शक्ति वापिस नहीं ली गई है। यह मानने का कोई औचित्य नहीं कि इसमें कोई ऐसा गोलमाल है जिससे स्त्रियों को उनके उचित अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रखा गया हो। यहां "विवश" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह स्त्री के ऊपर निर्भर करेगा। यदि वह चाहे तो व्यवहार अथवा दण्ड न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकती है। यहां यह कहा गया है कि किसी स्त्री को किसी न्यायालय विशेष में उसकी इच्छा के विपरीत उपस्थित होने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। "विवश" शब्द पर ध्यान दीजिये। साक्ष्य अधिनियम में भी उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है और वे ही यहां ले लिये गये हैं। उसमें "विवश" शब्द प्रयोग किया गया है और यह बिलकुल उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह यदि चाहे तो किसी मामले में उपस्थित हो सकती है।

मेरे माननीय मित्र ने व्यवहार न्यायालयों के असीमित वित्त सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया है। प्रविधिक अथवा सिद्धांत की दृष्टि से हो सकता है कि मेरे मित्र का कथन सही हो कि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की कोई सीमा ही नहीं है। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि उनके वित्त सम्बन्धी साधन असीमित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को आपत्ति यह थी कि यदि श्री त्रिवेदी को कुछ वस्तुओं के सम्भरण का ठेका पहाड़ी इलाकों से मिलता जाता है, तो वह उन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे ।

†**श्री दातार** : इसमें भी ये शक्तियां समवर्ती हैं । मैंने यही बताया था कि वे भी सम्पूर्ण शक्तियां नहीं हैं ।

ईश्वर न करे किन्तु यदि कोई ऐसा ग्रामीण हो जो मेरे माननीय मित्र पर १०,००० रुपये का मुकदमा दायर कर दे और उन पर डिगरी हो जाये और यदि उचित न्याय न हो तो जिला न्यायाधीश सारे मामले की तहकीकात करके मुकदमे की पुनः सुनवाई का आदेश जारी कर सकता है क्योंकि खण्ड ४३ के परन्तुक में कहा गया है कि जब कभी वह यह देखे कि उचित न्याय नहीं किया गया है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामलों में उचित व्यवस्था की जा सकेगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : उचित न्याय न होने का तात्पर्य है ? मेरा तो कहना यह है कि सरकार एक राशि निश्चित क्यों नहीं कर देती जैसा कि जानवरों द्वारा अनधिकार प्रवेश से की गई हानि के बारे में उपबन्ध है कि यह राशि १०० रुपये के आसपास से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री दातार** : सिद्धांत रूप से मेरे माननीय मित्र का कथन सही है किन्तु वास्तव में ऐसे मामले बहुत ही कम होंगे और केवल उस मामले, जिसमें धन का उल्लेख किया गया है वह इस कारण है कि इस प्रकार के मामले उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिये हानि की पूर्ति की जाती है । ऐसा बहुत छोटे गांवों में होता है । यद्यपि उनकी संख्या १,३०० जान पड़ती है किन्तु उसकी जनसंख्या एक लाख और कुछ हजार है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं समझता हूं कि वहां मुकदमेबाजी नहीं होगी ।

†**श्री दातार** : इस कारण मेरा निवेदन यह है कि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । ये शक्तियां उन मामलों का निबटारा करने के लिये दी जानी हैं जिनमें इस प्रकार के अभियोग बहुत कम राशि के हों । अधिकांश मामलों में यह राशि १०० रुपये से कम की होगी, इस कारण इस आपत्ति विशेष की कोई महत्ता नहीं है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खण्ड ३ (२) के विषय में क्या होगा ?

†**श्री दातार** : जहां तक खण्ड ३ (२) का सम्बन्ध है, जिस समय मैंने खण्ड का सम्पूर्ण प्रयोजन बताया था उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । यदि आप अनुमति दें तो मैं उसकी पुनरुक्ति कर दूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं उस समय उपस्थित था किन्तु आपत्ति किसी अन्य व्यक्ति ने की थी ।

†**श्री दातार** : मुझे वह बात फिर बताने में कोई आपत्ति नहीं है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसका प्रयोजन भी बताने के लिये तैयार हूं, किन्तु संक्षेप में दो वाक्यों में मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्रीय संस्थाओं का यह प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये । गांवों के लोग बड़े सीधे-सादे हैं किन्तु सामान्यतः वे ईमानदार होते हैं और हमें यह समझना है कि वे बड़े अन्धविश्वासी हैं । इसके परिणामस्वरूप जो भी नई चीज लागू की जाती है उसको वे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । इसी कारण कहा यह गया है कि लोकतंत्रात्मक ग्राम व्यवस्था का प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिये । अतः मैं माननीय मित्र से निवेदन करना चाहूंगा कि इन शब्दों का निर्वचन सदैव सहानुभूतिपूर्ण ढंग से किया जायेगा । जहां कहीं जनता चाहेगी मुख्यायुक्त किसी भी ग्राम को एक निर्वाचित ग्राम प्राधिकार बनाने

†मूल अंग्रेजी में ।

के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। अतः 'जनता के सामान्य हित और उसकी मांग को देखते हुए' शब्दों को शंका की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोकतंत्र रूपी पौदे को हम इस वातावरण में, जिसकी कुछ अद्भुत परिस्थितियां हैं, लगाना चाहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह प्रस्ताव खण्ड ३ से ५८ के बारे में किया गया था, मुझे खण्ड ८ के सम्बन्ध में सरकार का एक संशोधन प्राप्त हुआ है। अब मैं प्रस्ताव में रूप-भेद करने के लिये सभा की अनुमति चाहूंगा ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य द्वारा बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा है कि यह अनर्हता आजीवन बनी रह सकती है, इस कारण हमने यह संशोधन पुरःस्थापित किया है जिसके अनुसार अनर्हता दूर की जा सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मैं खण्ड ३ से ७ पर सभा का मत लूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ८ का भी एक संशोधन है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हम संशोधन का आशय नहीं समझ सके हैं। माननीय मंत्री खण्ड ८ के बारे में जो नया संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके आशय को हम पूरी तौर से समझना चाहते हैं ।

†**श्री दातार** : खण्ड ८ में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी बिना जमानत वाले अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है तो उसे अपने स्थान से हटाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है जिसे अधिसूचना द्वारा लोक-सभा में काम देने के लिये अनर्ह घोषित किया जा चुका है। दो और अनर्हतायें हैं। जिस संशोधन का प्रस्ताव मैं कर रहा हूं उसके बिना ये अनर्हतायें जहां तक किसी व्यक्ति का सम्बन्ध है, स्थायी रूप से बनी रहेंगी। यदि इन अनर्हताओं को दूर करने के लिये विधि में कोई उपबन्ध नहीं है तो जो व्यक्ति खण्ड (८) में वर्णित चार श्रेणियों में से किसी में आ जाता है, वह ग्राम पंचायत में किसी भी जगह के लिये सदा के लिये अनर्ह हो जायेगा।

इसी कारण हम इस संशोधन को रखना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे उप-धारा (१) के खण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन हटाया जा चुका है, मुख्यायुक्त द्वारा निर्धारित रूप में पूर्वानुभूति प्राप्त किये बिना पुनः नाम-निर्देशन अथवा पुनर्निर्वाचन के लिये उपयुक्त नहीं समझा जायेगा। इनका निर्धारण नियमों के द्वारा किया जायेगा। उस व्यक्ति को आवेदन करना होगा और मेरा विचार है कि किसी विशेष मामले में उसका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जायेगा और यह अनर्हता दूर कर दी जायेगी, जिससे जहां तक उस व्यक्ति का सम्बन्ध है यह अनर्हता स्थायी रूप न ले सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ४, पंक्ति १४ में--

"re-election" ["पुनर्निर्वाचन"] शब्द के बाद यह जोड़ा जाय :

"except with the previous permission of the Chief Commissioner obtained by such person in the prescribed manner."

["ऐसे व्यक्ति को निर्धारित रूप में मुख्यायुक्त द्वारा प्राप्त पूर्वानुमति के अलावा ।"]

---[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड ८, संशोधित रूप में, तथा शेष खण्डों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री दातार** : खण्ड ३० के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उसमें कुछ छपाई की गलती हो गई है और मैं समझता हूं कि उसे ठीक किया जा सकता है । "जबकि अभियोग पांच सौ रुपये की राशि से अधिक न हो ।" ये शब्द जो उप-खण्ड (घ) के अन्तिमांश हैं, वे उप-खण्ड (क) से (घ) तक सभी उपखण्डों में लागू होते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यही मैंने भी सुझाव दिया था ।

†**श्री दातार** : इससे मेरे माननीय मित्र भी सन्तुष्ट हो जायेंगे (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : एक गलती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले हम इस बात को स्पष्ट कर लें फिर उसे देखा जायेगा । 'अनधिकार प्रवेश,' (Trespass) के पश्चात् अल्प-विराम होना चाहिये और ये शब्द अगली पंक्ति में भी छपने चाहियें थे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : 'अनधिकार प्रवेश' (Trespass) के पश्चात् अल्प विराम के बजाय अर्द्ध-विराम होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ३० ज्यों का त्यों रह जाता है । वह छपाई की अशुद्धि ठीक कर दी जायेगी । अब माननीय सदस्य को क्या कहना है ?

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : (खण्ड ३) के उप-खण्ड (४) में 'खल्लक्पा' शब्द का तात्पर्य समझ में नहीं आता है । वास्तव में यह शब्द 'खलक्पा' होना चाहिये जिसका तात्पर्य गांव का मुखिया होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह गलती कार्यालय ही ठीक कर देगा । अब मैं खण्ड ९ से ५८ तथा अनुसूची सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० से ५८ तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १ का और नाम का भी संशोधन रखा गया है ।

संशोधन किये गये :

(१) पृष्ठ १, पंक्तियां ७ और ८ में—

"State of Manipur" (मनीपुर राज्य) शब्द के स्थान पर "Union Territory of Manipur" (मनीपुर का संघ राज्य-क्षेत्र) रख दिया जाये ।

—[श्री दातार]

(२) पृष्ठ १, शीर्षक में—

"State of Manipur" (मनीपुर राज्य) शब्द के स्थान पर "Union Territory of Manipur" (मनीपुर का संघ राज्य-क्षेत्र) रख दिया जाये ।

—[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड १, संशोधित रूप में तथा नाम, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : एक गलती अब भी रह गई है । खण्ड ····के उपखण्ड (घ) में "मनीपुर राज्य" के स्थान पर····शब्द रख दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह त्रुटि होगी तो दूर कर दी जायेगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : खण्ड २ (घ) में "मनीपुर राज्य"—ये शब्द हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह खण्ड अलग से रखा गया था और सभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

†**श्री दातार** : तीन संशोधन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस समय श्री बर्मन पीठासीन थे । उन्होंने इस पर मतदान लिया था और सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि १

अध्यक्ष महोदय ने श्री भवानी सिंह के, जो अब तक लोक-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया और उसके पश्चात् सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव १–३

(एक) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ९ नवम्बर, १९५६ को हंगरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार के रुख के बारे में श्री कामत और श्री रा० न० सिंह ने जिस स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी उसे प्रस्तुत करने की सम्मति अध्यक्ष महोदय ने इसलिये नहीं दी कि प्रधान मंत्री शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने वाले हैं जिसके पश्चात् उस विषय पर वाद-विवाद होगा ।

(दो) विधि कार्य मंत्री के वक्तव्य को 'कि मामले की जांच की जायेगी' ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने वह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सम्मति नहीं दी जिसकी पूर्व सूचना श्री सु० चं० मिश्र ने दी थी और जो चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को राज्य दल स्वीकार करने से इनकार के बारे में था ।

(तीन) वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रतीक हड़ताल को रोकने में सरकार की असफलता सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव, जिसकी पूर्व सूचना श्री साधन चन्द्र गुप्त ने दी थी प्रस्तुत करने की सम्मति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये : ... ४–६

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :

(एक) ५ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०३३ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ ।

(दो) ५ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०३४ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ ।

पृष्ठ:

(तीन) १७ सितम्बर, १९५६ को खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० २०९८ में प्रकाशित बम्बई गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ ।

(२) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २० की उप-धारा (३) के अधीन श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली, २२ सितम्बर, १९५६ की अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० २१३६ की एक प्रति ।

(३) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २——लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८——लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(४) लोक-सभा के १९५६ के तेरहवें सत्र के अवसान के बाद राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अधीन प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति :

(एक) हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ५)

(दो) निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ६)

(तीन) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ७)

(चार) मार्ग परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ८)

(पांच) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ९)

(५) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचलन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९ के उप-नियम (२) के अनुसार हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ५) के बारे में व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति ।

(६) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ क अधीन निकाली गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ११——सी० ई० आर०/५६

(दो) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १२——सी० ई० आर०/५६

(तीन) ८ सितम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १३——सी० ई० आर०/५६

(चार) २६ सितम्बर, १६५६ की अधिसूचना संख्या १४---सी० ई० आर०/५६

(७) काफी अधिनियम, १६४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अधीन काफी नियम, १६५५ में कुछ संशोधन करने वाली, २६ सितम्बर, १६५६ को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२०१ की एक प्रति ।

(८) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन केरल राज्य सरकार के सभी कृत्यों को अपने हाथ में लेते हुए, १ नवम्बर, १६५६ को निकाली गई उद्घोषणा की एक प्रति ।

(६) ६ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में दी गई प्रतिज्ञा के अनुसरण में गोआ के बारे में निम्नलिखित प्रकाशनों की एक-एक प्रति :

(एक) गोआ, (१५ अगस्त, १६५६) ।

(दो) दि स्टोरी आफ गोआ (गोआ की कहानी) अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली और अरबी संस्करण ।

(तीन) फैक्टस एबाउट गोआ (गोआ के बारे में तथ्य) ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७

सचिव ने सूचना दी कि निम्नलिखित विधेयकों पर, जो संसद् के सदनों द्वारा गत सत्र में पारित किये गये थे, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है :

(१) भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(२) राष्ट्रीय राजपथ विधेयक, १६५६ ।

(३) नदी बोर्ड विधेयक, १६५६ ।

(४) भारतीर रुई उपकर (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(५) भारतीय टेक्नोलोजी संस्था (खड़गपुर) विधेयक, १६५६ ।

(६) सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १६५६ ।

(७) लोक सहायक सेवा विधेयक, १६५६ ।

(८) भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(६) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों) की संख्या विधेयक, १६५६ ।

(१०) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(११) लोक-ऋण (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(१२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(१३) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(१४) लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

(१५) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक, १६५६ ।

(१६) जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक, १६५६ ।

(१७) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां, आदेश (संशोधन) विधेयक, १६५६ ।

पृष्ठ

(१८) संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

सदस्यों द्वारा पदत्याग ७

अध्यक्ष महोदय ने उद्घोषणा की कि निम्नलिखित चार सदस्यों ने, उनके नामों के सामने दिखाई गई तिथियों से, लोक-सभा के अपने स्थानों से पदत्याग कर दिया है :

(१) श्री निजलिंगप्पा---२७ अक्तूबर, १९५६ ।
(२) श्री राजेन्द्र नारायण सिंह देव---प्रथम नवम्बर, १९५६ ।
(३) श्री गिरिधारी भोई---१ नवम्बर, १९५६ ।
(४) डा० नटवर पांडे---१२ नवम्बर, १९५६ ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना ८

विद्युत् संभरण (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये ३० नवम्बर, १९५६ तक समय बढ़ा दिया गया ।

पारित किये गये विधेयक ८–४४

(१) विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) ने प्रस्ताव किया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण प्राधिकार) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६ की कार्यावलि---

भाग 'ग' राज्य (विधि) संशोधन विधेयक, भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक ।

M30LSD—190—20-2-58—GIPF.